रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 1998 (श्रावण 17, 1920)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1998 (SRAVANA 17, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय,

बड़ौदा, दिनांक 21 अप्रैल 1998

सं० एचओ/ओएसआर एवं आईआर/ए/10 : 13 : 871—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) ये विनियम बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 1998 कहलाएंगे ।

(2) इन विनियमों में "अन्यथा" स्पष्ट रूप से उपबंधितानुसार, ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976 विनियम 4 (जिसे इसके बाद मूल विनियम कहे जाएंगे) में खंड (डी) के बाद "लघु दंड" शीर्षक के तहत निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा; अर्थात् :

(क) "(ई) अधिकारियों के पेंशन को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए और बिना संचयी प्रभाव से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए निम्न वेतनमान में किसी चरण में अवनति" ;

(ख) "बड़े दण्ड" शीर्षक के तहत खण्ड (ई), (एफ), (जी) एवं (एच) का पुनः नंबरिंग करके क्रमशः खण्ड (जी), (एच), (आई) एवं (जे) किया जाएगा ।

(ग) खण्ड (जी) को पुनः नंबरिंग करने से पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :
"(एफ) उपरोक्त (ई) में किसी निर्धारित अवधि हेतु किसी समय वेतनमान में निम्न चरण में अवनति हेतु किए गए प्रावधान को इन दिशा निर्देशों के साथ, कि अधिकारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित करेगा या नहीं तथा क्या ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद यह उसकी भविष्य की वेतनवृद्धि को आगे बढ़ाने में प्रभावित करेगी या नहीं, बरकरार रखा जाए।"

(घ) पुनः नंबरिंग किए गए (जी) खण्ड हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा : "(जी) निम्न श्रेणी या पद पर अवनति"।

3. मूल विनियमों को विनियम 6 के उप विनियम (1) में विनियम 4 के खण्ड (ई), (एफ), (जी) एवं (एच) शब्द, कोष्ठक एवं अंक को विनियम 4 के खण्ड (एफ), (जी), (एच), (आई) एवं (जे) शब्द, कोष्ठक एवं अंक से प्रतिस्थापित किया जाए।

4. मूल विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम (1) में विनियम 4 के खण्ड (ए) से (डी) शब्द, कोष्ठक एवं अंक को विनियम 4 के खड शब्द, कोष्ठक एवं अंक (ए) से (ई) से प्रतिस्थापित किया जाए।

5. मूल विनियम के विनियम 17 के उप विनियम (11) के प्रथम परंतुक में विनियम 4 के खण्ड (ई), (एफ), (जी) एवं (एच) शब्द, कोष्ठक एवं अंक को विनियम 4 के खण्ड (एफ), (जी), (एच), (आई) एवं (जे) शब्द, कोष्ठक, एवं अंक से प्रतिस्थापित किया जाए।

6. मूल विनियमों के विनियम 18 के प्रथम परन्तुक में विनियम 4 के खण्ड (ई), (एफ) (जी), और (एच) शब्द, कोष्ठक एवं अंक को विनियम 4 के खण्ड (एफ), (जी) (एच), (आई) या (जे) शब्द, कोष्ठक एवं अंक से प्रतिस्थापित किया जाए।

ए० बी० चोपड़ा
उप महाप्रबंधक (कार्मिक व अं० स०)

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड
एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 24 जुलाई, 1998

नं० 13-सी० ए० (परीक्षा)/एम/98 :—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 22 के अनुसार दि कौंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होंगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

फाउंडेशन परीक्षा :—

पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन, 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "1ए" के अनुसार।

7, 9, 10 और 11 नवम्बर, 1998

इन्टरमीडिएट परीक्षा :—

पाठ्यक्रम—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन, 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "2ए" के अनुसार

ग्रुप I 2, 3 और 5 नवम्बर, 1998

ग्रुप II 6, 7 और 9 नवम्बर, 1998

फाईनल परीक्षा :—

पाठ्यक्रम—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "3ए" के अनुसार।

ग्रुप I 2, 3, 5 और 6 नवम्बर, 1998

ग्रुप II 7, 9, 10 और 11 नवम्बर 1998

परीक्षा केन्द्र

(1) भारत में परीक्षा केन्द्र :—

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. अजमेर
4. इलाहाबाद
5. एलप्पी
6. अम्बाला
7. आसनसोल
8. औरंगाबाद
9. बंगलौर
10. बड़ौदा
11. बेलगांव
12. भोपाल
13. भुवनेश्वर
14. कलकत्ता
15. कालीकट
16. चण्डीगढ़
17. चेन्नई (मद्रास)
18. कोयम्बटोर
19. कटक
20. देहरादून
21. दिल्ली/नई दिल्ली
22. एरनाकुलम
23. गुवाहाटी
24. गाजियाबाद

25. गोधा
26. ग्वालियर
27. हिसार
28. हैदराबाद
29. इंदौर
30. जबलपुर
31. जयपुर
32. जम्मू
33. जमशेदपुर
34. जोधपुर
35. कानपुर
36. कोटा
37. कोट्टायम
38. लखनऊ
39. लुधियाना
40. मदुराई
41. मंगलौर
42. मेरठ
43. मुम्बई (बम्बई)
44. मैसूर
45. नागपुर
46. नासिक
47. पटना
48. पूना
49. रायपुर
50. राजकोट
51. रांची
52. सेलम
53. शिमला
54. सिलिगुड़ी
55. सूरत
56. तिरूचिरापल्ली
57. त्रिचूर
58. त्रिवेन्द्रम
59. उदयपुर
60. वाराणसी
61. विजयवाड़ा
62. विशाखापटनम
63. यमुनानगर

(2) विदेशों में परीक्षा केन्द्र

1. दुबई ।*
2. काठमांडू (नेपाल) ।

*केवल इण्टरमीडिएट और फाईनल की परीक्षाएं दुबई केन्द्र पर होगी ।

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीट्यूट के सचिव के पक्ष में होनी चाहिए और उसका अदायगी नई दिल्ली पर हो ।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है ।

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 20 रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । उपर्युक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 26-8-1998 तक पहुंच जायें । आवेदन पत्र अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के दिल्ली कार्यालय में 26-8-1998 के बाद 2-9-1998 तक 50/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किए जायेंगे । 2-9-1998 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है, या रीजनल काउंसिलों के मुम्बई (मुम्बई), चेन्नई (मद्रास), कलकत्ता, कानपुर तथा ब्रांच अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, पूना और जयपुर के कार्यालयों में 26-8-1998 तक जमा कराया जा सकता है । इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है ।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय शुल्क इस प्रकार है :—

फाउन्डेशन परीक्षा (शुल्क)	रुपये 375/-
इण्टरमीडिएट परीक्षा	
दोनों ग्रुपों के लिए	रुपये 525/-
केवल एक ग्रुप के लिए	रुपये 300/-
यूनिट एक*	रुपये 300/-
यूनिट दो*	रुपये 300/-
यूनिट तीन*	रुपये 225/-
यूनिट चार*	रुपये 300/-

*इकाई यूनिट शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स इण्टरमीडिएट नियमावली की अनुसूची "बी" के अनुछेद 2 "ए" में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा आरंभ होने से पूर्व दोनों ग्रुपों को पास नहीं कर सके हैं और एक ही ग्रुप में उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में बैठना है, और पास करना है ।

फाईनल परीक्षा

दोनों ग्रुपों के लिए	रुपये 600/-
केवल एक ग्रुप के लिए	रुपये 350/-
**इकाई यूनिट-2 पेपर तक	रुपये 275/-
**इकाई यूनिट-2 पेपर से अधिक तथा 4 पेपरों तक सीमित	रुपये 350/-
**इकाई यूनिट-5 पेपर व उससे अधिक	रुपये 600/-

**यूनिट शब्दावली का आशय पेपरों के उस समूह से है जिसे उन अभ्यार्थियों को जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1964 के अन्तर्गत शेड्यूल "बी" और (बी बी) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर, 1986 से पूर्व एक या एक से अधिक ग्रुप पास कर चुके है लेकिन सभी ग्रुप पास नहीं किये हैं को अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "3ए" में शेष अनुरूप पेपरों में एक साथ बैठना है और पास करना है।

मुबई केन्द्र में बैठने वाले इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों को क्रमशः अमेरिकन $ 60 और अमेरिकन $ 80 या इसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर या एक ग्रुप या एक इकाई (यूनिट) या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों को रूपये 750-X उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर, एक ग्रुप, एक यूनिट या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

जगदम्बा प्रसाद
अतिरिक्त सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

भूवनेश्वर, दिनांक :

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आई० डी० एल० केमिकल्स (सोना पर्वत) राऊरकेला क्षेत्र के लिए स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं० 44-बी०34/12/12/82-हित०—एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-क के अन्तर्गत जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा में आई० डी० एल० के केमिकल्स (सोना पर्वत), राउरकेला क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1. विनियम 10-क (1) (क) के अन्तर्गत
उप जिलाधिकारी, सुन्दरगढ़ — अध्यक्ष

2. विनियम 10-क (1) (ख) के अन्तर्गत
जिला श्रम अधिकारी, राउरकेला — सदस्य

3. विनियम 10-क (1) (ग) के अन्तर्गत
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय,
आई० डी० एल० केमिकल्स लिमिटेड,
राऊरकेला

4. विनियम 10-क (1) (घ) के अन्तर्गत

1. श्री बी० बी० पाढ़ी, रेजाडेंट चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
कार्यालय मैसर्स आई० डी० एल०
इण्डस्ट्रीयल लिमिटेड,
राऊरकेला-16, सुन्दरगढ़

2. श्री सी० आर० नन्दा, कनिष्ठ कार्यपालक (आई० आर०) — सदस्य
मैसर्स आई० डी० एल० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,
राऊरकेला-16

5. विनियम 10-क (1) (ङ) के अन्तर्गत

1. श्री अरूण कुमार परिडा, सचिव — सदस्य
इण्डियन डेटोनेटर्स मजदूर सभा
आई० डी० एल० मार्ग, राऊरकेला
जांगरपल्ली, सुन्दरगढ़

2. श्री आर० सी० सुतार, सचिव — सदस्य
आई० डी० एल० केमिकल्स वर्कर्स यूनियन,
ग्राम : बालाजोडी, डाकघर : सोनापर्वत,
थाना : जांगरपल्ली, राऊरकेला, सुन्दरगढ़

6. विनियम 10-क (1) (च) के अन्तर्गत
प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी
बीमा निगम, राऊरकेला — सदस्य सचिव (पदेन)

यू० एच० राव,
क्षेत्रीय निदेशक
कर्मचारी राज्यबीमा निगम, उड़ीसा

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुबई, दिनांक 14 जुलाई, 1998

सं० यू टी/डीबीडीएम/आर-121/एस० पी० डी-98/97-98—भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अन्तर्गत बनाए गए यूटीआई-लघु निवेशक फण्ड का पेशकश दस्तावेज, जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई यूनिट योजना, यूटीआई-लघु निवेशक योजना के सम्बन्ध में है, जिसे 21 जनवरी, 1998 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी,
मुख्य महाप्रबन्धक,
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

यूटआई–लघु निवेशक फण्ड

पेशकश (आफर) दस्तावेज

पेशकश 25 मई, 1998 से 8 जुलाई, 1998 तक खुली है

यूटीआई–लघु निवेशक फण्ड भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अन्तर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत यूटीआई के न्यासी मण्डल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, यूटीआई लघु निवेशक फण्ड के सम्बन्ध में है ।

●प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) विनियम 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

प्लान का उद्देश्य

यह प्लान मुख्यतः अल्प निवेशयोग्य बचत वाले व्यक्तियों के लिए जो निवेश की जोखिमों को उठाए बिना पूंजी का निर्माण करना चाहते हैं । इसी प्रकार प्लान का उद्देश्य अधिकतम आय अर्जित करना है जो कि ऋण पोर्टफोलियो में उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ निवेश के माध्यम से सम्भव है ।

विशिष्टताएं

●एक अन्तराल–ऋण फण्ड ।

●यूनिटों की बिक्री पेशकश अवधि के दौरान सम–मूल्य पर और उसके बाद एनएवी पर । प्रारम्भिक पेशकश अवधि के बन्द होने के एक माह बाद फण्ड बिक्री हेतु पुनः खुलेगा ।

●पुनर्खरीद भी आरम्भिक पेशकश अवधि बन्द होने के एक माह बाद होगी । निवेश की तिथि से तीन वर्ष के भीतर पुनर्खरीद एनएवी पर 2 प्रतिशत घट्टे पर होगी । उसके बाद पुनखरीद एनएवी पर होगी ।

●पूंजी निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप, प्लान कोई आय वितरण नहीं करेगा । पूंजी में वृद्धि एनएवी पर दिखाई पड़ेगी ।

●निवासी वयस्क व्यक्तियों/सांकेतिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/अवयस्कों/एचयूएफ/समितियों/व्यक्तियों के संघ/व्यक्ति निकायों के लिए खुला है ।

●न्यूनतम निवेश रु० 1000/– और उसके बाद रु० 500/– के गुणकों में ।

●पूंजी वृद्धि से पूंजी अभिलाभ पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 एवं 112 के अन्तर्गत करलाभ ।

जोखिम के तत्व

● प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और उसका कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि निधि के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा । प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना प्लान के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों का प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है ।

●पूर्व योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है ।

● यूटीआई-लघु निवेशक फंड केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान को गुणवत्ता इसके भावी संभावनाओं एवं आय की ओर संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले वे पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 33 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 5 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 58,000 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है ।

लक्ष्य निवेशक एवं योजना का कार्यान्वयन

योजना समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए बनाई गई है––जिन्हें सामान्यतः सभी वित्तीय संस्थाओं ने नजर-अंदाज किया––जो अपनी छोटी बचतों के द्वारा पूंजी निर्माण करना चाहते हैं । योजना गैर-सरकारी संस्थाओं जैसी मध्यस्थ संस्थाओं के सहयोग से चलाई जाएगी । मध्यस्थ संस्थाएं-जिनके पूर्ववृत्त का सत्यापन यूटीआई–द्वारा किया जाएगा । और उनकी योजना के परिचालन में खास दायित्व होंगे जो इस प्रकार हैं :––

बिक्री सौदे हेतु : मध्यस्थ संस्थाएं लघु निवेशकों से आवेदन पत्र एकत्र करेंगी एवं विधिवत् उत्थापन के पश्चात् यूटीआई के पास भेजेंगी । मध्यस्थ संस्थाएं हमारे द्वारा निर्दिष्ट आंकड़ा ढांचा का प्रयोग करके फ्लापी में आवेदन के विवरणों का संग्रह भी करेंगे एवं आवेदन पत्रों और लाट में विप्रेषित धन के साथ जमा करेंगे ।

पुनर्खरीद सौदे हेतु : पुनर्खरीद के आवेदन सामान्यतः मध्यस्थ संस्था के माध्यम से भेजे जाएंगे । सभी पुनर्खरीद भुगतान चेक द्वारा किया जाएगा । उन निवेशकों के मामले में जिनका बैंक खाता नहीं है, मध्यस्थ संस्थाएं संयुक्त आवेदक के रूप में निवेश करेंगी । सभी पुनर्खरीद चेक यूनिट-धारक के बैंक खाता विवरणों को दर्शाएंगे ।

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी । इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया ।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्ण-कालिक अध्यक्ष होता है ।

मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं । यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है ।

न्यासी मंडल

1. श्री जे० पी० गुप्ता	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. डॉ० पी० जे० नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. श्री एस० गुरुमूर्ति	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
4. श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. श्री एन० एम० सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्टस लि०
6. श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
7. श्री जी० कृष्णामूर्ति	वर्तमान प्रभारी एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम
8. श्री एम० एस० वर्मा	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9. श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि०
10. श्री रवीन्द्र जिलानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

यूटीआई—लघु निवेशक फंड का ब्यौरा

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरंभ :

(1) यह योजना यूटीआई—लघु निवेशक फंड कहा जाएगा।

(2) योजना प्रारंभ में बिक्री हेतु 25 मई, 1998 से 08 जुलाई, 1998 तक 45 दिनों के लिए खुली रहेगी । फंड पुनः बिक्री एवं पुनर्खरीद हेतु प्रारंभिक पेशकश अवधि के एक माह बाद पांच कार्य दिवसों का अवधि के लिए प्रत्येक माह के 10 तारीख से चालू होगा ।

बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल का कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय या युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

II. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता–पिता के अलावा उन माता–पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो ।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की हुई हो और प्लान के खण्ड III के अंतर्गत आवेदन करता हो ।

(ङ) "पात्र व्यक्ति" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है ।

(च) "प्रारंभिक पेशकश अवधि" 25 मई, 1998 से 08 जुलाई, 1998 होगी जिसके दौरान यूनिटों सममूल्य पर बेची जाएंगी ।

(छ) "मध्यस्थ संस्थाएं" वे संस्थाएं हैं जिन्हें योजना के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा मध्यस्थों के रूप में कार्य करने हेतु मान्यता दी गई है ।

(ज) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों।

(झ) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो ।

(ञ) "जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है ।

(ट) "व्यक्ति" में उपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(ठ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें ।

(ड) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(ढ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ।

(ण) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है ।

(त) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है ।

(थ) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है ।

(द) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।

(ध) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम / विनियमावली में दिये गये हैं ।

(न) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं । इस योजना के अन्य उपबंध पृष्ठ सं० 14 से पृष्ठ सं० 20 तक में दिए गए हैं ।

यू टी आई—लघु निवेशक योजना के अंतर्गत बनाये गए यू टी आई—लघु निवेशक फण्ड (यू टी आई एस आई एफ) के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं :

I. परिभाषाएं :

शब्द जो प्लान में परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा योजना और अधिनियम / विनियमों में परिभाषित किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं

II. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा ।

III. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों द्वारा ही किए जाने चाहिए ।

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त ।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं ।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखित द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल है ।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति । ऐसे आवेदन में वैकल्पिक आवेदक होना चाहिए जो ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हो ।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(छ) व्यक्तियों का निकाय / व्यक्तियों का संघ ।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(झ) अन्य कोई श्रेणी जिसे ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाए ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जायेंगे ।

IV. न्यूनतम निवेश राशि

आवेदन न्यूनतम रु० 1000/- और उसके बाद रु० 500/- के गुणकों में किया जाना चाहिए । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । यूनिटों का आवंटन भिन्नांक में दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा । रु० 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पी०ए०एन०/जी०आई० आर० संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे ।

V. एकत्र की जानेवाली न्यूनतम लक्ष्य राशि :

प्रारंभिक पेशकश अवधि में योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि रु० 5 लाख होगी । अल्पाभिदान, यदि कोई हो, तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा ।

यदि रु० 5 लाख लक्ष्य राशि का अभिदान न हो, योजना के अंतर्गत एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि को यूनिटों की बिक्री बन्द होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा खाते में देय चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा ।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा ।

6 खर्चों पर सीमा :

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा । योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा ।

प्रारंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
योग	2.25

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर होंगे ।

योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिशत व्ययों को छोड़कर परन्तु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :

(i) प्रथम 100 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर — 2.25%

(ii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर — 2.00%

(iii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर — 1.75%

(iv) आस्तियों के शेष पर — 1.50%

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, सेबी (एम० एफ०) 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के अंतर्गत उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होंगे, नामत :

(i) योजना के प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों का 1.25% जब तक कि शुद्ध आस्तियां रु० 100 करोड़ से अधिक नहीं हो जाती, और

(ii) रु० 100 करोड़ से ऊपर की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत, जहां इस प्रकार परिगणित शुद्ध आस्तियां रु० 100 करोड़ से अधिक हो ।

सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम 1996 के अनुसार, यू० टी० आई० निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है। तथापि यू० टी० आई० द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाए गई सीमा के भीतर ही होंगे।

7. भुगतान विधि :

(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। आवेदन चेक/ड्राफ्ट के साथ सामान्यतः यू०टी० आई० द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यस्थ संस्था के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाए, जिस शहर में स्थित मध्यस्थ संस्थान में आवेदन जमा किया जाता है।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो ।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन, आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण

केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएं । यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगी ।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटें जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है;

(i) यदि आवेदन रु० 1,000/– की न्यूनतम निवेश राशि से कम एवं उसके बाद रु० 500/– के गुणकों में प्राप्त न हुआ हो,

(ii) यदि आवेदन पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो और

(ii) यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो । योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किए जाने के योग्य है :

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि वापस की जाएगी ।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना बाध्यकारी होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख, प्रबंध समिति का यूनिटें खरीदने संबंधी संकल्प, नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाण पत्र आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा । ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी ।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा ।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और शेष वापस करे ।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

VIII यूनिटों की बिक्री :

प्रारंभिक पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी । प्रारंभिक पेशकश अवधि के बाद यूनिटों की बिक्री पेशकश के सप्ताह के तुरंत पिछले मूल्यांकन दिन को फंड के एन० ए० वी० पर की जाएगी । ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री–संविदा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी । बिक्री–संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र सदस्य को उनके विकल्प के अनुसार खाता विवरणी जारी करेगा । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी खाता विवरणी पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम से जारी करेगा । प्रेषित खाता विवरणी के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

ट्रस्ट पेशकश अवधि बंद होने की तिथि से 6 हफ्तों के भीतर जैसा भी मामला हो खाता विवरणी भेजेगा ।

IX यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) प्लान के अंतर्गत पुनर्खरीद प्रारंभिक पेशकश अवधि बंद होने के एक माह बाद प्रारंभ होगी । पुनर्खरीद, प्रत्येक कैलेन्डर माह की 10वीं तारीख से 5 कार्यदिवसों की अवधि के लिए प्रारंभ होगी (कृपया इस संबंध में खंड X भी पढ़ें) । पहले तीन वर्षों के लिए पुनर्खरीद मूल्य एन० ए० वी० पर 2% बट्टे पर एवं उसके बाद एन० ए० वी० पर होगा । यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए लागू एन० ए० वी० की गणना तुरंत पिछले सप्ताह के समान की जाएगी । जब एक बार एन० ए० वी० की घोषणा दैनिक आधार पर कर दी जाती है तब पुनर्खरीद मूल्य दैनिक एन० ए० वी० पर आधारित होगा ।

(2) पुनर्खरीद, लेखा विवरणी सहित पुनर्खरीद पर्ची जो सभी धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मध्यस्थ संस्था द्वारा या अन्य व्यक्ति जिसका नाम, व्यवसाय एवं पता दिया हो विधिवत् सत्यापित प्राप्त होने पर, प्रभावी होगी । पुनर्खरीद आवेदन सामान्यतः मध्यस्थ संस्था के माध्यम से भेजी जाएंगी । आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते सदस्य रु० 1000/– का न्यूनतम शेष कायम रखे ।

(3) पूर्ण रूप से पुनर्खरीद की स्थिति में, ट्रस्ट पुनर्खरीद पर्ची सहित खाता विवरणी प्राप्त होने पर पुनर्खरीद प्राप्तियों पर कोई ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

खाता विवरणी सहित प्राप्त सभी दस्तावेज, निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा रख लिए जाएंगे ।

आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में अपने पास रखे जानेवाले यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए सदस्य को नयी विवरणी जारी की जाएगी ।

(4) सदस्य/सदस्यों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधि क प्रतिनिधि या नामिती द्वारा खाता विवरणी एवं पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) में यथावर्णित रूप में यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा।

(5) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों के मूल्य का भुगतान ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद हेतु अनुरोध-पत्र सहित लेखा विवरणी प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर करेगा (बशर्ते आवेदन ठीक हो)।

आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

X. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबन्ध :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होने के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री एवं पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(ii) आरंभिक पेशकश अवधि के बाद ऐसे किसी दिन के दौरान जो निर्दिष्ट अवधि अर्थात प्रत्येक कैलेन्डर माह के 5 कार्य दिवस जो प्रत्येक माह के 10 वीं तारीख से प्रारंभ होगी, के बीच न आता हो; और

(iii) ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित किसी भी उद्देश्य के लिए सदस्यों की पंजी बंद हो, ऐसी (ट्रस्ट द्वारा यथाधि सूचित) अवधि के दौरान।

स्पष्टीकरण : इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत अधिसूचित हो और न ही

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

XI. खाता विवरणी :

ट्रस्ट जब कभी भी बिक्री एवं पुनर्खरीद सौदे पूर्ण करता है तब वह प्रत्येक बार सदस्यों को खाता विवरणी जारी करेगा। विवरणी, उनके सदस्यता खाते में अदत्त यूनिटों सहित (दशमलव के बाद तीन स्थान तक) निवेश/पुनर्खरीद का विवरण दर्शाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निवेशक हर वर्ष 31 मार्च के बाद जितना जल्दी संभव हो सके, वार्षिक विवरणी प्राप्त करेगा। ऐसे वार्षिक विवरणी में वर्ष के प्रारंभ में फोलियो में धारित निवेशकों के यूनिटों के प्रारंभिक शेष अर्थात फोलियो के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी सौदे जैसे-अतिरिक्त खरीद, प्रतिधान, धारित यूनिटों का अंतिम शेष एवं 31 मार्च को यूनिटों का एन०ए०वी० दर्शाया जाएगा।

XII. सदस्यों की पंजी :

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे;

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता खाता संख्या और हर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो या।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा। किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, के लाभ के लिए यूनिटों हेतु आवेदक के मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में तदनुसार की जाएगी।

(3) केवल पंजीबन्दी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कामकाज के समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य द्वारा उसके स्वयं के निवेश के संबंध में निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रहेगी। ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी।

XIII. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों सहित) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति

से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाण-पत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किए गए कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है। ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

XIV. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

XV सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है । आवेदक एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं एवं प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है ।

(2) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति एच०यू०एफ० और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा ।

अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे ।

सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिटों के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने को मान्यता दी जाएगी ।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी ।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किया जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग X के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।

(4) किसी सदस्य/सदस्यों की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिए पर्याप्त समझे गये साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(5) यदि नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र हो जाता है तो उक्त नामिती/विधिक उत्तराधिकारी को उसकी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से खाता विवरणी जारी किया जाएगा ।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करेगा, मानो वही आवेदक हो । इसके अलावा आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी मामला हो मौजूदा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(7) प्रारंभिक पेशकश अवधि के दौरान एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड (खण्डों) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा ।

आय वितरण :

प्लान का उद्देश्य निवेशकों के लिए पूंजी निर्माण करना है। अत: प्लान के अन्तर्गत कोई आय वितरण नहीं होगा। आय शुद्ध आस्ति मूल्य में दिखाई पड़ेगा।

निवेशकों का बैंक विवरण :

निवेशकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात खाते का प्रकार एवं खाता संख्या एवं बैंक का नाम) दें। पुनर्खरीद-चैक इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। यदि सदस्य का बैंक खाता नहीं है, तब मध्यस्थ संस्था प्रथम आवेदक के रूप में निवेश करेगी एवं पुनर्खरीद चेक, मध्यस्थ संस्था के नाम से जारी किया जाएगा। मध्यस्थ संस्थान के नाम इस प्रकार जारी किया गया पुनर्खरीद चेक, ट्रस्ट को निवेश के संबंध में पूर्ण उन्मोचन की जानकारी देगा एवं ऐसा समझा जाएगा कि ट्रस्ट ने ऐसे सदस्य/सदस्यों के संबंध में उन्मोचन किया है। यदि बैंक के विवरण नहीं दिए जाते हैं तो आवेदन रद्दकरण के योग्य होंगे।

यू०टी०आई०-लघु निवेशक योजना का ब्यौरा (जारी)

III. इस योजना से सम्बन्धित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार बंद होने के मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है।

(2) उधृत डिबेंचरों एवं बाण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उस ब्याज तत्व, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(3) अनोधृत डिबेंचर, बाण्ड और अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर मूल्यांकन किए जाते हैं जो ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित, लिखित के वर्ग निर्धारण पर आधारित है।

(4) कॉल मनी में निवेश, पुनर्बट्टाकृत योजना के अंतर्गत खरीदे गए बिल एवं बैंकों पर अल्पावधि निक्षेप का मूल्यांकन लागत और उपार्जन पर किया जाएगा; अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन आय पर किया जाएगा जिस पर उनका फिलहाल लेन-देन किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु, गैर-व्यापारिक लिखतें अर्थात् वे लिखतें जिनका व्यापार पिछले सात दिनों में न हुआ हो का मूल्यांकन लागत और दिन के प्रारंभ तक उपार्जित ब्याज और प्रतिदिन मूल्य तक लिखतों के परिपक्वता हेतु बाकी अवधि के दौरान एक समान बढ़े मूल्य के बीच अंतर पर किया जाएगा।

(5) अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित बाजार दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाई०टी०एम०) आधार पर किया जाएगा।

(6) उपरोक्त पैरा (1) से (5) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है।

IV. शुद्ध आस्ति मूल्य (एन०ए०वी०) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में से तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। एन०ए०वी०, प्रारंभिक पेशकश अवधि के छ: माह के बाद और उसके पश्चात् साप्ताहिक आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा जब तक कि निधि एक महत्वपूर्ण आकार न ले लेती हो, (जैसा कि ट्रस्ट द्वारा निर्धारित हो) उसके पश्चात् एनएवी की गणना एवं घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी।

V. (क) निवेश उद्देश्य :

योजना का निवेश उद्देश्य मुख्यत: निवेशकों की छोटी निवेश योग्य बचत पर न्यूनतम जोखिम उठाते हुए पूंजी का निर्माण करना है।

योजना के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद सामान्यत: निम्न रूप में निवेश किया जाएगा।

फंड केवल ऋण प्रतिभूतियों अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियां, राजकोष बिल, कार्पोरेट डिबेंचर एवं 'एएए' रेटिंग या उसके समकक्ष वाली कार्पोरेट लिखतों में निवेश करेगी। निवेश का जोखिम तत्व न्यून होगा।

फंड का इक्विटी सम्बन्धी लिखतों में निवेश नहीं किया जाएगा।

मुद्रा बाजार लिखतों के लिए सामान्यत: कोई स्थाई विनियोजन नहीं किया जाएगा।

जब तक कि इस प्लान के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का पूर्ण विनियोजन नहीं हो जाता, तब तक निधियां मुद्रा बाजार लिखतों एवं अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का अल्पावधि निक्षेपों में निवेश किया जाएगा।

उसके पश्चात मुद्रा बाजार लिखतों में न्यूनतम निवेश किया जाएगा ताकि प्लान की तरलता आवश्यकता को पूरा किया जा सके ।

(ख) निवेश नीतियां :

(i) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा, बशर्ते यदि ऋण लिखत का दर्जा निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(ii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिए जाएंगे ।

(iii) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों। स्पष्टीकरण : "स्पाट आधार" का अर्थ स्पाट सौदों हेतु स्टाक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट अर्थ है ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते है ।

(ग) प्लान की असूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यू०टी०आई० के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(iv) योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तरयोजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(v) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में सम्बन्धित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला में लिप्त होना पड़े ।

(vi) ट्रस्ट योजना की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा ।

(vii) योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी ।

परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी ।

(viii) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी ;

(क) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी की कोई असूचिबद्ध प्रतिभूति ; या

(ख) ट्रस्ट को समूह या सहायक कंपनी द्वारा निजि नियोजन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति ; या

(ग) ट्रस्ट की समूह कम्पनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं के शुद्ध आस्तियों के 25 प्रतिशत का आधिक्य है ।

(ग) तथापि, ऊपर खण्ड iii, iv और v (ख) के सम्बन्ध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एम०एफ०) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा ।

VI. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से खाता विवरणी जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से सम्बन्धित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट ने किसी विश्वास को ध्यान में रखा है । ट्रस्ट योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिए आवेदक या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा ।

VII. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

इस योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशनीय होंगी

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25 प्रतिशत ट्रस्ट के डी०आर०एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

डी० आर० एफ० अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से सम्बन्धित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा सम्बन्धित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास सम्बन्धी प्रयासों जिनका दीर्घ कालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित हों तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिफल की दर में कमी होने पर, उनकी पूर्ति करने के लिए भी किया जा सकता है।

IX. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10 प्रतिशत कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप से रखा जाएगा। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

X. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा। ट्रस्ट छः माह अर्थात् 31 दिसम्बर की समाप्ति के दो माह के अंदर अपना आलेखपरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करवाएगा। ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखा, अपरीक्षित अर्ध-वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही पोर्टफोलियो विवरण पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित भेजेगा। ट्रस्ट निवेशिकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिनका सूचित किया जाना आवश्यक हो। ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा।

XI. योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गए परिवर्तन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

जब योजना की मूल विशेषताओं या ट्रस्ट या शुल्क या देय प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए तीन चौथाई से अधिक सदस्यों की सहमति ली जाए :

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन चौथाई सदस्यों ने अपनी सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचित करने को अनुमति है।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है

(i) योजना का प्रकार : अंतराल ऋण योजना।

(ii) निवेश उद्देश्य : जैसा कि पृष्ट 14 पर खण्ड V(क) में उल्लिखित है।

(iii) निर्गम की शर्तें

(क) यूनिटों की पुनर्खरीद जैसा कि पृष्ठ 9 के खण्ड IX में उल्लिखित है एवं योजना की समाप्ति जैसा कि पृष्ठ 18 के खण्ड XII में उल्लिखित है।

(ख) कुल शुल्क एवं व्यय जैसा कि पृष्ठ 6 से 7 पर खण्ड VI में उल्लिखित है।

XII. योजना की समाप्ति :

(क) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(i) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(ii) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(iii) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दें।

(ख) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (क) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है। तो ट्रस्ट योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और

अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(ग) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट—

(i) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(ii) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा ।

(iii) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(घ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(ङ) (i) न्यासी मंडल या योजना के उप खंड (ङ) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(ii) ऊपर दिए गए खण्ड (घ)(i) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टांत में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(च) समाप्ति पूरी होने, परन्तु ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा ।

(छ) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी [म्यूचुअल फंड] विनियम 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(ज) खण्ड XII (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(झ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ विधिवत् रूप से उन्मोचित नवीनतम खाता विवरणी प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । खाता विवरणी पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

XIII. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा। ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चयात्मक, बाध्यकारी और अंतिम होगा । इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

XIV. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

पेशकश दस्तावेज में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन एवं विनियमों की शर्तों के अनुसरण में ही किया जाएगा ।

XV. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान को शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिये इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह इसके लिए सहमत हो कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिये बाध्य हो ।

XVI. सदस्यों को लाभ :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष यदि कोई हो, के

संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

प्लान के सदस्यों का अनुमोदन निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा :

(i) सदस्यों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो; या

(ii) प्लान के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो ;

(iii) जब न्यासियों ने बहुमत से समाप्त करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए; या

(iv) जब कोई परिवर्तन योजना के खण्ड XI में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और देय व्यय में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्लान संशोधित होता हो या सदस्यों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति न ले ली जाए ।

कर मार्गदर्शक

कर रियायतें

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा । वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "यू०टी०आई०एस०आई०एफ०" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत आय पर यदि कोई वितरित की गई हो, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80एल के अंतर्गत रु० 15,000/– तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी ।

इस प्लान के अंतर्गत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा ।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है ।

धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का यू०टी०आई०एस०आई०एफ० में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते पुनर्खरीद आवेदन स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के बाद उपलब्ध हो ।

धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजीगत अभिलाभ का सम्पूर्ण या आंशिक यू०टी०आई०एस० आई०एफ० में निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के योग्य होगी, बशर्ते पुनर्खरीद, आवेदन स्वीकृति की तिथि से सात वर्षों के बाद उपलब्ध हो ।

पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अंतर्गत यूनिटें स्वीकृत प्रतिभूतियां है । अत. यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे ।

सदस्यों के अधिकार :

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है ।

2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभावी रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यास बाध्य होंगे ।

3. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेजों" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है ।

4. सदस्यों को ट्रस्ट के संबंधित शाखा कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तिथि 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां प्रेषित किए जाने का अधिकार है ।

5. प्रारंभिक पेशकश अवधि समाप्त होने की तिथि से छः हफ्तों के भीतर या प्रारंभिक पेशकश अवधि समाप्त होने के बाद जब फंड बिक्री हेतु पुनः खुलता है तब आवेदन स्वीकृति की तिथि से छः हफ्तों के भीतर सदस्यों को खाता विवरणी जारी किए जाने का अधिकार है ।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी, 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट मुंबई–400021 में स्थित ।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें । अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का

पालन करने के लिए सभी गैर-विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यता प्राधिकृत होगा।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं, रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे ।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस० के० कपूर एण्ड कं० 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर–208001 और मैसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिंक स्ट्रीट, कलकत्ता–700069 । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आई डी बी आई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं ।

निवेशकों की शिकायतें

01–05–97 से 30–04–98 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :–

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	869	813	56	6.44%
सीजीजीएफ	6376	6129	247	3.87%
सीजीएम–83	317	265	52	16.40%
सीजीयूएस–91	2358	2332	26	1.10%
सीआरटीएस	270	259	11	4.07%
डीआईपी–91	2607	2570	37	1.42%
डीआईयूपी–93	529	518	11	2.08%
डीआईयूपी–95	1317	1306	11	0.84%
डीआईयूएस–90	1490	1471	19	1.28%
डीआईयूएम–91	1445	1416	29	2.01%
डीआईयूएस–92	1957	1946	11	0.56%
ईओएफ	490	483	7	1.43%
जीसीजीआई	16508	16460	48	0.29%
जीएमआईएस–91	4884	4803	81	1.66%
जीएमआईएस–92	7083	6921	162	2.29%
जीएमआईएस–92 (II)	1548	1297	251	16.21%
जीएमआईएम–बी–92	1988	1828	160	8.05%
जीएमआईएस–बी–92 (II)	1892	1795	97	5.13%
ग्रैंडमास्टर–93	1335	1315	20	1.50%
गृह लक्ष्मी यूनिट प्लान	1946	1782	164	8.43%
आवास यूनिट योजना	239	210	29	12.13%
आईआईएसएफयूएस–95, 96, 97	8	6	2	25.00%
आईईएफ–97	108	96	12	11.11%
मास्टरगेन–92	91148	90604	544	0.60%
मास्टरग्रोथ–93	8861	8826	35	0.39%
मास्टरप्लस–91	12177	11882	295	2.42%

1	2	3	4	5
मास्टरशेयर–86	21682	20875	807	3.72%
एमईपी–91	3981	3952	29	0.73%
एमईपी–92	20667	20417	250	1.21%
एमईपी–93	50665	50531	134	0.26%
एमईपी–94	55811	55753	58	0.10%
एमईपी–95	4330	4278	52	1.20%
एमईपी–96	1499	1468	31	2.07%
एमईपी–97	1407	1393	14	1.00%
एमईपी–98	4	3	1	25.00%
एमआईपी–93	1415	1394	21	1.48%
एमआईपी–94 (I)	2242	2202	40	1.78%
एमआईपी–94 (II)	1495	1484	11	0.74%
एमआईपी–94 (III)	4566	4528	38	0.83%
एमआईपी–95	3721	3617	104	2.79%
एमआईपी–95 (II)	3767	3717	50	1.33%
एमआईपी–95 (III)	3419	3403	16	0.47%
एमआईपी–96	2802	2779	23	0.82%
एमआईपी–96 (II)	2828	2794	34	1.20%
एमआईपी–96 (III)	3293	3235	58	1.76%
एमआईपी–96 (IV)	15707	15618	89	0.57%
एमआईपी–97	10657	10334	323	3.03%
एमआईपी–97 (II)	9602	9274	328	3.42%
एमआईपी–97 (III)	3715	3612	103	2.77%
एमआईपी–97 (IV)	817	751	66	8.08%
एमआईपी–97 (V)	386	241	145	37.56%
एमआईपी–98	25	25	0	0.00%
एमआईएस–बी–93	3258	3213	45	1.38%
एमआईएसजी–90 (I)	6856	6577	279	4.07%
एमआईएसजी–90 (II)	4880	4616	264	5.41%
एमआईएसजी–91	1448	1415	33	2.28%
ओमनी-प्लान	91	82	9	9.89%
प्राइमरी इक्विटी फंड	1893	1791	102	5.39%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3512	3301	211	6.01%
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान	2627	2557	70	2.66%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1443	1406	37	2.56%
यूजीएम–2000	8963	8556	407	4.54%
यूजीएस–5000	3768	3644	124	3.29%
यूलिप	12616	11319	1297	10.28%
यूएस–64	72742	69630	3112	4.28%
यूएस–92	6252	6184	68	1.09%
यूएस–95	2	2	0	0.00%
कुल	530604	519304	11300	2.13%

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलंब ।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र,
जी. डी. सोमानी मार्ग, कफ परेड,
मुम्बई-400005 ।

रजिस्ट्रार

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि खाता विवरणी जारी करना, दावों का निपटान, आंशिक/पूर्ण पुनर्खरीद या सदस्यों के नाम एवं पते में परिवर्तन जैसी बिक्री पश्चात् सेवाएं प्रारंभ में यूटीआई की घाटकोपर शाखा कार्यालय द्वारा संचालित की जाएगी जिसका पता इस प्रकार है :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट,
1ली फंजिल, सागर बोनांजा,
खोत लेन' घाटकोपर (पश्चिम,)
मुंबई–400086
टेलि नं० 5162256

बाद में जैसे ही परिचालन स्थिर हो जाता है, योजना के अन्य केन्द्रों में विस्तारित किया जाएगा ।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वारा नं० 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई–400020 में उपलब्ध रहेंगे :

. यूटीआई अधिनियम
. सामान्य विनियम
. अभिरक्षक के साथ किए गए करार
. पेशकश दस्तावेज यूटीआईएसआईएफ की प्रति

18. देय अध्यवसाय

यूटीआई–लघु निवेशक फंड हेतु नियत तत्परता प्रमाण-पत्र सेबी के पास जमा किया है ।

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

I. पेशकश दस्तावेज का ड्राफ्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचूअल फंड) अधिनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार है ;

II. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त है;

III. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसा पंजीकरण वैध है ।

दिनांक : 5–2–98
स्थान : मुंबई

हस्ताक्षर/–
नाम : बी० एस० पंडित
अनुपालन अधिकारी
मुहर के साथ

XXसंक्षिप्त

(1) पूर्ववर्ती आंकड़े

योजना (आबंटन की तिथि)*	आर यू पी (II) (01-07-94)				
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.86	11.10	12.35	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	1.04	0.84	0.70	0.16
3. लाभांश : (%) प्र० व०	—	—	—	—	—
4. प्रारक्षतों में अंतरण (यदि कोई हो)	—	—	—	—	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.86	11.10	12.35	12.28	10.16
6. वार्षिकीकृत आय (%)	-1.35	5.52	7.82	6.50	1.74
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड में)	104.07	220.09	307.50	356.65	100.08
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.036	0.022	0.011	0.006	0.034

योजना (आबंटन की तिथि)*	आर बी यू पी (26-12-94)				
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95
1. वर्ष के आरंभ में एन ए वी	10.00	9.71	11.63	13.90	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.03	1.17	1.42	0.77	-0.39
3. लभांश में (%) प्र. व०	—	—	—	—	—
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	—	—	—	—	—
5. वर्ष के अंत में एन ए वी	9.71	11.36	13.90	14.81	9.61
6. वार्षिकीकृत आय (%)	-5.62	10.78	15.52	15.95	15.64
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तिया (रु० करोड में)	24.42	72.73	122.43	137.31	1114.09
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.034	0.009	0.007	0.005	0.003

योजना (आबंटन की तिथि)*	पीईएफ-95 (01.08.95)		
	1994-95	1995-96	1996-97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.95	12.28
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	0.67	0.35
3. लाभांश : (%) प्र० व०	—	—	—
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	—	—	—
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	9.95	12.28	12.45
6. वार्षिकीकृत आय (%)	—	24.87	12.79
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	174.23	223.40	227.61
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती में व्यय का अनुपात	0.028	0.012	0.004

वित्तीय जानकारी

प्रति यूनिट

जी यू पी (06-08-94)			एम आई पी-94 (III) (01-01-95)			
1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
0.99	0.47	0.27	0.10	1.17	1.17	0.01
14.00	10.00	—	#12.00	#13.00	13.00	13.00
—	—	—	#0.53	0.13	0.09	—
10.70	10.05	10.33	9.47	9.61	9.69	9.76
11.03	8.44	8.02	1.46	5.75	8.97	9.86
135.45	132.38	136.22	697.94	693.10	682.38	681.56
0.037	0.005	0.002	0.007	0.007	0.120	0.003

31-12-95 तक 12%, 01.01.96-31.03.98 तक 13%

एम ई पी-95 (31-03-95)			यू एस-95 (02-01-95)			
1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
9.61	11.57	11.34	10.00	99.96	102.75	98.70
0.68	0.14	—0.65	2.62	15.94	9.36	5.45
—	—	—	12.00	13.50	12.50	—
—	—	—	—	—	—	—
11.57	11.34	9.77	99.66	102.75	98.70	102.54
12.51	5.97	—0.83	11.54	14.90	12.31	11.52
1339.13	1312.78	1130.66	173.42	209.19	119.70	100.54
0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001

एमआईपी-95 (01.07.95)				
31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
12.45	10.00	10.05	10.35	10.74
—0.20	0.05	1.33	1.12	0.53
—	—	13.00	14.00	14.00
—	0.05	0.24	0.11	—
10.54	0.05	10.35	10.74	10.43
2.25	—	16.54	17.18	15.29
168.87	539.45	77.74	574.73	551.93
0.006	0.001	0.007	0.008	0.003

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी–95 (II) (01.09.95)			आई आई	
	1995–96	1996–97	31–12–97	1995–96	1996–97
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.22	1.30	0.66	1.42	1.58
3. लाभांश : (%) प्र० व०	* 13.50	* 14.00	14.00	15.00	15.00
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	0.35	0.31	—	—	—
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	10.89	11.42	11.29	11.00	10.59
6. वार्षिकीकृत आय (%)	24.27	21.53	19.34	28.40	18.38
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	365.24	366.14	357.71	195.45	182.60
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.008	0.011	0.005	0.005	0.006

* 31–08–96 तक 13.50%; 1–9–96—31–03–98 तक 14.00% ।

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी–95 (III) (01–01–96)			एआईपी–96	
	1995–96	1996–97	31–12–97	1995–96	1996–97
1. वर्ष के आरंभ में एन०ए०वी०	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.79	1.44	0.89	0.24	1.35
3. लाभांश : (%) प्र० व०	14.00	14.00	14.00	14.50	14.50
4. प्रारक्षितों में अन्तरण (यदि कोई हो)	0.16	0.43	—	–0.14	0.28
5. वर्ष के अंत में एन०ए०वी०	10.98	11.80	11.38	10.29	11.05
6. वार्षिकीकृत आय (%)	33.81	26.09	20.90	32.37	23.49
7. अवधि के अंत में शुद्ध वास्तियां (रु० करोड़ में)	443.59	458.39	436.40	238.24	250.67
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.010	0.055	0.004	0.011

योजना (आबंटन की तिथि)	एमएमएमएफ (23–04–97)		एमआईपी–96 (III) (01–10–96)		बीआईपी–91
	1996–97	31–12–97	1996–97	31–12–97	1996–97
1. वर्ष के आरभ में एन०ए०वी०	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.14	0.29	0.90	0.74	1.18
3. लाभांश : (%) प्र०व०	—	—	15.00	15.00	15.00
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	—	—	–0.08	—	0.75
5. वर्ष के अंत में एन०ए०वी०	10.17	10.87	11.04	10.78	11.52
6. वार्षिकीकृत आय (%)	9.17	9.75	29.06	21.23	36.57
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	37.99	113.49	416.50	406.23	241.41
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.001	0.001	0.008	0.005	0.007

एसएफयूएस 95 (01-10-95)	डीआईपी-95 (01.10.95)			एमईपी-96 (31-03-96)		
31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97
10.59	10.00	12.06	13.70	10.00	12.00	12.59
0.76	1.24	1.43	0.84	0.13	0.14	0.06
15.00	—	—	26.00	—	—	—
—	1.24	1.43	—	—	—	—
11.30	12.06	13.70	14.08	12.00	12.59	11.10
20.76	27.48	21 16	23.87	80.20	20.70	6.29
196.42	120.82	134.87	137.58	235.94	247.35	217.98
0.002	0.009	0.008	0.004	0.006	0.007	0.004

	एम०आई०पी०-96 II (01-07-96)			ई०ओ०एफ (01-07-96)		
31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97
11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.66
0.64	0.02	1.24	—0.78	—0.02	0.46	—1.40
14.50	15.00	15.00	15.00	—	—	—
—	—0.11	0.13	—	—	—	—
11.12	9.96	11.2.	11.21	9.98	10.66	9.21
21.22	—	27.34	23.03	—	6.62	—5.28
249.15	385.61	417.80	416.65	23.34	26.10	21.10
0.005	0.003	0.010	0.004	0.003	0.016	0.009

(15-10-96)	आई०आई०एस०एफ०यू०एस०-96 (01-01-97)		एम०आई०पी०-96(IV) (01-01-97)		एम०ई०पी०-97(31-03-97)	
13-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-11-97
11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	12.09
0.74	1.01	0.77	0.67	0.74	0.11	0.42
15.00	16.00	16.00	15.00	15.00	—	—
—	0.05	—	0.02	—	—	—
11.78	11.09	10.79	10.71	10.52	12.09	10.52
29.66	38.25	23.95	29.61	20.27	83.99	6.96
245.60	206.50	199.53	891.29	868.38	88.69	77.16
0.004	0.003	0.001	0.007	0.005	0.006	0.058

योजना (आबंटन की तिथि)*	एम०आई० पी०-97	(01.05-97)	एम०आई० पी०-97 (II)	(01-07-97)	आई० आई०एस० एस०एफ० यू०एस०-97)
	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97
1. वर्ष के आरंभ में एन०ए०वी०	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.25	0.60	0.11	0.47	0.12
3. लाभांश : (%) प्र०व०	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	−0 06	—	0.03	-	—
5. वर्ष के अंत में एन०ए०वी०	10.32	10.20	10.09	10.04	10.14
6. वार्षिकीकृत आय (%)	33.44	16.89	—	14.71	—
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	1195.73	1183.59	1462.16	1504.68	685.15
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.005	0.001	0.005	0.000

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (II) (1-1-98)	एमईपी-98 (31-3-98)	आईआईएसएफयूएस-97(II) (1-2-98)
	31-12-97	31-12-97	31-12-97
1. वर्ष के आरंभ में एन० ए० वी०	10.00	10.00	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.03	0.04	0.04
3. लाभांश : (%) प्र० व०	11.75	—	12.75
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	—	—	—
5. वर्ष के अन्त में एन०ए०वी०	9.98	—	10.04
6. वार्षिकीकृत आय (%)	—	—	—
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	388.00	10.04	321.93
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.000	0.000	0.000

* सतत खुली योजना के लिए शुभारंभ की तिथि दी गई है।

( ) ट्रस्ट की योजनाओं द्वारा उधार लिए जाने का कोई उदाहरण नहीं है।

आईआईएसएफयूएस-97 (01-7-97)	आईईएफ (1-8-97)	एमआईपी-97 (III) (1-9-97)	एमआईपी-97 (IV) (1-11-97)	
31-12-97	1996-97	31-12-97	31-12-97	31-12-97
10.14	10.00	10.00	10.00	10.00
0.47	0.00	-1.19	0.27	0.13
15..00	—	—	13.00	12.50
—	—	—	—	—
10.39	10.00	8.81	9.81	9.85
22.76	—	—28.67	7.26	3.45
701.8	31.28	29.10	839.95	918.31
0.002	0.001	0.010	0.005	0.003

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाइन्स), मुंबई-400 020, दूरध्वनि : 2068468 ।

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : कामर्स सेंटर-1, 28 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005, दूरध्वनि : 2181600 पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001 दूरध्वनि : 2209391, दक्षिणी अंचल : यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600 001, दूरध्वनि : 517101, उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13 वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001, दूरध्वनि : 3329860 ।

पश्चिम अंचल के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : जी पी हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, दूरध्वनि : 6423043 बड़ौदा : मंगलनूर, चौथी और पांचवी मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481, भोपाल : पहली मंजिल, गंगा जमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308, इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796, मुम्बई-(1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400049, दूरध्वनि : 6201995 (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर, सैक्टर 17, वाशी, नवी मुम्बई-400703, दूरध्वनि :

7672607, (3) लांटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लेमेशन, मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2850821 (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एसवी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई-400092, दूरध्वनि : 8020521 (5) सागर बोनोजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086, दूरध्वनि : 5162256, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार बल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893 नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 572166, पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472 पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954 राजकोट : लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112, सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550, ठाणे : यूटीआई हाउस, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)-400601, दूरध्वनि : 5400905 ।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1 ली एवं 2री मंजिल 24, जनपथ, खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर-751001, दूरध्वनि : 410995. कलकत्ता : 2 फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700001, दूरध्वनि : 2209391, दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 546136 गुवाहाटी : हिन्दुस्तान बिल्डिंग, 1 ली मंजिल एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781001, दूरध्वनि : 543131 जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्टुपुर, जमशेदपुर 831001, दूरध्वनि : 425508 पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंजिल एक्जिबिशन रोड, पटना 800001, दूरध्वनि : 235001 सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सरनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 24671.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टावर्स, 26-27, 12वीं मंजिल, पश्चिम विंग, एम. जी. रोड, बंगलोर 560 001. दूरध्वनि : 559 5091. कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम. जी. रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर-641018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालघटगी मेंशन, 4थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली-580020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट हैदराबाद-500195, दूरध्वनि : 511095. चेन्नई : यू. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई चेन्नई-600001. दूरध्वनि : 517101. मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्नम रोड, मदुराई-625001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, लाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426258, तिरुअनंतपुरम : स्वास्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम-695001. दूरध्वनि : 331415. त्रिची : 104, सलाई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली-620003. दूरध्वनि : 760060. त्रिचूर : तिरुचिरापल्ली-620003. दूरध्वनि : 760060. त्रिचूर : 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरन नंबियार रोड, राउंड नार्थ, त्रिचूर-680020. दूरध्वनि : 331259, विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा 520002, दूरध्वनि : 74434 विशाखापट्टनम् : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम 530016, दूरध्वनि : 548121.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002, दूरध्वनि : 54408, इलाहाबाद-यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003, दूरध्वनि : 400521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्पलेक्स, दूसरी मंजिल क्विन्स रोड, अमृतसर-143001, दूरध्वनि : 210367. चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017, दूरध्वनि : 703683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3n राजपुर रोड, देहरादून-248001, दूरध्वनि : 746720n फरीदाबाद : बी-614-617, नेहरू ग्राउंड एनआईटी, फरीदाबाद-121001, दूरध्वनि : 219156, गाजियाबाद : 41 नवयुग मार्केट, सिंचाई गेट के समीप, गाजियाबाद-201001, दूरध्वनि : 790366, जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79ई, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5 पार्क रोड, लखनऊ-226001, दूरध्वनि : 238599, लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141001, दूरध्वनि : 441264, नई दिल्ली : गुलाब 110002, दूरध्वनि : 3318638, शिमला : फ्लैट नं. 401, 402, महेश एपार्टमेन्टस, फिंगास्क एस्टेट, होटल शील के पास, शिमला-171001. दूरध्वनि : 257803. वाराणसी : पहली मंजिल, डी-58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी 221001. दूरध्वनि : 358606 ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 14 जुलाई, 1998

सं० यूटी/डीबीडीएम/आर–121/एसपीडी–102/97–98—भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए यूटीआई–बाण्ड फंड का पेशकश दस्तावेज, जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना, यूटीआई–बाण्ड फंड योजना के संबंध में है, जिसे 27 जनवरी, 1998 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया तथा 10 फरवरी 1998 को परिसंचरण द्वारा संशोधित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी
मुख्य महाप्रबन्धक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

यूटीआई–बाण्ड फंड

पेशकश (आफर) दस्तावेज

पेशकश 04 मई, 1918 से 17 जून, 1998 तक खुली है

यूटीआई—बाण्ड फंड भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, यूटीआई–बाण्ड फंड के संबंध में है।

* प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 एवं परवर्ती संशोधनों के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

प्लान का उद्देश्य

इस प्लान का प्राथमिक उद्देश्य ऋण सूची में निवेश के जरिए पूर्ण तरलता के साथ-साथ बेहतर पूंजी वृद्धि प्रदान करना है।

विशिष्टताएं

* एक सतत खुला विशुद्ध ऋण फंड।
* निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/अवयस्कों/हिंदू अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/कंपनियों एवं बैंकों सहित नियमित निकायों/विदेशी नियमित निकायों (ओसीबी)/सेना/नौसेना/वायुसेना/पैरा मिलिट्री निधियों/भागीदारी फर्म के लिए खुला है।
* यह प्लान केवल पूंजी विकल्प पेश करता है, जहां किए गए निवेश पर सूचीकरण के लाभ के साथ-साथ धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ भी प्राप्त होता है और इस प्रकार अपेक्षाकृत न्यूनतर दर से कर प्रदान करना होता है।
* इस प्लान के तहत कोई आय वितरण नहीं होगा। इस प्रकार उपार्जित आय एवं पूंजी वृद्धि को प्लान में शामिल किया जाएगा और एनएवी में वृद्धि के रूप में दर्शाया जाएगा। फिर भी, बाद में किसी तिथि को ट्रस्ट आय वितरण का विकल्प पेश कर सकता है।
* यह प्लान दिनांक 18–07–98 से निरंतर आधार पर आसान नकदीकरण एवं पुनर्खरीद की सुविधा भी पेश करता है।
* 'नो-लोड' फंड। फंड का आरंभिक निर्गम व्यय ट्रस्ट के विकास प्रारक्षित निधि द्वारा वहन किया जाएगा। कोई बिक्री प्रभार या निकासी भार नहीं होगा। बिक्री एवं पुनर्खरीद एनएवी पर होगी। फिर भी निवेश के एक वर्ष के भीतर की कोई पुनर्खरीद के लिए 1.5% का आस्थगित बिक्री प्रभार होगा।
* योजना का एनएवी भावी होगा और दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।
* पुनर्खरीद प्रतिदान प्राप्तियां एनआरआई तथा ओसीबी के लिए पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय है जहां निवेश विदेशों में विप्रेषण के माध्यम से या एनआरई खाते को नामे करके अथवा एफ सी एन आर जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके किया जाता है।
* योजना के अन्तर्गत पूंजी वृद्धि से दीर्घ अवधि पूंजीगत अभिलाभ पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ।
* फंड के स्रोत पर निर्भर करते हुए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए/54ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट, बशर्ते अवरुद्ध अवधि स्वीकृति तिथि से क्रमश: तीन वर्ष/सात वर्ष की हो।

जोखिम के तत्व

* प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना बाजार की शक्तियों का प्लान के पोर्टफोलियो पर प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि फंड के उद्देश्य प्राप्त कर ही लिए जाएंगे।

पूर्व योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है।

यूटीआई बाण्ड फंड केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले वे पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 33 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 5 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 58,000/- करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है।

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरम्भ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

* मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मण्डल

1. श्री जी० पी० गुप्ता	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. डॉ० पी० जे० नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. श्री एस० गुरुमूर्ति	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
4. श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. श्री एन० एस० सेखसरिया	प्रबन्ध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि०
6. श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
7. श्री जी० कृष्णामूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8. श्री एम० एस० वर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
9. श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आई०सी०आई०सी० आई० लि०
10. श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

यू० टी० आई० बाण्ड फण्ड योजना का ब्यौरा

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना यू० टी० आई० बाण्ड फण्ड योजना कही जायेगी।

(2) यह योजना एक सतत खुली योजना होगी।

(3) यूनिटों की बिक्री 'आरम्भिक पेशकश अवधि' के दौरान 4 मई 1998 से 17 जून 1998 तक 45 दिनों के लिये खुली रहेगी। आरम्भिक पेशकश अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री रु० 10/ के अंकित मूल्य पर की जायेगी।

आरम्भिक पेशकश अवधि के बंद होने के 30 दिनों बाद फण्ड के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री पूर्व पुनर्खरीद, वही बन्दी अवधि को छोड़कर जो कि साल भर में 45 दिनों से अधिक की नहीं होगी, वर्ष भर खुली रखी जायेंगी।

बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल की कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाय, योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

II. परिभाषायें :

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की की बिक्री या पुनर्खरीद के लिये किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के सन्दर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट सन्तुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है। "स्वीकृति तिथि" योजना के अन्तर्गत आवंटन तिथि होगी।

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदन" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता पिता के अलावा उस माता पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और प्लान के खण्ड III के अंतर्गत आवेदन करता हो ।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है ।

(च) "फर्म", "भागीदार" और "भागीदारी" के अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए अर्थ हैं परंतु अभिव्यक्त भागीदार में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, जो नाबालिग हो और जिसे भागीदारी के लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया हो ।

(छ) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उसे आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हो ।

(ज) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति, जो ऐसा मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो ।

(झ) "अनिवासी भारतीय (एन०आर०आई०)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है । जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो ।

(ञ) "जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है ।

(ट) "विदेशी नियमित निकाय" (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कंपनियां, भागीदारी फर्म समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल है ।

(ठ) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(ड) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(ढ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ।

(ण) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है ।

(त) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है ।

(थ) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है ।

(द) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।

(ध) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये है ।

(न) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग सर्वनों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं। इस योजना के अन्य उप-

बंध पृष्ठ सं० 18 से पृष्ठ सं० 27 में दिए गए हैं।

यू०टी०आई० बाण्ड फंड के अन्तर्गत बनाये गए यू० टी० आई० बॉण्ड फंड योजना के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं :

I. परिभाषाएं :

शब्द जो प्लान में परिभाषित नहीं किए गये हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं ।

II. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अन्तर्गत यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा ।

III. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किये जा सकते हैं ।

निकाय

(क) व्यक्ति एकल, या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों/तक संयुक्त दोनों या उत्तरजीवी आधार पर ।

(ङ) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक। बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था जिसमें अप्रति-संहरणीय और लिखित द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल है।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति।

(छ) कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्मित कंपनी सहित अन्य निगमित निकाय।

(ज) बैंक, जिसमें अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी सहकारी बैंक आदि शामिल हैं।

(झ) हिन्दू अविभक्त परिवार।

(ञ) थल सेना/नौ सेना/वायु सेना/पैरा मिलिट्री निधियां।

(ट) भागीदारी फर्म।

अनिवासी पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर :

(क) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त/दोनों या उत्तरजीवी आधार पर।

(ख) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक।

(ग) अनिवासी हिन्दू अविभक्त परिवार।

(घ) अनिवासी कंपनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60 % तक हो।

(2) भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन फर्म के अनधिक तीन सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए तथा ट्रस्ट सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रथम नामित सदस्य को ही सदस्य के रूप में मान्यता देगा।

(3) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष-कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जाएंगे।

IV न्यूनतम निवेश राशि :

आवेदन न्यूनतम 10,000/रुपये के लिए किया जाना चाहिए। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। यूनिटों का आवंटन भिन्नांक में दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा। रु० 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर ए० पी० एन० जी० आई० आर० संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के वार्ड का उल्लेख करे।

V. एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि

योजना के अन्तर्गत 'आरंभिक पेशकश अवधि' के दौरान एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि 10 करोड़ रुपये होगी। अत्यभिदान यदि कोई हो, तो उसे पूरी तरह ट्रस्ट, द्वारा रखा जाएगा।

यदि 10 करोड़ रुपए की लक्ष्य राशि का अभिदान न हो, तो योजना के अन्तर्गत एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा चालू में देय चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

VI खर्चों पर सीमा :

आरंभिक निर्गम व्यय ट्रस्ट के विकास प्रारक्षित निधि द्वारा वहन किया जाएगा एवं योजना पर प्रभारित नहीं होगा। इस प्रकार निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये का समग्र योजना में निवेश किया जाएगा।

आवर्ती व्यय

निम्नलिखित व्यय योजना पर आवर्ती आधार पर भारित होंगे। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	0.30
विकास प्रारक्षित निधि	1.00
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
अभिरक्षण शुल्क	0.30
संसाधन प्रभार	0.25
विपणन एवं विकल्प संवर्धन	0.30
योग	2.25

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परन्तु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :

(i) प्रथम 100 करोड़ रुपए की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों पर	2.25%
(ii) अगले 300 करोड़ रुपए की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों पर	2.00%
(iii) अगले 300 करोड़ रुपए की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों पर	1.75%
(iv) आस्तियों के शेष पर	1.50%

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, सेबी (एम० एफ०) विनियम, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 एवं 3 के अन्तर्गत उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होंगे । नामत :

(i) योजना के लिये प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया दैनिक औसत शुद्ध आस्तियों का 1.25%, जब तक कि शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ से अधिक नहीं हो जातीं, और

(ii) 100 करोड़ से ऊपर की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत, जहां इस प्रकार परिणित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ से अधिक हो ।

(iii) 'नो–लोड' आधार पर शुरू की गई योजनाओं के लिए एक अतिरिक्त प्रबंधन शुल्क, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बकाया दैनिक शुद्ध आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होगा ।

सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के अनुसार, यू०टी०आई० निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है। तथापि, यू० टी० आई० द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाए सीमा के भीतर ही होंगे ।

VII. भुगतान विधि :

(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । यदि आवेदन यू० टी० आई० के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाए, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है ।

लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है । उदाहरणार्थ यदि आवेदन राशि रु० 10,000/– है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु० 20/– है । इस तरह, ड्राफ्ट रु० 9,980/– (रु० 10,000/– में से रु० 20/– घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किंतु, जहां ट्रस्ट का शाखा कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा ।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो । लेकिन आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय, में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए । यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगी ।

(iii) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि :

एन० आर० आई०/ओ० सी० बी० द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा। इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है ।

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट

(ख) विदेशी बैंकों/वित्तिमय गृह द्वारा यू० टी० आई० के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो ।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एन० आर० ई० खाते पर आहरित चेक द्वारा ।

(घ) एफ० सी० एन० आर० जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा ।

इसके अलावा नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है । यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो ।

यदि कोई कमी पड़ती हो, तो उसे एन० आर० आई० निवेशक द्वारा विप्रेषित किया जाएगा ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एन० आर० आई०/ओ० सी० बी० निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें ।

(iv) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि :

जहां एन० आर० ओ० खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके । ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटें जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है :

(i) यदि आरंभिक निवेश रु० 10,000/– के न्यूनतम निवेश से कम है ।

(ii) फोलियों के अंतर्गत उत्तरवर्ती निवेश रु० 500 – से कम हो ।

(iii) यदि आवेदन पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो और ।

(iv) यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट निर्णय अंतिम होगा ।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि वापस की जाएगी ।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए नाबालिग/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाओं, जैसे नाबालिग के मामले में जन्म प्रमाण-पत्र/मानसिक रूप से विकलांग के मामले में नेत्र-चिकित्सक या मन-चिकित्सक का प्रमाण-पत्र, को पूरा करना होगा ।

भागीदारी/सहकारी समितियों/निगमित निकायों/कंपनियों की ओर से यूनिटों के लिए किए गए आवेदन भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रति/समिति के उपनियम/निगमित निकाय का संविधान/योजना में निवेश के लिए अधिकृत करने वाला शासी निकाय के निर्णय के साथ-साथ कंपनी का ज्ञापन एवं संगम-अनुच्छेद के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यूनिटों की पुनर्खरीद के समय, ट्रस्ट का न्यास, विलेख, पुनर्खरीद के लिए अधिकृत करने वाला शासी निकाय का निर्णय, और औपचारिकताएं पूरा करने एवं पुनर्खरीद चेक को प्राप्त करने का संबद्ध अधिकारियों का प्राधिकार भी जमा करना होगा ।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा ।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटानें के बाद समसूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किए गए आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे ।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

8. यूनिटों की बिक्री :

'आरंभिक पेशकश अवधि' के दौरान यूनिटों की बिक्री समसूल्य पर (रु० 10 – प्रति यूनिट) होगी । ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी ।

उत्तरवर्ती पेशकश अवधियों के लिए विक्रय मूल्य, बिना किसी बिक्री प्रभार के अनुप्रयोज्य एनएवी होगा, जो कि दैनिक आधार पर निश्चित किया जाएगा ।

बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र सदस्य को उनके विकल्प के अनुसार सदस्यता सूचना जारी करेगा। निवेदन करने पर यूटीआई यूनिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था फर्म या निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पात्र संस्था/फर्म/निगमित निकाय के नाम से जारी करेगा। इस प्रकार प्रेषित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की आरंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति तिथि या जब फंड आरंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति के बाद पुनः बिक्री के लिए खुलता है तब आवेदन की स्वीकृति से 6 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना भेजने का प्रयास करेगा ।

प्रत्येक सदस्य का एक अलग फोलियो खाता होगा, जिसके अंतर्गत सभी निवेश शामिल किए जाएंगे ।

9. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) अवरुद्ध अवधि अर्थात् आरंभिक पेशकश अवधि के बन्द होने की तिथि से 30 दिनों के बाद पुनर्खरीद की अनुमति होगी। इसके बाद पुनर्खरीद दैनिक आधार पर खुली रहेगी ।

(2) (i) पुनर्खरीद मूल्य बिना किसी बटटा के अनुप्रयोज्य एनएवी होगा, जिसका निर्धारण दैनिक आधार पर किया जाएगा ।

तथापि, निवेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर की गई पुनर्खरीद के लिए सेबी (एमएफ) विनियम, 1996 की बसवी अनुसूची के खंड (ङ) के अनुसार एन एवी के 1.5% के बराबर आस्थगित बिक्री प्रभार होगा । यह आस्थगित बिक्री प्रभार ट्रस्ट के विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में जमा किया जाएगा ।

पुनर्खरीद खाता विवरणी और सदस्यता सूचना/विधिवत उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर प्रभावी होगी । तथापि, यह शर्त होगी कि ट्रस्ट इस वस्तुस्थिति से पूर्णतः संतुष्ट है कि इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है, जिन्हें इसमें उपखण्ड (3) में अधिक विस्तृत रूप से बताया गया है । आंशिक पुनर्खरीद की

अनुमति होगी, बशर्ते इस प्रकार की पुनर्खरीद में सदस्य की धारिता 10,000/- रुपए से कम न हो।

(ii) जैसा कि उपरोक्त उप खण्ड 2 (i) में बताया है, यूनिटधारक पर अपनी यूनिटें पुनर्खरीद हेतु पेश करने की बाध्यता नहीं होगी तथा वह अगर चाहे तो प्लान के चालू रहने के दौरान कितने भी समय तक यूनिटें धारण करने को स्वतंत्र रहेगा।

(3) पुनर्खरीद की संविदा स्वाकृति तिथि समाप्त समझी जाएगी।

ट्रस्ट द्वारा प्राप्त किए गए सभी दस्तावेज रद्दीकरण हेतु रख लिए जाएंगे।

(4) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि या नामिती द्वारा सदस्यता सूचना/खाता विवरणी/यूनिट प्रमाणपत्र, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) यथावर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा।

(5) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान सदस्यता सूचना/खाता विवरणी/पुनर्खरीद स्लिप/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र के प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) ऐसे केन्द्र पर किया जाएगा, जहां पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाते हैं।

(6) आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद राशियां निवेश के स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएगी।

(क) जब यूनिट निवेश से भेजी गई विदेशी मुद्रा/सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशियों से या सदस्य के भारत में रखे अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी गई निधियों से जारी चैक/ड्राफ्ट द्वारा खरीदे गए हों तो सदस्य राशियां विदेशी मुद्रा में (विनिमय दर से उतार-चढ़ाव का वहन सदस्य को करना होगा) प्रेषित की जा सकती हैं या सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जा सकती हैं, बशर्ते सदस्य विदेश रह रहा हो। यदि सदस्य चाहे तो इन राशि को उसके अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भी भेजा जा सकता है।

(ख) जब यूनिट सदस्य के अनिवासी (सामान्य खाते में रखी निधियों से खरीदे गए हों तो राशियां सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जाएंगी।

(8) बैंक विवरण : क्षति/धोखे से गलत जगह पहुंच जाने के कारण चैकों के संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण से सावधानी के तौर पर आवेदकों को यह निवेदन किया जाता है कि आवेदन पत्र सही स्थान पर अपने बैंक खाता का पूर्ण विवरण (अर्थात् खाते का स्वरूप, खाता संख्या एवं बैंक का नाम) प्रदान करें।

तब पुनर्खरीद चेक बताए गए बैंक के नाम उनके खाते में जमा करने के लिए बनाए जाएंगे एवं उनको भेज दिए जाएंगे। सदस्य पुनर्खरीद चेक को कथित बैंक में अपने खाते में जमा कर सकते हैं।

आवेदन में बैंक विवरण नहीं दिए जाने के मामले पुनर्खरीद चेकों को सदस्य (संयुक्त धारिता या दोनों या उत्तरजीविता के आधार पर धारिता के मामले में प्रथम धारक) के नाम जारी किया जाएगा और भेज दिया जाएगा।

ऐसे मामलों में, ठगी एवं जालसाजी के जरिए चेकों के गलत हाथों में पहुंचने से होने वाली क्षति के लिए यूटीआई या उसका बैंकर जिम्मेदार नहीं होगा।

पुनर्खरीद चेकों के कपटपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए निवेशकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में उचित स्थान पर बैंक विवरण प्रदान करें।

(9) सुव्यवस्थित निकासी प्लान

ट्रस्ट इस फंड के अंतर्गत सुव्यवस्थित निकासी प्लान पेश कर सकता है। सुव्यवस्थित निकासी प्लान के अन्तर्गत कोई निवेशक आवधिक अंतराल पर एक निश्चित राशि प्राप्त करने का चयन कर सकता है।

इस प्रकार उन्मोचन के जरिए निकाली गई राशि अनुप्रयोज्य एनएवी पर यूनिटों में बदली जाएगी और ऐसी यूनिटें सदस्य के यूनिट शेष में से घटा ली जाएंगी। यदि शेष (अनुप्रयोज्य एनएवी पर आधारित) रु० 10,000/- से नीचे आ जाए तो फंड, निवेशक के फोलियो को सदस्य को लिखित सूचना देने के 30 दिनों के भीतर बंद कर सकता है।

सुव्यवस्थित निकासी प्रणाली फंड के सदस्य से लिखित सूचना की प्राप्ति पर समाप्त की जा सकती है और यदि खाता की सभी यूनिटें भुना ली जाती हैं या फंड द्वारा सदस्य की मृत्यु या अक्षरता की सूचना प्राप्त होने पर समाप्त हो जाएगी।

बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य

चूंकि यह एक नो-लोड फंड है, बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य अनुप्रयोज्य एन०ए०वी० (भावी) बिना किसी प्रभार या बट्टा के दैनिक आधार पर सुनिश्चित होगा। फिर भी निवेश की तिथि से पहले एक वर्ष के दौरान पुनर्खरीद के लिए एन०ए०वी० पर 15% का आस्थगित बिक्री भार होगा। किसी खास दिन अपराह्न 2 बजे से पहले प्राप्त होने वाले बिक्री एवं पुनर्खरीद के सभी आवेदनों पर लागू एन०ए०वी० उसी दिन का होगा। 2 बजे के बाद प्राप्त होने वाले बिक्री एवं पुनर्खरीद के सभी आवेदनों पर अगले दिन का एन०ए०वी लागू होगा।

XI. यूनिटों की बिक्री एवं पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होने के बावजूद, ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्यदिवस नहीं हों; और

(ii) ऐसी ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित अवधि में जब सदस्यों की पंजी ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित उद्देश्य से बंद हो।

स्पष्टीकरण : इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के योजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही।

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

12. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र/खाते का विवरण :

ट्रस्ट सदस्यता सूचना जारी करेगा/यू०टी०आई० अनुरोध प्राप्त होने पर यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

यूनिट प्रमाणपत्र अंतरणीय है जबकि सदस्यता सूचना अंतरणीय नहीं है। फिर भी, दोनों ही प्लान में निवेशक के शामिल होने के समान रूप से वैध साक्ष्य हैं।

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण की निम्नलिखित विधियों में से कोई एक चुन सकता है :

(क) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर

या

(ख) आवेदक के भारत में स्थित रिश्तेदार के पते पर

खाते का विवरण : हर बार अतिरिक्त यूनिटों की खरीद या उन्मोचन किए जाने पर प्रत्येक सदस्य खाते का विवरण प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 31 मार्च के बाद जैसे ही संभव होगा, खाते का वार्षिक विवरण प्राप्त करेगा। ऐसे वार्षिक विवरण में पिछले वर्ष 1 अप्रैल को निवेशकों के फोलियों में धारित यूनिटों का आरंभिक शेष, फोलियो के संबंध में पिछले 12 महीनों के दौरान होने वाले कुल कारोबार से अतिरिक्त खरीद, उन्मोचन यूनिटों का अंतिम धारित शेष एवं 31 मार्च को यूनिटों का एन०ए०वी० आदि का विस्तृत ब्योरा होगा।

13. सदस्यता सूचना एवं यूनिट प्रमाणपत्र को तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना एवं यूनिट प्रमाणपत्र ऐसे प्रपत्र में होंगे, जैसा कि ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्णा या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और यूनिट ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी व्यक्ति यांत्रिक विधि से लगाया गया होगा। कोई भी यूनिट प्रमाणपत्र जब तक इस रूप में हस्ताक्षरित न हो, वैध नहीं होगा। इस प्रकार हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होगा भले ही उसके जारी होने से पहले कोई व्यक्ति, जिसका हस्ताक्षर उस पर है यूनिट ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो।

किंतु यदि इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होंगे।

14. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय और सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

सदस्यता सूचना

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करें और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जाएंगे/अपेक्षित होंगे।

यूनिट प्रमाणपत्र

यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है, चुरोया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक—

(i) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता ।

(ii) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता ।

(iii) (कटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र के मामले में), ट्रस्ट को ऐसे कटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता और

(iv) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र प्रस्तुत नहीं करता ।

इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा ।

उपरोक्त के बावजूद, योजना के अंतर्गत सदस्य को ऐसे नियमों/विणनिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करना होगा तथा ऐसे दस्तावेज निष्पादित करने होंगे जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा प्रतिपादित/अपेक्षित होंगे ।

XV. सदस्यों की पूंजी

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया ।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा । किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप में विकलांग हो, के लाभ के लिये यूनिटों हेतु आवेदन के रूप में होने वाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में तदनुसार की जाएगी ।

(3) इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, केवल पंजी बंदी को छोड़कर, कामकाज के समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिये पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य द्वारा उसके स्वयं के निवेश के संबंध में निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिये पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिये बन्द नहीं रहेगी । ट्रस्ट समाचार पत्रों में या । अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

XVI. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाण पत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है ।

ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम, उप-विधियां आदि प्रबंध निकाय द्वारा यूनिटों में निवेश प्राधिकृत करने वाले पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

(5) फर्म को सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाण पत्र फर्म के नाम से बनाया जाएगा ।

XVII. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में एकल या प्रथम सदस्य (संयुक्त धारित। या दोनों या उत्तरजीवी आधार के अंतर्गत धारण के मामले में) को प्रदत्त राशि के लिए उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

XVIII. सदस्यों द्वारा नामांकन

(1) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है । आवेदक एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं । अवयस्क तथा अनिवास भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निवासी भारतीय नामित किए जा सकते हैं । प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है ।

(2) सदस्यों को जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा ।

अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे ।

XIX. सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हितधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी ।
लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, नामिती को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी ।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग X के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।

(4) किसी सदस्य/सदस्यों की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिये पर्याप्त समझे गये साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(5) यदि नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती/विधिक उत्तराधिकारी को उसकी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये यूनिटों हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करेगा, मानो वही आवेदक हो । इसके अलावा आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी मामला हो मौजूदा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(7) अवरुद्ध अवधि एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिए गये ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा ।

(8) अ-निवासी सदस्य (सदस्यों) की मृत्यु के मामले में यूनिटों की पुनर्खरीद राशि का विप्रेषण अ-निवासी नामिती अथवा विधिक वारिस/वारिसों को किया जा सकता है बशर्ते :

(क) यूनिटें भारत के बाहर से विप्रेषित निधि में से, भारत में अनिवासी (ई) खाते में धारित निधि में से अथवा एफसीएनआर जमा-राशि में से खरीदी गई हों और

(ख) नामिती भारत के बाहर निवास कर रहा हो/विधिक वारिस भारत के बाहर रहता हो/रहते हों ।

जहां यूनिटें एनआरओ खातों में धारित निधि से खरीदी गई हों, वहां अ-निवासी नामिती अथवा विधिक वारिस (वारिसों) के मामले में, पुनर्खरीद राशि भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के योग्य नहीं होगी ।

जहां नामिती नामांकन के समय निवासी था परन्तु बाद में अ-निवासी बन गया हो, ऐसे दावों के मामले में, राशि के विप्रेषण की विधि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की राय लेनी होगी ।

XX. आय वितरण

प्लान के अंतर्गत सामान्यतः कोई आय का वितरण नहीं किया जाएगा । वृद्धि शुद्ध आस्ति-मूल्य में दिखाई पड़ेगी । हालांकि, ट्रस्ट भविष्य में आय वितरण का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

यूटीआई बाण्ड फंड का ब्यौरा जारी

III. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार बन्द मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है ।

(2) उधृत डिबेंचरों और बाण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है ।

(3) अनोधृत डिबेंचर, बाण्ड और अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर, जैसा कि ट्रस्ट के न्यास मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं ।

(4) अनोधृत वारंट, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, के अन्तर्गत आने वाले शेयरों तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके, लिए जाते हैं । जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(5) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बाण्ड, जहां मिश्र भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हों, के लिए बट्टा काटकर बाजार दर पर किया जाता है । ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया गया हो, किया जाता है । जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है ।

(6) मांग मुद्रा में निवेश, पुनर्बट्टा योजना के अंतर्गत खरीदे गए बिल एवं बैंकों में की गई अल्पकालीन जमाओं का मूल्यांकन लागत एवं प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है, अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन प्रतिफल पर, जो हाल ही में सक्रिय किया जाता है । इस प्रयोजन हेतु गैर व्यापारिक लिखतें अर्थात् वह लिखित जिनका सात दिन की अवधि में कोई सौदा नहीं हुआ हो, का मूल्यांकन लागत और दिन के प्रारंभ से उपचित ब्याज और प्रतिदान मूल्य एवं लिखत के बचे हुए परिपक्वता अवधि के दौरान एक समान बढ़े हुए मूल्य के मध्य अंतर पर किया जाएगा ।

(7) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित बाजार दरों पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर किया जाएगा ।

(8) उपरोक्त पैरा (1) से (7) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है ।

6. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण

योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपबंधों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाएगा । योजना के एनएवी का निर्धारण दैनिक आधार पर किया जा सकता है । प्रेस को एनएवी आरंभिक पेशकश अवधि के बंद होने के 30 दिन बाद और उसके बाद दैनिक आधार पर प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा ।

5. (क) निवेश उद्देश्य

योजना का निवेश उद्देश्य अपेक्षाकृत कम जोखिम सहित पूंजी वृद्धि प्रदान करना एवं ऋण पोर्टफोलियो में निवेश करके निवेशकों को आसान तरलता प्रदान करना है ।

योजना के अन्तर्गत संग्रहीत निधियां ऋण एवं मुद्रा बाजार लिखितों में निवेशित की जाएंगी । निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा ।

ऋण-अधिकतम निर्धारण—100—

मुद्रा बाजार लिखतों के लिए सामान्यतः कोई निश्चत निर्धारण नहीं है ।

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश न्यूनतम रखा जाएगा ताकि प्लान की तरलता की आवश्यकताएं पूरी हो सकें ।

ट्रस्ट, सुरक्षा के ख्याल से अल्प अवधि के लिए आस्ति निर्धारण के विकल्प को बदलने का विकल्प रखता है ।

ऊपर बताए गए निवेश उद्देश्यों के अनुसार योजना की निधियों के प्रतिभूतियों में विनियोजन किए जाने तक ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अल्पावधि जमाओं में कर सकता है ।

(ख) निवेश नीतियां

(i) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा, बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(ii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिए जाएंगे ।

(iii) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों ।

स्पष्टीकरण : 'स्पाट आधार' का अर्थ, स्पाट लेन देन हेतु स्टाक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट अर्थ है ।

(ख) ऐसे अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) प्लान की असूचीबद्ध या उद्धृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(iv) योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तर-योजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो ।

(v) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े ।

(vi) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा ।

(vii) योजना यूनिटों की पुनर्खरीद प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी ।

परन्तु उधार, योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी ।

(viii) योजना इनमें कोई निवेश नहीं करेगी,

(क) ट्रस्ट की सहायक या समूह कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति; या

(ख) ट्रस्ट की सहायक या समूह कंपनी द्वारा निजी नियोजन द्वारा जारी कोई प्रतिभूति, या

(ग) ट्रस्ट की समूह कंपनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूति या जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं की शुद्ध आस्तियों के 25% का आधिक्य है ।

प्लान की प्रतिभूतियों की लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यू०टी०आई० की सहायक संस्था यू० टी० आई० सिक्योरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (यू०टी०आई० एस०ई०एल०) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों । यू०टी०आई० एस०ई०एल० 1994 में स्थापित की गई थी । यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली उच्च तकनीकी कंपनी है । इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है ।

(ग) तथापि, ऊपर खण्ड 3, 4 और 5(ख) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में होगा ।

6. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि, ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान

या किसी सक्षम प्राधिकारी वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या निर्मित न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(2) जब कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट ने किसी विश्वास को ध्यान में रखा है। ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिये आवेदक या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा।

7. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशनीय होंगी :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र (सदस्या सूचना नहीं) परक्राम्य है और जैसा कि इस प्लान के प्रावधानों के खण्ड III में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

(ख) यूनिट धारण करने की क्षमता रखने वाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण संलेख नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे।

(ङ) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता (संयुक्त धारिता के मामले में सभी अंतरणकर्ता) तथा अंतरिती (संयुक्त खरीदी के मामले में सभी अंतरिती) के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा।

(च) ट्रस्ट के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझे, को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में ट्रस्ट छूट देंगे।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे।

(झ) अंतरण को मान्यता देने वाले तथा पंजीकृत करने वाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र और आय वितरण वारंट, यदि कोई हों (मासिक आय विकल्प के मामले में) अंतरिती को जारी करेंगे।

(ञ) यदि कोई अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य, जिसे पर्याप्त समझे, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे।

(ट) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को आय वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा। संयुक्त अंतरितियों के मामले में, यूनिट प्रमाणपत्र के संबंध में, यूनिट प्रमाणपत्र एवं सभी भावी भुगतान, सिर्फ प्रथम सदस्य के नाम किया जाएगा।

8. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 1% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों, जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजन से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रति-

फंड की दर में कमी होने पर उनकी पूर्ति करने के लिए सामूहिक मनी-लोन योजना के लिए विनिर्दिष्ट दरों के लिए भी किया जा सकता है।

IX. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10 प्रतिशत कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल है।

X. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून को छः महीनों के भीतर यथाशीघ्र सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से विज्ञापन के माध्यम से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि के दौरान बनाई गई योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में कार्यों का विवरण होगा। ट्रस्ट अर्धवार्षिकी की समाप्ति अर्थात् 31 दिसम्बर से 2 महीने के भीतर अपरीक्षित लेखा परिणाम प्रकाशित करेगा। ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखा, अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार-चढ़ाव का एक तिमाही पोर्टफोलियो विवरण पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित भेजेगा। ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिनका सूचित किया जाना आवश्यक हो। ट्रस्ट, सदस्यों से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा।

XI. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गये परिवर्धन संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

जब योजना की मूल विशेषताओं या ट्रस्ट या शुल्क या देय प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसा परिवर्तन करने के लिए कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति ली जाएगी :

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचित करने की अनुमति है।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है :

(i) योजना का प्रकार : सतत खुला ऋण फंड।

(ii) निवेश उद्देश्य : जैसा कि पृष्ठ 19 के खंड V (क) में निर्दिष्ट है।

(iii) निर्गम की शर्तें :

(क) यूनिटों की पुनर्खरीद जैसा कि पृष्ठ 11 से 12 के खंड IX में बताया गया है, यूनिटों का अंतरण/गिरवीकरण/समनुदेशन पृष्ठ 21 के खण्ड VII एवं योजना की समाप्ति जैसा कि पृष्ठ 24 से 25 के खंड XII में बताया गया है।

(ख) कुल शुल्क एवं व्यय, जैसा कि पृष्ठ 7 खंड के खंड VI में बताया गया है।

XII. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति

(क) ट्रस्ट योजना और उसके अन्तर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(i) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या,

(ii) योजना के 75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(iii) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दें।

(ख) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (क) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी।

(ग) योजना की समाप्ति सम्बन्धी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट :—

(i) इस योजना से सम्बन्धित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(ii) इस योजना के अन्तर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(iii) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(घ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(ङ) (i) न्यासी मंडल या योजना के उप खंड (घ) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित

आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(ii) ऊपर दिए गए खण्ड (छ) (i) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अन्तर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से सम्बन्धित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में सदस्यों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(च) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिन के कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा ।

(छ) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण जब तक कि समापन पूरा नहीं हो जाता या योजना समाप्त न हो जाती है, के लिए लागू रहेंगे ।

(ज) खण्ड VII (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(झ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र और जारी किया गया अंतिम खाता विवरण प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर, यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाण-पत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

(ञ) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी :

(i) जब यूनिटों की खरीद विदेश से विप्रेषित विदेशी मुद्रा से की गई हो अथवा सदस्य की एफसी-एनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां, सदस्य को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती हैं

(II) जब यूनिटों की खरीद सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता चेक भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा, जिसे सदस्य के एनआरओ लेखा में जमा किया जाएगा ।

XIII. प्रावधानों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा । इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधानों और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

XIV. प्रावधानों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

पेशकश दस्तावेज के प्रावधानों में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद एवं विनियमों की शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा ।

XV. योजना और उसके अन्तर्गत बना प्लान सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह इसके लिए सहमत हो कि योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

XVI. सदस्यों को लाभ :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और

उसके अन्तर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

प्लान के सदस्यों का अनुरोध निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा :

(i) सदस्यों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो; या

(ii) प्लान के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो;

(iii) जब न्यासियों ने बहुमत से समाप्त करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए; या,

(iv) जब कोई परिवर्तन योजना के खण्ड XI में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और देय व्यय में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्लान संशोधित होता हो या सदस्यों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति न ले ली जाए ।

कर मार्गदर्शक

कर रियायतें

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा । वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार इस प्लान के अन्तर्गत उदभूत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा ।

इस प्लान के अन्तर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है ।

धारा 54 ईए के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का यूटीआई-बाण्ड फंड में किया गया निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 ईए के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवीकरण, यूनिटों की आबंटन तिथि से तीन वर्षों की अवरुद्धता के बाद किया जाए/रखे जाएं ।

धारा 54 ईबी के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धा आंशिक शुद्ध राशि का यू टी आई–बाण्ड फंड में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईबी के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण गिरवीकरण, यूनिटों की आबंटन तिथि से सात वर्षों की अवरुद्धता के बाद किया जाए/रखे जाएं ।

पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) (बी) के अन्तर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं । अतः यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अन्तर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे ।

स्रोत पर कर की कटौती नहीं

फंड के अन्तर्गत कोई आय वितरित नहीं की जाएगी, स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं होगी । भविष्य में आय वितरण होने पर प्रचलित कर कानूनों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी ।

आयकर/धन-कर/उपहार-कर/पूंजीगत अभिलाभ कर, अनिवासी भारतीयों/ओसीबी/एफ आई आई द्वारा किए गए निवेशों से सम्बन्धित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम, फेरा और रिजर्व बैंक के निदेशों और अनुमतियों के अनुरूप हैं ।

सदस्यों के अधिकार

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है ।

2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे ।

3. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अन्तर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है ।

4. सदस्यों को ट्रस्ट के सम्बन्धित शाखा कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां भेजे जाने का अधिकार है ।

5. सदस्यों को आरंभिक पेशकश अवधि बंद होने की तिथि से छः हफ्तों के भीतर या आरंभिक पेशकश अवधि बंद होने के बाद जब फंड बिक्री हेतु पुनः प्रारंभ होता है, स्वीकृति की तिथि से छः हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना जारी करने का अधिकार है ।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी, 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं

और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई–400 021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद अंतरण एवं अन्य लेन-देन से सम्बन्धित अभिरक्षा सम्बन्धी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रतिधारात्मक कार्यों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों से सम्बन्धित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षा

मेसर्स एम के कपूर एण्ड कं० 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

निवेशकों की शिकायतें

1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सी०सी०सी०एफ०	874	812	62	7.09%
सी०जी०जी०एफ०	6391	6138	253	3.96%
सी०जी०एस०-83	351	275	76	21.65%
सी०जी०यू०एस०-91	2471	2449	22	0.89%
सी०आर०टी०एस०	239	225	14	5.86%
डीआईपी–91	3111	3094	17	0.55%
डी०आई०यू०पी०-93	521	510	11	2.11%
डी०आई०यू०पी०-95	1396	1388	8	0.57%
डी०आई०यू०एस०-90	1656	1637	19	1.15%
डी०आई०यू०एस०-91	1599	1565	34	2.13%
डी०आई०यू०एस०-92	2080	2028	52	2.50%
ई०ओ०एफ०	527	518	9	1.71%
जी०सी०जी०आई०	20747	20699	48	0.23%
जी०एम०आई०एस०-91	6104	5987	117	1.92%
जी०एम०आई०एस०-92	7966	7776	190	2.39%
जी०एम०आई०एस० 92(II)	1506	1157	349	23.17%
जी०एम०आई०एस०-बी-92	1891	1706	185	9.78%
जी०एम०आई०एस०-बी-92(II)	2079	1989	90	4.33%
ग्रैंडमास्टर-93	1348	1337	11	0.80%
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान	1756	1661	95	5.41%
आवास यूनिट योजना	308	278	30	9.74%
आई०आई०एस०एफ०यू०एस० 95, 96, 97	7	6	1	14.29%
आईईएफ–97	107	87	20	18.69%
मास्टरगेन-92	106189	105573	616	0.58%

1	2	3	4	5
मास्टरग्रोथ-93	8829	8783	46	0.52%
मास्टरप्लस-91	13079	12704	375	2.87%
मास्टरशेयर-86	22129	20848	1281	5.79%
एम०ई०पी०-91	4281	4228	53	1.24%
एम०ई०पी०-92	22161	21743	418	1.89%
एम०ई०पी०-93	54619	54024	595	1.09%
एम०ई०पी०-94	62020	61701	319	0.51%
एम०ई०पी०-95	4695	4656	39	0.83%
एम०ई०पी०-96	1620	1602	18	1.11%
एमईपी-97	1384	1357	27	1.95%
एमईपी-98	3	2	1	33.33%
एम०आई०पी०-93	1454	1428	26	1.79%
एम०आई०पी०-94	2301	2219	82	3.56%
एम०आई०पी०-94(II)	1725	1715	10	0.58%
एम०आई०पी०-94(III)	5412	5373	39	0.72%
एम०आई०पी०-95	4419	4373	46	1.04%
एम०आई०पी०-95(II)	3635	3593	42	1.16%
एम०आई०पी०-95(III)	3851	3821	30	0.78%
एम०आई०पी०-96	3367	3334	33	0.98%
एम०आई०पी०-96(II)	3132	3097	35	1.12%
एम०आई०पी०-96(III)	3692	3643	49	1.33%
एम०आई०पी०-96(IV)	17387	17156	231	1.33%
एम०आई०पी०-97	10295	10091	204	1.98%
एमआईपी-97 (II)	9124	8771	353	3.87%
एम०आई०पी०-97 (III)	3558	3466	92	2.59%
एम०आई०पी०-97 (IV)	720	630	90	12.50%
एम०आई०पी०-97 (V)	184	48	136	73.91%
एम०आई०पी०-98	4	0	4	100.00%
एम०आई०एस०-बी-93	3557	3483	74	2.08%
एम०आई०एस०जी०-90(I)	6754	6389	365	5.40%
एम०आई०एस०जी०-90(II)	4525	4167	358	7.91%
एम०आई०एस०जी०-91	1479	1451	28	1.89%
ओमनी-प्लान	92	82	10	10.87%
प्राइमरी इक्विटी फंड	1819	1755	64	3.52%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3359	3236	123	3.66%
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान	2616	2538	78	2.98%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1397	1368	29	2.08%
यू०जी०एस०-2000	9147	8648	499	5.46%
यू०जी०एस०-5000	3992	3818	174	4.36%
यूलिप	12652	11390	1262	9.97%
यू०एस०-64	74852	71523	3329	4.45%
यू०एस०-92	6150	6111	39	0.63%
यूएस-95	2	2	0	0.00%
कुल	551929	539318	12611	2.28%

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(4) मार्ग में ही खो जाना।

(5) डाक सेवा में विलंब।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्योरा।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बन्धित निवेशक सम्पर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं।

पश्चिमी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1,
28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र,
जी० डी० सोमानी मार्ग, परेड,
मुंबई—400005।
टेली : 218 0172/215 3846

पूर्वी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता—700001।
टेली : 2434581/75

दक्षिणी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई—600001।
टेली : 5260146 विस्तारित : 360/364

उत्तरी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेराल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली—110002।
टेली : 3329860/3311225

रजिस्ट्रार

यह निर्णय लिया गया है कि बिक्री पश्चात सेवाएं जैसे यूनिट प्रमाण-पत्र/सदस्यता सूचना जारी करना, खाता विवरणी, अंतरण, दावों का निपटान, आंशिक/पूर्ण पुनर्खरीद या सदस्यों के नाम व पते में परिवर्तन यूटीआई द्वारा उसके शाखा कार्यालयों द्वारा, जिसे अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है, संचालित किया जाएगा।

ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों के पास आवेदन पत्रों, अंतरण फार्मों एवं पुनर्खरीद आग्रहों की प्रोसेसिंग करने, यूनिट प्रमाणपत्रों/सदस्यता सूचना/खाता विवरणी एवं आय वारंटों, यदि कोई हों, को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं० 1, नर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई—400020 में उपलब्ध रहेंगे :

* यूटीआई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षक के साथ किए गए करार
* यूटीआई बॉण्ड फंड के पेशकश दस्तावेज की प्रति

यूटीआई ने निम्नलिखित नियत तारीख

प्रमाणपत्र सेबी के पास जमा किया है

इस बात की पुष्टि की जाती है कि

I. पेशकश दस्तावेज का ड्राफ्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार है,

II. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त है,

III. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसे पंजीकरण वैध हैं।

दिनांक : 19-03-1908
स्थान : मुंबई

हस्ताक्षर : ह०/-
नाम : टी० एस० पंडित
अनुपालन अधिकारी

मोहर के साथ

पूर्ववर्ती आंकड़े—

पूर्ववर्ती आंकड़े	1993–94					
	एमआईएस	एमआईएसजी 90	जीएम आईएस	जीएमआईएसबी 92	एमआईएसबी 93	एमआईपी 94
	पूल	पूल	पूल	पूल	पूल	पूल
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त;						
(i) निवेशों की बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.99	1.44	1.53	1.63	0.90	0.55
(ii) निवेश के अन्तर योजना विक्रय/अन्तरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	3.26	—	0.35	—	0.10	—
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों की बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.17	0.02	0.04	0.07	0.05	—
(iv) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अन्तरण, प्रति यूनिट						
(ग) कुल व्यय अपलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.10	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	5.33	1.44	1.88	1.64	0.97	0.49
(ङ) वार्षिकीकृत आय (संचयी विकल्प) (अ-संचयी विकल्प)						
(च) निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	−0.12	0.80	1.71	1.00	0.86	0.04
(छ) बाजार मूल्य उच्चतम न्यूनतम पुनर्खरीद मूल्य उच्चतम न्यूनतम बिक्री मूल्य उच्चतम न्यूनतम लाभ उपार्जन अनुपात						
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.65	0.23	0.36	0.45	0.65	0.57
(झ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अन्तरण को छोड़कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए)	36.49	19.95	28.01	23.03	17.41	5.45
(ञ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06

मासिक आय योजनाएं

1994-95								
एमआईपी 94 (II)	एमआईएमजी 90 पूल	जीएमआईएम पूल	जीएमआईएस बी92 पूल	एमआईएसबी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95
10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05
0.05	1.40	1.72	1.64	1.34	0.96	0.67	0.17	0.06
—	—	0.03	0.17	0.08	—	—	0.03	—
—	0.04	0.05	—	—	0.01	0.01	-0.03	—
0.04	0.05	0.06	-0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.01
0.02	1.40	1.74	1.74	1.36	0.90	0.60	0.10	0.05
							2.03	
							1.42	
0.09	0.28	1.00	0.05	0.27	-0.42	-0.40	-0.44	-0.02
0.35	0.46	0.49	0.56	0.55	0.66	0.76	0.69	0.14
1.42	15.49	21.51	16.06	15.47	9.73	2.84	-2.87	0.42
10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05

पूर्ववर्ती आंकड़े—

1995—

पूर्ववर्ती आंकड़े	एमआईएसजी 90 पूल	जीएमआईएम पूल	जीएमआईएसबी 92 पूल	एमआईएसबी 93 पूल	एमआईपी 94
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त :					
(i) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.40	1.74	1.65	1.45	1.60
(ii) निवेश के अन्तर योजना विक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	—	0.05	0.10	0.02	0.11
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों की बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.06	0.51	0.12	0.03	0.08
(iv) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट	—	—	0.04	—	0.01
(ग) कुल व्यय, अपलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.04	0.07	0.07	0.07	0.08
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	1.43	2.22	1.84	1.43	1.70
(ङ) वार्षिकीकृत आय (संचयी विकल्प) (अ-संचयी विकल्प)					
(च) निवेश के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	0.26	0.72	0.41	0.40	−0.39
(छ) बाजार मूल्य					
उच्चतम					
न्यूनतम					
पुनर्खरीद मूल्य					
उच्चतम					
न्यूनतम					
बिक्री मूल्य					
उच्चतम					
न्यूनतम					
लाभ उपार्जन अनुपात					
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.34	0.54	0.60	0.60	0.80
(झ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परंतु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुए)	15.82	22.39	19.30	17.09	17.55
(ञ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44

मासिक आय योजनाएं

98

एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95	एमआईपी 95 (II)	एमआईपी 95 (III)	एमआईपी 96	एमआईपी 96 (II)
9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96
1.15	1.20	1.38	1.19	0.83	0.27	0.05
0.01	0.02	—	—	0.01	0.01	—
0.06	0.03	0.02	0.11	0.02	—	—
—	—	—	—	—	—	—
0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
1.15	1.17	1.33	1.22	0.79	0.24	0.02
−0.42	−0.49	0.06	0.55	0.82	0.43	0.07
0.73	0.75	0.71	0.81	0.58	0.44	0.28
12.61	13.06	14.33	16.97	15.21	6.89	1.16
9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96

पूर्ववर्ती आंकड़े

1996–

*पूर्ववर्ती आंकड़े	*एमआईएस 90 पूल	*जी एमआईएस पूल	*जीएमआई एस बी 92 पूल	*एमआई एसबी 93 पूल	‡एमआई पी 94	एमआईपी 94 (II)	‡एमआईपी 94 (III)
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.85	12.34	13.37	11.53	10.39	9.73	9.69
(ख) सकल आय प्रति यनिट में विभक्त:							
(i) निवेशों की बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.89	3.85	1.63	1.15	1.29	1.15	1.27
(ii) निवेश के अन्तर योजना विक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.16	0.91	0.53	0.06	−0.23	−0.07	−0.03
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों की बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.10	0.72	0.01	0.01	0.02	0.06	−0.00
(iv) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट	−0.00	1.08	0.12	0.00	0.00	0.00	−0.00
(ग) कुल व्यय, अपलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.07	0.27	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	2.08	5.20	2.11	1.15	1.01	1.07	1.17
(ङ) निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	0.07	0.34	0.11	0.27	0.03	−0.03	−0.28
(च) बाजार मूल्य							
उच्चतम							
न्यूनतम							
पुनर्खरीद मूल्य (संचयी विकल्प)				@14.20			12.13
उच्चतम				@13.30			11.15
न्यूनतम							
पुनर्खरीद मूल्य (मासिक विकल्प)				@10.00			9.15
उच्चतम				@10.00			8.80
न्यूनतम							
बिक्री मूल्य उच्चतम							
न्यूनतम							
लाभ उपार्जन अनुपात							
(छ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.65	2.04	0.59	0.65	0.75	0.74	0.79
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़ कर परन्तु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुए)	20.46	44.20	17.67	12.98	10.75	8.31	9.97
(झ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.85	12.34	13.37	11.53	10.39	9.73	9.69

*आंकड़े मूल के अनुसार है, अलग-अलग योजनाओं के अनुसार नहीं

‡आंकड़े अलग-अलग योजनाओं से संबद्ध है

मासिक आय योजनाएं

1997

#एमआईपी 95	#एमआईपी 95 (II)	#एमआईपी 95 (III)	#एमआईपी 96	#एमआईपी 96 (II)	#एमआईपी 96 (III)	#एमआईपी 96 (IV)	#एमआईपी 97	#एमआईपी 97 (II)	#एमआईपी 97 (III)
10.74	11.42	11.80	11.05	11.23	11.04	10.71	10.32	10.09	10.00
1.05	1.22	1.55	1.43	1.28	0.96	0.71	0.31	0.12	0.00
1.17	0.16	0.18	−0.10	0.10	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
−0.02	0.05	0.06	−0.00	−0.02	−0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.00	0.01	0.00	−0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.08	0.13	0.12	0.12	0.12	0.09	0.07	0.06	0.01	0.00
1.12	1.30	1.66	1.40	1.24	0.90	0.57	0.25	0.11	1.00
0.38	0.77	1.24	0.90	1.21	1.12	0.69	0.37	0.12	0.06
12.15	12.60	12.45	11.50	--	--	--	--	--	--
10.85	11.00	11.65	11.50	--	--	--	--	--	--
9.65	10.05	10.40	9.75	--	--	--	--	--	--
9.30	9.45	10.00	9.75	--	--	--	--	--	--
0.76	1.13	1.05	1.11	1.11	0.82	0.66	0.58	0.12	0.04
14.47	19.69	26.63	22.73	24.23	19.16	13.29	6.61	2.34	0.61
10.74	11.42	11.80	11.05	11.23	11.04	10.71	10.32	10.09	10.00

@केवल एमएआईएमवी 93 के अंतर्गत

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स), मुम्बई–400020, दूरध्वनि : 2068468।

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : कामर्स सेंटर–1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005। दूरध्वनि : 2181600। पूर्वी अंचल : 2, फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता–700001। दूरध्वनि : 2209391। दक्षिणी अंचल : यू टी आई हाऊस, 29, राजाजी सलई, चेन्नई–600001। दूरध्वनि : 517101। उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001। दूरध्वनि : 332 9860।

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी जे हाऊस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380009। दूरध्वनि : 6423043। बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा–390015। दूरध्वनि : 332481। भोपाल : पहली मंजिल, गंगा जमुना कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट सं० 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल–1, स्कीम–13, हबीब गंज, भोपाल–462001। दूरध्वनि : 558308। इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम० जी० रोड, इन्दौर–452001, दूरध्वनि 22796। मुम्बई : (1) यूनिट सं० 2, ब्लाक 'बी' गुरुमोहर क्रॉस रोड न० 9, अंधेरी पश्चिम), मुम्बई–400049। दूरध्वनि : 6201995 (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्रा बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुम्बई–400703। दूरध्वनि : 7672607। (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैंक्वे रिक्लेमेशन, मुम्बई–400020। दूरध्वनि : 2850821। (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस० वी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई–400092। दूरध्वनि 8980521। (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई–400086। दूरध्वनि : 5162256। कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी० एस० नं० 511, के० एच०–1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर– 416001। दूरध्वनि : 657315। नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर–440001। दूरध्वनि : 536893। नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम० जी० रोड, नासिक–422001। दूरध्वनि : 572166। पणजी : ई० डी० सी० हाऊस, भूतल, डा० ए० बी० मार्ग, पणजी, गोवा–403001। दूरध्वनि : 222472। पुणे : सदाशिव विहार, तीसरी मंजिल, 1183, फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी रोड, पुणे–411005। दूरध्वनि : 325954। राजकोट : लल्लूभाई सेंटर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट–360001। दूरध्वनि : 35112। सूरत : सैफी बिल्डिंग, ऊब रोड, ननपुरा, सूरत–395001। दूरध्वनि : 434550। ठाणे : यू० टी० आई० हाऊस, स्टेशन रोड, ठाणे (प०)–400601। दूरध्वनि : 5400905।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओ०सी०एच०सी० बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंजिल, 24, जनपथ, खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर–751001। दूरध्वनि : 410995। कलकत्ता : 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता– 700001। दूरध्वनि : 2209391। दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेंटर, दुर्गापुर–713216। दूरध्वनि : 546136। गुवाहाटी : हिन्दुस्तान बिल्डिंग, 1ली मंजिल, एम० एल० नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी–781001। दूरध्वनि : 543131। जमशेदपुर : 1–ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्तूपुर, जमशेदपुर–831001। दूरध्वनि : 425508। पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना–800001। दूरध्वनि : 235001। सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सरणी, सिलीगुड़ी –734401। दूरध्वनि : 424671।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टावर्स, 26–27, 12वीं मंजिल, पश्चिम विंग, एम० जी० रोड, बंगलोर– 560001। दूरध्वनि : 5595691। कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम० जी० रोड, एर्नाकुलम, कोचीन – 682011। दूरध्वनि : 362354। कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस कालेज रोड, कोयम्बतूर–641018। दूरध्वनि : 214973। हुबली : कालबुर्गी मैंशन, 4थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली–580020। दूरध्वनि : 363963। हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5–1–664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद–500195। दूरध्वनि : 4611095। चेन्नई : यू०टी०आई० हाऊस, 29, राजाजी सलई, चेन्नई–600001। दूरध्वनि : 517101। मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई–625001। दूरध्वनि : 38186। मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल–मत्ता रोड, मंगलोर–575001। दूरध्वनि : 426258। तिरुअनंतपुरम : स्वास्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम० जी० रोड तिरुअनंतपुरम– 695001। दूरध्वनि : 331415। त्रिची : 104, सलई रोड, थोरेयूर, तिरुचिरापल्ली–620003। दूरध्वनि : 760060। त्रिचूर : 28/700, वैस्ट पलियामाम बिल्डिंग, करुणा करण नंबियार रोड, राउण्ड नार्थ, त्रिचूर –680020। दूरध्वनि : 331259। विजयवाड़ा : 27–37–156. बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा–520002। दूरध्वनि : 74434। विशाखापतनम : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापतनम–530016। दूरध्वनि : 548121।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा–282002। दूरध्वनि : 54408। इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद–211003। दूरध्वनि : 400521। अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, कचौलस रोड, अमृतसर–143001। दूरध्वनि : 210367। चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एल० आई० सी० बिल्डिंग, सेक्टर 17–बी, चंडीगढ़–160017। दूरध्वनि : 703683। देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, रायपुर रोड, देहरादून–248001। दूरध्वनि : 746720। फरीदाबाद : बी– 614–617, नेहरू ग्राउंड, एन०आई० टी०, फरीदाबाद–121001। दूरध्वनि : 219156। गाजियाबाद : 41, नवयुग मार्केट, सिवानी गेट के समीप, गाजियाबाद–201001। दूरध्वनि : 790366। जयपुर : आनन्द भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर–302001। दूरध्वनि : 365212। कानपुर : 16/79ई, सिविल लाईन्स, कानपुर–208001। दूरध्वनि : 317278। लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ–226001। दूरध्वनि : 238591। लुधियाना : सूर्य–किरन फेस II, 92, दि माल, लुधियाना– 141001। दूरध्वनि : 441264। नई दिल्ली : गुलाब भवन, दूसरी–मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002। दूरध्वनि : 3318639। शिमला : फ्लैट सं० 401, 402, 403, 405, मुकेश एपार्टमेन्ट्स, फिंगस्क एस्टेट, होटल शील के पास, शिमला–171002। दूरध्वनि : 257803। वाराणसी पहली मंजिल, डी–58/2ए–1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी–221001। दूरध्वनि–358606।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 14 जुलाई 1998

सं० यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी–107/आर–121/98–99– भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाए गए मास्टर वेल्यू यूनिट प्लान 1998 का पेशकश दस्तावेज, जिसे 29 अप्रैल, 1998 को हुई, कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था, इसके नीचे प्रकाशित किया गया है।

ए० जी० जोशी
महाप्रबंधक,
व्यवसाय विकास विपणन विभाग

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मास्टर वेल्यु यूनिट प्लान 1998

पेशकश (आफर) दस्तावेज

पेशकश 01 जून 1998 से 30 जून 1998 तक खुली है

यूनिट योजना मास्टर वेल्यु प्लान 1998 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाया गया है। यह पेशकश दस्तावेज योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है जो भावी निवेशक निवेश करने के पहले जानना चाहते हैं। पेशकश दस्तावेज भविष्य के संदर्भ हेतु रखे जाने चाहिए।

योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत है और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

योजना का उद्देश्य

यह एक इक्विटी योजना है। योजना का उद्देश्य बीएसई के बी ग्रुप के शेयरों और इसी तरह के शेयरों में निवेश के जरिए "पूंजी वृद्धि" करना है।

विशिष्टताएं

* यह पांच वर्ष की नियत कालिक इक्विटी योजना है जिसमें आगे 3/5 वर्ष की अवधि के लिए रोल ओवर का विकल्प है।

* यूनिट का अंकित मूल्य रु० 10/– है एवं यूनिटों की बिक्री सम-मूल्य पर की जाएगी।

* न्यूनतम निवेश रु० 5,000/– और उसके बाद रु० 1,000/ के गुणकों में किया जा सकता है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

* यह एक वृद्धि योजना है। इस उद्देश्य के अनुरूप इस योजना के अन्तर्गत कोई आय वितरण नहीं होगा।

* योजना का एनएवी साप्ताहिक अंतरालों पर निर्धारित किया जाएगा।

* योजना अभिदान की समाप्ति से छः माह के भीतर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध की जाएगी।

* आय और पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां एनआरआई तथा ओसीबी के लिए पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय है जहां निवेश विदेशों में विप्रेषण के माध्यम से या एनआरई खाते को नामे करके अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके किया जाता है।

* पूंजी वृद्धि से पूंजीगत अभिलाभ पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 तथा 112 के अन्तर्गत कर लाभ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 ईए के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट, बशर्ते अवरुद्ध अवधि स्वीकृत तिथि से तीन वर्ष की हो।

II. परिभाषाएं

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और योजना के खण्ड 4 के अन्तर्गत आवेदन करता हो।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(च) "फर्म", "भागीदार" और "भागीदारी" के अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए अर्थ हैं, परन्तु अभिव्यक्त भागीदार में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, जो नाबालिग हो और जिसे भागीदारी के लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया हो।

(छ) "सूचीबद्धता" का अर्थ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(ज) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो।

(झ) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है। जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह पितामही में से कोई भी श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो।

(ञ) "जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(ट) "विदेशी निगमित निकाय" (ओसीबी) के अन्तर्गत विदेशी कंपनियां, भागीदारी फर्म, समितियां और अन्य निगमन निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल हैं।

(ठ) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है।

(ड) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिये ली जा सकें।

(ढ) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(ण) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(त) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(थ) "ट्रेडिंग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के थोक ऋण खंड के जरिए यूनिटों के खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है।

(द) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित "मूल्य" का एक अविभक्त शेयर है।

(ध) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(न) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(प) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

(फ) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं।

3. जोखिम के तत्व

- म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और ऐसा कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है कि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा।
- नियत अवधि वाली योजनाओं में निवेश, विरल सौदे/एनएवी पर बट्टा काट कर उक्त की गई यूनिटों का सामान कर सकता है । अतः जैसे कि प्रतिभूतियों में किसी भी निवेश के समान, योजना की यूनिटों का एनएवी पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले कारक एवं शक्तियों के अनुसार ऊपर या नीचे जा सकता है ।
- पूर्व योजनाओं का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है ।
- मास्टर वेल्यू यूनिट प्लान 1998 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता या भविष्य के परिणामों एवं आय की ओर संकेत नहीं करता है ।
- बी ग्रुप के समान प्रतिभूतियों में सामान्य तरलता की कमी के कारण, निवेश उद्देश्य की प्राप्ति में अपेक्षित समय से अधिक समय लग सकता है । चूंकि ऐसे शेयरों का मूल्य बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों एवं शक्तियों पर निर्भर करता है इसलिए उद्धरण के समय ऐसे शेयरों का बाजार मूल्य समभूल्य से नीचे हो सकता है ।

4. यूनिट एवं पेशकश

1. यह योजना मास्टर वेल्यु यूनिट प्लान 1998 (एमवीयूपी '98) कही जाएगी ।

2. यह योजना पांच वर्षों के लिए अर्थात् 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2003 तक के लिए होगी।

3. यूनिटों की बिक्री 1 जून 1998 से 30 जून 1998 तक 30 दिनों के लिए होगी । बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी सन्य युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

4. इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा।

5. यूनिटों के लिए आवेदन :

यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किये जा सकते हैं ।

निवासी,

(i) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त ।

(ii) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं ।

(iii) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल है ।

(iv) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति ।

(v) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(vi) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(vii) कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्मित कंपनी सहित अन्य निगमित निकाय एवं बैंक ।

(viii) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(ix) सेना/नौसेना/वायु सेना/पैरामिलिट्री निधियां ।
(x) भागीदारी फर्म* ।
(xi) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां
(xii) व्यक्तियों का संघ/निगमित निकाय
(xiii) वित्तीय संस्थान
(xiv) निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी

अनिवासी पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर :

(i) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त ।

(ii) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक ।

(iii) अनिवासी हिंदू अविभक्त परिवार ।

(iv) अनिवासी कंपनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो ।

सेबी के पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक

*भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन, फर्म के अधिकतम तीन सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए तथा ट्रस्ट सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रथम नामित यूनिटधारक को ही सदस्य के रूप में मान्यता देगा ।

6. न्यूनतम निवेश राशि

आवेदन न्यूनतम रु० 5,000/- और उसके बाद रु० 1,000/- के गुणकों में किया जा सकता है । कोई/अधिकतम

सीमा नहीं होगी । रु० 50,000/– और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पी/ए०एन/जीआईआर नंबर है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे ।

7. एकत्र की जानेवाली न्यूनतम लक्ष्य राशि

योजना के अंतर्गत एकत्र की जानेवाली लक्ष्य राशि 50 करोड़ रुपए होगी । अत्यभिदान यदि कोई हो, तो पूरा धारित किया जाएगा ।

यदि 50 करोड़ रुपये की लक्ष्य राशि का अभिदान न हो, तो योजना के अंतर्गत एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा खाते में देय चैक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा ।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा ।

8. सूचीबद्धता

अभिदान बंद होने की तारीख से छः माह के भीतर इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट मुंबई स्टाक एक्सचेंज और नेशनल स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए जाएंगे । सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के विनियम 32 के अनुसार सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद शेयर बाजार को सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा ।

9. यूनिट प्रमाणपत्र

ट्रस्ट, स्कीम के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र भेजेगा । यूनिट प्रमाणपत्र अंतरणीय है और निवेशक के योजना में शामिल होने का वैध साक्ष्य है ।

यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में होगा ।

अनिवासी भारतीय सदस्य यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकता है :

(i) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर

या

(ii) आवेदक के भारत में स्थित रिश्तेदार के पते पर

10. यूनिटों का अंतरण गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशनीय होंगी :

(1) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र परक्राम्य है और जैसा कि मद 5 "यूनिट एवं पेशकश" में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तियों, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है ।

(2) यूनिट धारण करने की क्षमता रखने वाले अंतरणकर्ता (संयुक्त धारिता के मामले में सभी अंतरणकर्ता) और अंतरिती (संयुक्त क्रय के मामले में सभी अंतरिती) के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा । किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा ।

(3) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज तथा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्ति किए गये रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते है ।

(4) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण संलेख नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे ।

(5) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट धारक समझा जाएगा ।

(6) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे ।

(7) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नस्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझे, को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे ।

(8) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखित और यूनिट-प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगें,

(9) अंतरण को मान्यता देने वाले तथा पंजीकृत करने वाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाण-पत्र अंतरिती को जारी करेंगे ।

(10) यदि कोई अंतरिति अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटो के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य

जिसे पर्याप्त समझें, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे ।

(11) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को आय वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा ।

11. योजना की समाप्ति :

(i) योजना 30 जून, 2003 को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, यूनिटधारकों के बकाया यूनिटों को उन्मोचित किया जाएगा और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी प्रतिदान मूल्य अर्थात निदान की तिथि को एन ए वी पर की जाएगी । प्रतिदान मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए प्रतिदान मूल्य में वृद्धि या आय के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को अगले 3/5 वर्षों के लिए बढ़ाने ट्रस्ट के अधिकार सुरक्षित हैं । ऐसी स्थिति में यूनिटधारकों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित करने के साथ-साथ ट्रस्ट की किसी सतत खुली योजना में ट्रस्ट द्वारा उस समय निर्धारित की गई शर्तों पर अंतरण कर सके ।

योजना अवधि का अगले 3/5 वर्षों के लिए विस्तार । विनियम 33 के उपविनियम 4 के अनुसार होगा । उपविनियम के प्रावधान हैं :

एक नियत कालिक योजना परिपक्वता अवधि के उपरांत पूरी तरह उन्मोचित होगी ।

बशर्ते नियतकालिक योजना को रोल-ओवर की अनुमति दी जाएगी यदि रोल-ओवर के उद्देश्य, अवधि एवं अन्य शर्तें एवं रोल-ओवर के तुरंत पहले आस्तियों का संभावित निपटान सहित योजना की महत्वपूर्ण जानकारियां, शुद्ध आस्तियां एवं योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य का प्रकटीकरण यूनिटधारकों को और इसकी एक प्रति सेबी को भेजी गई हो ।

बशर्ते इसके आगे, केवल उन्हीं यूनिटधारकों के मामले में रोल-ओवर की अनुमति दी जाए जिन्होंने लिखित में अपनी सहमति दी हो एवं जो यूनिटधारक रोल-ओवर का विकल्प नहीं चुनते हैं या लिखित सहमति नहीं देते हैं उन्हें शुद्ध आस्ति मूल्य पर अपनी धारिताओं का पालन करने की अनुमति दी जाए ।

(ii) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(क) योजना के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 30 जून, 2003 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(ख) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो,

या

(ग) योजना के 75% यूनिट धारकों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(घ) यूनिटधारकों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे ।

(iii) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (ii) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(ix) योजना की समाप्ति सम्बन्धी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट —

(क) इस योजना से सम्बन्धित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा ।

(ग) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिपादन भी बन्द करेगा ।

(v) न्यासी मंडल यूनिट धारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित यूनिट धारकों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

परन्तु यदि योजना परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर समाप्त की जाती है तो बैठक आवश्यक नहीं होगी ।

(vi) (क) न्यासी मंडल या योजना के रूप खंड (v) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से सम्बन्धित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(ख) ऊपर दिए गए खण्ड (vi) (क) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अन्तर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप

से देय हों और ऐसी समाप्ति से सम्बन्धित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिटधारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(VII) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिधारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए किया गया योजना का व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा ।

(VIII) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी [म्यूचुअल फंड], विनियम 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के के लिए लागू रहेंगे जब तक कि कार्यवाही योजना की समाप्ति की पूरी नहीं हो जाती है या योजना समाप्त नहीं हो जाती है ।

(IX) उपरोक्त खण्ड (VII) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(X) ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रियाएं और परिचालन सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र प्रतिदान मूल्य का भुगतान किया जाएगा । यूनिट प्रमाण-पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

(XI) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी :

(क) जब यूनिटों की खरीद विदेश से विप्रेषित विदेशी मुद्रा से की गई हो अथवा यूनिट धारक की एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा यूनिट धारक के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्रतियां, यूनिट धारक को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती हैं ।

(ख) जब यूनिटों की खरीद यूनिट धारक के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता चेक भारत में निवेशकों के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा जिसे यूनिट धारक के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा ।

V. व्यय

(क) पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटें सम-मूल्य पर बेची जाएंगी ।

(ख) (i) योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का प्रारंभिक निर्गम पूर्व व्यय 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	प्रतिशत
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा ।

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं का प्रारंभिक निर्गम व्यय इस प्रकार है :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
एमएमएमएफ	—
एमआईपी–96 (II)	2.51
एमआईपी–96 (III)	2.93
एमआईपी–96 (IV)	2.61
एमआईपी–97	2.57
जीआईपी–91	3.00
ईओएफ	3.76
एमईपी–97	5.56
आई आईएमएफएफएस–96	0.31

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं के सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वारा वहन किए गए व्यय (डीआरएफ द्वारा प्रभारित) इस प्रकार है :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
एमएमएमएफ	0.02
ईओएफ	6.33
एमईपी–97	3.13

(ग) आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय	प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
प्रक्रियात्मक शुल्क	0.75
योग	2.50

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन है। फिर भी, सेबी (म्यूचअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकल निधि की 6% की सीमा के भीतर होंगे।

योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परंतु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :

(i) प्रथम 100 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर 2.50 प्रतिशत

(ii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर —2.25 प्रतिशत

(iii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर —2.00 प्रतिशत

(iv) आस्तियों के शेष पर —1.75 प्रतिशत

प्रशासनिक व्यय विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, सेबी (एमएफ) विनियम, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के अन्तर्गत उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होंगे। नामतः

(i) योजना के लिए प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों का एक और चौथाई प्रतिशत, जब तक कि शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो जातीं, और

(ii) 100 करोड़ रुपए से ऊपर की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत, जहां इस प्रकार परिगणित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक हो।

सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के अनुसार, यूटीआई निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है। तथापि, यूटीआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा के भीतर ही होंगे।

(घ) विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंग होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि को स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983–84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के अस्तित्व के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिफल की दर में कमी होने पर, उनको पूर्ण करने के लिए भी किया जा सकता है।

(ङ) कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट का स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

IV. यूनिटों की बिक्री

1. पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी। ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री संविदा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को उसके विकल्प के अनुसार यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था, फर्म या निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाणपत्र पात्र संस्था/फर्म/निगमित निकाय के नाम से जारी करेगा। इस प्रकार प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

ट्रस्ट प्लान के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 6 हफ्तों के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र भेजने का प्रयास करेगा।

2. भुगतान विधि

(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदक पत्र के साथ नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदन

यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित यूटीआई शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है।

लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिए आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिए देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है। संग्रहण केन्द्रों/विशेष बिक्री कार्यालयों को, स्थानीय देय चेक अथवा उन स्थानों में जहां तक योजना विकेन्द्रीकृत है, देय मांग पत्र के साथ, जिसमें आवेदक, भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभार कम कर सकता हो, आवेदन स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु० 10,000/– है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु० 20/– है। इस तरह, ड्राफ्ट के रु० 9,980/– (रु० 10,000/– में से रु० 20/– घटाकर) लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार योजना के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किन्तु जहां ट्रस्ट का कार्यालय संग्रहण केन्द्र/विशेष बिक्री कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा।

(II) यदि भुगतान चैक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चैक प्राप्ति की तिथि होगा बशर्ते चैक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन, आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। यदि इस योजना के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगा।

(III) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय (यदि कोई हो) तथा पूंजी वृद्धि पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा। इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है :

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट

(ख) विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरआई खाते पर आहरित चेक द्वारा।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है। यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो।

यदि कोई कमी पड़ती हो, तो उसे एनआरआई निदेशक द्वारा विप्रेषित किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें।

(iv) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि

जहां एन आर ओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी।

तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए०डी० (एम०ए० श्रृंखला) सं० 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होंगी।

जबकि इन मामलों में यूटीआई-एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगा, निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर आय का प्रेषण प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से सम्पर्क करें।

3. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(i) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत की जाएंगी ।

(ii) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किए गए कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(iii) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है। ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(iv) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

(v) फर्म को यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और यूनिट प्रमाणपत्र फर्म के नाम से बनाया जाएगा ।

4. आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटें जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है :

(i) यदि आवेदन रु० 5,000/- की न्यूनतम निवेश राशि से कम के लिए प्राप्त हुआ हो,

(ii) यदि आवेदन पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो और

(iii) यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। योजना में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि वापस की जाएगी ।

5. यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा

नाबालिग मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की तरफ से योजना में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाण-पत्र/मानसिक विकलांगता के मामले में मनोचिकित्सक या नेत्र चिकित्सक का प्रमाण-पत्र ।

भागीदारी/न्यासों/सहकारी समितियों/निगमित निकायों/कंपनियां जैसे निकायों की तरफ से यूनिटों के लिए आवेदन के साथ भागीदारी की भागीदारी संलेख की प्रमाणित प्रति-न्यासी का न्यास संलेख/समिति के उपनियम/निगमित निकायों को शासित करने वाला अधिनियम योजना में निवेश करने हेतु प्रबंध समिति को संकल्प के साथ कंपनी के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम । यूनिटों के प्रतिदान के समय औपचारिकताओं के अनुपालन के लिए निकाय के संबंधित अधिकारी/(अधिकारियों) को अधिकृत करने वाले प्रबंध निकाय का संकल्प प्रस्तुत करना होगा ।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी यूनिटधारिता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम यूनिटधारकों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा ।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किए गए आय वितरण को यूनिटों पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे ।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

VI आय एवं वितरण

यह एक वृद्धि योजना है। इस उद्देश्य के अनुरूप इस योजना के अन्तर्गत कोई आय वितरण नहीं होगा। तथापि आय वितरण/बोनस घोषित करने के ट्रस्ट के अधिकार सुरक्षित है ।

निवेशकों के बैंक विवरण

इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा :

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने समाशोधन गृह के जरिये एक नई अवधारणा इलैक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ई० सी० एस०) आरम्भ की है जिससे कागज के लिखतों को जारी करने तथा उनको संभालने की आवश्यकता का निराकरण किया जाये और इस प्रकार ग्राहक सेवा में सुधार करके उसे सुविधाजनक बनाया जा सके। ट्रस्ट द्वारा यह मुख्य रूप से मुम्बई में ऐसे लघु निवेशकों की सहायता करने हेतु आरम्भ किया गया है जिनकी लाभांश से होने वाली आय एक लिखत के अनुसार रु० 1,00,000/— से कम है।

इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशक से अपेक्षित है कि वह ई० सी० एस० हेतु अपना अधिदेश आवेदन पत्र में दिये गये प्रारूप के के अनुसार उसमें सभी विवरण पूरा करके प्रस्तुत करे। इससे ट्रस्ट को निवेशक के संबंधित बैंक खाते में आय की राशि अतिशीघ्र जमा करने में सहायता मिलेगी तथा आय वारन्ट के मुद्रण एवं प्रेषण सम्बन्धी कार्य नहीं करेंगे और वह निवेशकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकेगा। बैंक शाखा सदस्य के खाते में क्रेडिट करेगी तथा पासबुक /खाता विवरण में क्रेडिट प्रविष्टि को "ईसी एस" से निर्दिष्ट करेगी। जो आवेदक यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और पता, खाते का प्रकार और नम्बर, 9 अंकों वाली बैंक एवं शाखा कूट संख्या इत्यादि भरें।

यद्यपि इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या किसी अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो "ई० सी० एस." के अन्तर्गत आय का भुगतान करने के बजाय ट्रस्ट चेक जारी करके आय की अदायगी कर सकता है।

आय वितरण वारन्टों के खो जाने गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर उपरोक्त सुविधा का लाभ नहीं उठाने वाले तथा मुम्बई से बाहर रहने वाले आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिये आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात खाते का प्रकार एवं खाता प्रसंख्या बैंक का नाम) दें। तथा आय वितरण वारन्ट इस प्रकार से निर्दिष्ट किये गये उनके खाते में जमा करने के लिये बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जायेंगे। यूनिट धारक कथित बैंक में अपने खाते में जमा (क्रेडिट) करने हेतु उस आय वितरण वारन्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि बैंक सम्बन्धी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारन्ट यूनिट धारक के नाम से जारी किया जायेगा। चेक के जालसाजी या धोखाधड़ी द्वारा गलत हाथों में जाने से हुई हानि के लिये यू० टी० आई० और बैंकर उत्तरदायी नहीं होंगे।

आय वितरण वारन्ट परिपक्वता चेकों के कपटपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिये सेबी ने निवेशकों के अपने हित में आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर बैंक ब्यौरा भरना अनिवार्य कर दिया है।

अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण

योजना के अन्तर्गत आय मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा की जायेगी। आय के भुगतान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(i) वारन्ट निवेशक के नाम जारी किया जा सकता है सदस्य के एन० आर० ई०/एन० आर० ओ० खाते में जमा करने के लिये उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो।
अथवा

(ii) वारन्ट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी हो तथा उसे भेजा जा सकता है ताकि वह अपने खाते में जमा कर सके।

viii. निवेश उद्देश्य, नीतियां एवं स्टाक उधार देना

1 निवेश उद्देश्य

योजना का उद्देश्य मुख्यत: बी० एस० ई० के बी ग्रुप के शेयरों और उसी तरह के शेयरों में निवेश के जरिये "पूंजी वृद्धि" करना है।

योजना के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारम्भिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद सामान्यत: निम्न रूप में निवेश किया जायेगा।

(i) निधियों का कम से कम 80 निवेश बी० एस० ई० के बी ग्रुप के शेयरों और इसी प्रकार शेयरों में किया जायेगा। ट्रस्ट निम्नलिखित से कोई एक विशेषता वाली अच्छी मध्यम से दीर्घकालिक भविष्य वाली कम्पनियों में निवेश करेगा।

(क) न्यून मूल्य/उपार्जित अनुपात या

(ख) न्यून मूल्य सहित आकर्षक लाभांश देने वाली कम्पनियां

(ग) न्यून मूल्य से बही मूल्य अनुपात या

(घ) अपेक्षाकृत सकबी लेकिन आशाजनक संभावना वाली या

(ङ) सममूल्य/निर्गम मूल्य से नीचे उधृत लेकिन आशाजनक भविष्य वाले शेयर ।

(च) ट्रस्ट के विकल्प के अनुसार आशाजनक भविष्य वाला अन्य कोई शेयर।

(ii) निधियों के 20% तक का इक्विटी और इक्विटी से संबद्ध लिखतों में निवेश किया जायेगा जो वारन्टों, परिवर्तनीय, व्युत्पन्न और मुद्रा बाजार सहित और उल्लिखित श्रेणी में नहीं आते हैं।

न्यूनतम और अधिकतम आस्ति विनियोजन :

बी० एस० ई० के बी ग्रुप और इसी तरह के अन्य शेयर —न्यूनतम 80% अधिकतम 100%

अन्य इक्विटी और इक्विटी संबंद्ध लिखत और मुद्रा बाजार लिखत —अधिकतम 20%

ट्रस्ट, सुरक्षा के ख्याल से अल्प अवधि के लिए आस्ति निर्धारण के विकल्प को बदलने का विकल्प रखता है।

ऊपर बताये गये निवेश उद्देश्यों के अनुसार योजना की निधियों के प्रतिभूतियों में विनियोजन किये जाने तक ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अल्पावधि जमाओं में कर सकता है।

2. पोर्टफोलियो टर्नओवर

जैसा कि निधियों का बी ग्रुप प्रकार प्रतिभूतियों में निवेश किया जायेगा इसलिये पोर्टफोलियो टर्नओवर नगण्य होगी।

3. मूल विशेषताएं

"मूल विशेषताओं" का अर्थ निम्नलिखित है।

(क) योजना का प्रकार: मास्टर वेल्यु यूनिट प्लान 1998 एक नियतकालिक इक्विटी योजना है।

(ख) निवेश उद्देश्य जैसा कि खण्ड VIII (1) में बताया गया है।

(ग) निर्गम की शर्तें: सूचीबद्धता, यूनिटों के प्रतिदान एवं व्यय के सम्बन्ध में इस पेशकश दस्तावेज में प्रावधान है।

योजना की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति से किया जायेगा। आगे मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन होने पर जो यूनिट-धारक अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी यूनिट-धारिताओं का मोचन करने की अनुमति होगी।

बोर्ड समय-समय पर योजना और परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जायेगा।

4. निवेश नीतियां

(i) इस योजना द्वारा कोई वायदा ऋण नहीं दिये जायेंगे।

(ii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामले में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे पंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का जायदा (फैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े।

(iii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अन्तरण ट्रस्ट के नाम से करवायेगा।

(iv) योजना सेबी की स्टॉक उधार देने की योजना के अनुसार प्रतिभूतियों को उधार दे सकती है।

(v) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी:

(क) ट्रस्ट की समूह या सहायक कम्पनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति; या

(ख) ट्रस्ट की समूह या सहायक कम्पनी I द्वारा निजी नियोजन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति; या

(ग) ट्रस्ट की समूह कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं के शुद्ध आस्तियों के 25% का अधिक्य है ।

(vi) प्लान की प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए शेयर दलाली फर्म और यू०टी०आई० की सहायक संस्था यू०टी० आई० सिक्योरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (यू०टी०आई० एस०ई०एल०) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यू०टी०आई० एस०ई०एल० 1991 में स्थापित की गई थी। यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली उच्च तकनीकी कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है।

5. ऐसी योजनाओं की सूची जिनमें कंपनियों ने 31-12-97 को समाप्त अवधि के लिए एक योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक निवेश किया है।

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना आस्ति के 5 प्रतिशत से अधिक धारिता वाली कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि (रु० करोड़)	योजना के कुल शुद्ध आस्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	पी ई एफ 1995	बैंक आफ बड़ौदा	26.43	15.65
2.	ग्रैंड मास्टर	बैंक आफ बड़ौदा	26.56	24.89
3.	आई आई एम एफ यू एस' 96	दी सूरत पीपल्स को० आप बैंक लि० सूरत	21.00	10.52
4.	आई आई एम एफ क्यू एस '97	एच डी एफसी	125.00	17.81
		हिन्दुस्तान लीवर लि०	50.00	7.12
5.	यू टी आई-एम एम एफ	एस एच सी आई एल	28.39	25.02
		यू टी आई बैंक लि०	10.30	9.08
		बी ओ आई म्यूचुअल फंड	9.78	8.62
		अरविन्द मिल्स	9.62	8.48
		ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज	8.5	7.49
6.	यू टी आई-आई ई एफ	आई डी बी आई	10.00	34.37
		आई सी आई सी आई	3.00	10.31
		आई सी आर ए	2.10	7.21
7.	एम आई पी 97 (IV)	ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स	51	5.87
		एच पी स्टेट को-आप० बैंक लि०	47	5.41

31-12-97 को समाप्त अवधि के लिए उस योजना द्वारा या यू टी आई की किसी अन्य योजना द्वारा उस कम्पनी में या उसकी अनुषंगी में सकल आधार पर किया गया निवेश ।

(रु० करोड़ में)

कंपनी का नाम	इक्विटी (लागत)	ऋण (लागत)	मीयादी ऋण	जमा	कुल
1	2	3	4	5	6
अरविन्द मिल्स	100.05	8.27	0.10	0.00	108.42
बैंक आफ बड़ौदा	20.12	0.00	0.00	0.00	20.12
बी ओ आई म्यूचुअल फंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज	32.09	0.00	0.00	0.00	32.09
एच डी एफ सी	299.72	0.00	0.00	145.00	444.72
एच डी एफ सी बैंक लि०	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
हिन्दुस्तान लीवर लि०	648.47	5.85	0.00	—	654.32
एच पी स्टेट को० आप० बैंक लि०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई सी आई सी आई	307.50	1193.18	885.00	45.00	2430.68
आई सी आई सी आई बैंकिंग कारपोरेशन लि०	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05
आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस कंपनी लि०	0.00	33.00			33.00
आई सी आर ए	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
आई डी बी आई	374.50	1097.56	0.00	0.00	1472.06
एस आई डी बी आई (आई डी बी आई अनुषंगी)	0.00	17.86	0.00	0.00	17.86
एस एच सी आई एल	4.96		6.25	0.00	11.21
ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	10.67	0.00	0.00	0.00	10.67
दी सूरत पीपल्स को० आप० बैंक लि० सूरत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यू टी आई बैंक लि०	111.40	0.00	0.00	0.00	111.40

6. तथापि, ऊपर खण्ड VIII (4), XI(1) और XI(2) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों/निवेशों के अनुसरण में होगा ।

IX. अंतर योजना अंतरण

इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों ।

स्पष्टीकरण : "स्पॉट आधार" का अर्थ वही होगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट सौदों के लिए निर्दिष्ट है ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) प्लान की असूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यू०टी० आई० के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

X. संयुक्त सौदे एवं उधार

1. योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तरयोजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो ।

2. योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या यूनिटधारकों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी ।

परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी ।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त है :

(i) ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति जो सरकार या रिजर्व बैंक न हो, ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं परिस्थितियों पर जिस पर वे आपस में सहमत हो उधार ले सकता है ।

(ii) ट्रस्ट रिजर्व बैंक से उधार ले सकता है—

(क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अवर संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार उधार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बॉण्डों की प्रतिभूति के प्रति जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है मांग या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय है ।

(ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट को ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर :

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी समय बकाया इससे ज्यादा न हो—

(क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा न हो एवं

(ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए ।

(iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बॉण्ड के मूल राशि की अदायगी की गारंटी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बाण्ड जारी करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर पर किया जाएगा ।

XI. एनएवी निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन

1. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाएगा । योजना के आरंभ होने के छः माह के बाद और उसके बाद साप्ताहिक आधार पर शुद्ध आस्ति मूल्य समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा ।

2 इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन

(i) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिनों पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है ।

(ii) अनोधृत/गैर-व्यापारिक इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्तियों के पूंजीकरण और बही मूल्य (विश्लेषित मूल्य) के औसत में से 10% घटाकर किया जाता है ।

(iii) अनोधृत वारंट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर, आय तत्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके, लिए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(iv) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बाण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहा परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें आय तत्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर, जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, किया जाता है । जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है ।

(v) मांग मुद्रा में निवेश, बट्टा योजना के अंतर्गत खरीदे गए बिलों एवं बैंक को अल्प अवधि जमाओं का मूल्यांकन लागत और प्रौद्भवन पर किया जाएगा अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन उस मूल्य पर किया जाएगा जिस पर इनका इन दिनों कारोबार किया जाता है। इसी उद्देश्य से गैर व्यापारिक लिखतें अर्थात वैसी लिखतों, जिनका सात दिनों तक व्यापार नहीं किया जाता है, का मूल्यांकन लागत और दिन के आरंभ तक उपचित ब्याज तथा प्रतिदान मूल्य एवं लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि पर एक समान विभाजित लागत के बीच के अंतर के आधार पर किया जाता है ।

(vi) उपरोक्त (i) से (v) तक के अनुसार परिकलित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्य ह्रास, यदि कोई हो को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है।

XII. लेखा नीतियां

1. आय की मान्यता

(i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय भूतपूर्व लाभांश तिथि पर प्रोद्भूत की जाती है । अनूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है ।

(ii) निवेशों पर ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है ।

(iii) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर की जाती है ।

(iv) प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है ।

(v) जब कोई विकास नहीं हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है । विकास के मामले में, पूर्ण हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत में से कम किया जाता है ।

(vi) शेयरों एवं डिबेंचरों में किए गए निवेशों से प्राप्त ऋण सम्बन्धी प्रारम्भिक शुल्क ऐसे निवेशों की लागत में से कम कर दिया जाता है । वितरण के प्रथम वर्ष में ऋण से प्राप्त ऋण सम्बन्धी प्रारम्भिक शुल्क की पहचान आय के रूप में की जाती है ।

(vii) डिबेंचरों, बांडों, के प्रतिदान पर प्रीमियम मुनाफा एवं अन्य विविध आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है ।

(viii) पिछली दो या अधिक तिमाहियों से बकाया ब्याज आय के सन्दर्भ में प्रावधान किया जाता है । एक से अधिक लेखा वर्षों से बकाया लाभांश पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है ।

2. व्यय

(1) व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है ।

(2) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (4) के प्रावधानों द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार न्यासी मण्डल द्वारा निर्धारित आधार पर यूनिट योजना 1964 के अन्तर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का विनिधान अन्य योजनाओं पर किया जाता है ।

(3) नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना, 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के लिए न्यासी मण्डल द्वारा निर्धारित पट्टा किराया अन्य योजनाओं से वसूल करती है ।

3. आस्थगित राजस्व व्यय

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अनुसार, न्यासी मण्डल द्वारा कुछ खास व्ययों को आस्थगित किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

(1) नियत कालिक योजनाओं द्वारा की गई आरम्भिक/अधिकार निर्गम व्यय एवं एजेंटों को कमीशन सम्बद्ध योजनाओं की समयावधि पर समान रूप में बट्टे खाते डाल दी जाती है ।

(2) आरम्भ के वर्ष में नियत कालिक इक्विटी उन्मुख योजनाओं को विनियोजित सामान्य व्यय योजनाओं की समाप्ति के पश्चात बट्टे खाते में डाले जाते हैं ।

(3) जब यूनिटों की पुनर्खरीद की जाती है/पुनः क्रय किए जाते हैं, उस वर्ष प्रभारित एवं अन्य असमाप्त अवधि के लिए आस्थगित राजस्व व्यय (पुनः क्रय किए जाते हैं) उचित रूप से समयोजित किया जाता है ।

4. निवेश

(1) निवेशों का विवरण लागत पर या अवलिखित लागत पर दिया जाता है ।

(2) द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है ।

(3) आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है ।

(4) बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है ।

(5) निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा-कर शामिल है लेकिन स्टाम्प कर शामिल नही है जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है ।

5. निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास

(1) जहां, न्यासी मण्डल की राय में, अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयरों के मूल्य में महत्वपूर्ण कमी होती हो, वहां ऐसे शेयरों की लागत, मामले के अनुरूप, यूनिट प्रीमियम/सामान्य आरक्षित निधि/राजस्व लेखा के बट्टे खाते में डाल दी जाती है ।

(2) ऐसे मामले, जहां न्यासी मण्डल की राय में, पिछले वर्षों में बट्टे खाते में, डाले गए निवेश की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ हो इसे फिर से मूल बही मूल्य में प्रतिलेखित कर दिया जाता है ।

(3) अन्य सभी निवेशों, जैसे डिबेंचरों एवं बांडों, प्रतिभूत/अप्रतिभूत अन्तरणी नोटों, मियादी ऋणों एवं जमाओं जिन्हें अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, के मामले में यदि पिछले 180 दिन या उससे अधिक से ब्याज की अदायगी नहीं की गई हो, तो राजस्व लेखा से प्रावधान किए जाएंगे । ये प्रावधान प्रत्येक अनुपयोज्य आस्ति के लिए अलग-अलग बनाया जाता है न कि उसी कम्पनी की अन्य उपयोगी अस्तियों के लिए ।

(4) अनुपयोज्य आस्तियों का प्रावधान आस्तियों के अनुपयोज्य रहने की अवधि के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है :

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	प्रतिभूत आस्ति	अप्रतिभूत आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(5) जहां मूलधन की वापसी अदायगी (i) मियादी ऋणों के मामले में दो किस्तों तक, और (ii) अन्य ऋण निवेशों/जमाओं के मामले में एक किस्त तक बकाया रहती है, ऐसी बकाया किस्तों के लिये प्रावधान उपरोक्त सारणी में उल्लिखित प्रतिशत तक या भुगतान नहीं की गई राशि (अप्रतिभूत आस्तियों के लिये 100% तक एवं प्रतिभूत के लिये 50% तक) जो भी अधिक हो, तक सीमित है ।

(6) बकाया ब्याज के पूंजीकरण के जरिये, ब्याज के निधीयन के मामले में, निधिक ब्याज, बाकीदारी की अवधि से असम्बद्ध रूप से पूरी तरह अदा कर दी जाती है ।

(7) उपरोक्त (iv), (v) एवं (vi) के सन्दर्भ में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रावधान, मामले के अनुसार, यूनिट प्रीमियम/सामान्य आरक्षित निधियां/राजस्व लेखा में प्रभारित कर के किया जाता है ।

6. नियत आस्तियां :

(1) नियत आस्तियों का विवरण पूर्ववर्ती लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर दिया जाता है ।

(2) लेखा वर्ष में छः माह से कम अवधि से धारित आस्तियों, जहां मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों के आधे पर किया जाता है, के अतिरिक्त मूल्यह्रास मूल्यह्रासित विधि से निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाता है—

(क) भवन एवं परिसर 5%

(ख) फर्नीचर एवं जुड़नार 10%

(ग) कार्यालय उपकरण, भवन विकास, कंप्यूटर एवं मोटर वाहन 33.33%

(घ) पट्टाधृति भूमि पट्टे की अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

(ङ) 8 वर्षों से अनधिक अवधि के लिये पट्टा पर लिये गये परिसर में भवन विकास को असमाप्त अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया जाता है और अन्य मामलों में 33.33% की दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

नियत आस्तियां, जिन्हें इंस्टाल किया जाता है और जिनका उपयोग किया जाता है का विवरण देयताओं के अन्तिम निपटारे के लम्बित रहने पर, अनुमानित आधार पर दिया जाता है।

7. यूनिटों का पुनः क्रय

शेयर बाजार में सूचीबद्ध एवं खुले बाजार के क्रियाकलाप के जरिये प्रतिदान के लिये पुनः क्रय की गई योजनाओं की यूनिटें व्यापार-तिथियों पर हिसाब में ली जाती है। अभिग्रहण लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अन्तर को राजस्व विनियोग लेखा से प्रभारित किया जाता है। रजिस्ट्रारों से सूचना की प्राप्ति पर शोधित यूनिटों का अंकित मूल्य यूनिट पूंजी में से घट दिया जाता है।

8. आय वितरण :

न्यासी मण्डल द्वारा निर्धारित विधि से आय वितरण का प्रावधान किया जाता है।

वे योजनायें, जिनके अन्तर्गत यूनिटें प्रीमियम पर या अंकित मूल्य पर बट्टा देकर बेची जाती हैं, को छोड़कर सभी योजनाओं के अन्तर्गत पूंजीकरण के लम्बित रहने पर आवेदन राशि पर आय वितरण के लिये प्रावधान किया जाता है।

9. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन :

31 दिसम्बर को अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को 2 महीनों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा और 30 जून को लेखा परीक्षित वार्षिक परिणामों को खातों के पूर्ण होने के छः माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक और एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किये जायेंगे।

XIII. निवेशों का कर में निरूपण

1. कर रियायतें

प्लान के अन्तर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा। "एम० बी० यू० पी० '98" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अन्तर्गत (जब कभी घोषित की जाये)। यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अन्तर्गत रु० 15,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी।

इस योजना के अन्तर्गत निवेश से होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिये गये निदेशों के अधीन होगा।

इस योजना के अन्तर्गत यूनिटों में किये गये निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है।

2. धारा 54 ई ए के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अन्तरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमबीयूपी 98 में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ई ए के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते पुनर्खरीद/अन्तरण/गिरवीकरण, यूनिटों की आबंटन तिथि से तीन वर्षों के बाद किया जाये रखा जायें।

3. पात्र ट्रस्टों के लिये

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) (बी) के अन्तर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अतः यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अन्तर्गत आय और निधि के लिये आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

4. स्त्रोत पर कर की कटौती

निवासी

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194 के, के अधीन ट्रस्ट द्वारा व्यक्तिगत यूनट धारकों, एच० यू० एफ०, भागीदारी फर्मों और अन्य निवेशक जो कम्पनी नहीं हो को देय आय पर 15% की दर से स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जायेगी, बशर्ते आय वितरित की जाये और ऐसी आय वित्तीय वर्ष के दौरान रू० 10,000/- से अधिक हो।

इसी प्रकार कम्पनियों को देय आय से स्त्रोत पर 20% की दर से कर की कटौती की जायेगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु० 10,000/- से अधिक हो।

अनिवासी

आय वितरण के मामले में स्त्रोत पर कर की कटौती निम्नानुसार होगी :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196ए को अनिवासी द्वारा यूटीआई की किसी भी योजना के यूनिटों के सन्दर्भ में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती किये जाने हेतु प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जिन्हें उन्होंने अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी करके अर्जित किया हो।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी, 1996 के परिपत्र सं० 734 एफ० सं० 500/4/96-एफ०टी०सी० के अनुसार यू० ए० ई०

ई० में रहने वाले अनिवासी सदस्यों को दोहरे कराधान से बचाव हेतु, जहां निधि का स्रोत एन आर ओ खाता है, स्रोत पर 15% की रियायती दर से कर कटौती की जायेगी।

5. कर कटौती नहीं

निवासी :

सदस्य (कम्पनी या फर्म को छोड़कर) जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहते हैं उन्हें ट्रस्ट को लिखित रूप से निर्धारित फार्म सं० 15 एच पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिये और उसे इस आशय की निर्धारित रीति से सत्यापित किया जाना चाहिये कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय पर आय कर नियमों के अनुरूप कर शून्य होगा। स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने सम्बन्धी निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय वितरण वारन्टों बोनस यूनिटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किये जाने चाहिये, ऐसा न करने पर प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर कटौती की जायेगी।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10 (22 ए) अथवा 10 (23) अथवा 10 (23एए) अथवा 10 (23 सी) के अंतर्गत आने वाले पात्र ट्रस्टों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उन पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

अनिवासी

अनिवासियों के मामले में, यदि यूनिटों की खरीद सीधे विदेशी मुद्रा के विप्रेषण के जरिए अथवा भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते के जरिए अथवा एफ सी एन आर जमाओं की राशि से की गई है तो ऐसे यूनिटों से प्राप्त आय पूर्णतया आयकर से मुक्त है।

उपरोक्त मामले में यूटीआई स्रोत पर कर की कटौती नहीं करेगा, भले ही आय की राशि कितनी भी हो।

आयकर/धन–कर/उपहार–कर/पूंजीगत अभिलाभ कर, अनिवासी भारतीयों ओसीबी/एफआईआई द्वारा किए गए निवेशों के संबंधित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम, फेरा और रिजर्व बैंक के निर्देशों और अनुमतियों के अनुरूप हैं।

XIV. निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं

1. योजना के अधीन यूनिट धारकों को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा घोषित आय या बोनस, यदि कोई हो, में समानुपातिक अधिकार है।

2. यूनिट धारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा यूनिट धारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. यूनिट धारकों को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से 6 सप्ताहों के भीतर यूनिट प्रमाण पत्र जारी किए जाने का अधिकार है।

4. यूनिट धारकों को अधिकार है कि जिस कार्यालय में पुनर्खरीद आग्रह संसाधित किए जाते हैं वहां से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते कि आवेदन सही हो) पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां उन्हें भेजी जाएं।

5. आय की घोषणा होने के मामले में यूनिटधारकों को अधिकार है कि आय घोषित किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर आय वितरण वारंट उन्हें भेजे जाएं।

6. संबद्ध लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह के भीतर सभी यूनिटधारकों को मास्टर वेल्यू यूनिट प्लान 1998 के संबंध में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष में निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी और यूनिटधारक के अनुरोध पर नाम मात्र शुल्क पर, यदि कोई हो उपलब्ध कराई जाएगी।

7. यूनिट धारकों को केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं० 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई–400 020 में रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है :

- यू० टी० आई० अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
- पेशकश दस्तावेज एमवीयूपी '98 की प्रति

8. विशेष परिस्थितियों में यूनिटधारकों की स्वीकृति डाक द्वारा प्राप्त की जाएगी।

XV. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन

यूटीआई की स्थापना

यू०टी०आई० अधिनियम 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरम्भ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1.	श्री जी० पी० गुप्ता	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	डा० पी० जे० नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3.	श्री एस० गुरुमूर्ति	कार्यपालक निदेशक, रिजर्व बैंक
4.	श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5.	श्री एन० एस० सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि०
6.	श्री पी०आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
7.	श्री जी० कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री एम०एस० वर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
9.	श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आई०सी०आई०सी०आई० लि०
10.	श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

*वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकाएं इस प्रकार हैं :

1. श्री जी० पी० गुप्ता—(i) नियंत्रण समिति के अध्यक्ष—यू टी आई-इंस्टीच्यूट आफ कैपिटल मार्किट (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक—भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेशक सलाह सेवाएं लिमिटेड, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेशक सेवाएं लिमिटेड, इंडिया फंड, इंडिया ग्रोथ फंड, इंडिया एक्सेस लि०, ओवर द काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया (ओ टी सी) एवं इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड लि०, (iii) निदेशक-यू टी आई बैंक लि०, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम एवं भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि०, (iv) अध्यक्ष—यू टी आई सिक्यूरिटीज एक्सचेंज लि० एवं कोलम्बस इंडिया फंड, (v) सदस्य—भारतीय जीवन बीमा निगम।

2. डॉ० पी० जे० नायक—(i) नियंत्रण समिति के सदस्य—यू टी आई इंस्टीच्यूट आफ कैपीटल मार्केट यू टी आई, (ii) निदेशक—भारतीय यूनिट ट्रस्ट आई एस एल, यू टी आई ए एस लि०, भारतीय म्यूचुअल फंड संघ एवं नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजीटरी लि०।

3. श्री एस० एच० खान—निदेशक—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आई डी बी आई बैंक लि० एवं बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कं० लि०।

4. श्री एन० एस० सेखसरिया—निदेशक—श्री अरबुदा मिल्स लि०, गुजरात वेंचर फाइनेंस लि०, राधा माधव इन्वेस्टमेंट लि० एवं गृह फाइनेंस लि०।

5. श्री पी० आर० खन्ना—निदेशक—एस बी आई कैपिटल मार्केट लि०, गोपी रब्बर लि०, टेलिमैकनिक एवं कंट्रोल (इंडिया) लि०, डी सी एम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि०, गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लि०, इंडैग रबर लि०, टोयो प्राई० लि०, मार्केटिंग रिसर्च ग्रुप प्राई० लि० एवं सीता हॉलिडे रिसोर्ट लि०।

6. श्री जी० कृष्णमूर्ति—(i) अध्यक्ष—एल आई सी (अंतराष्ट्रीय) ईसी, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस लि० एवं जीवन बीमा सहयोग आस्ति प्रबन्धन कंपनी (ii) अध्यक्ष—भारतीय साधारण बीमा निगम, कोनिन्डिया एन्श्यूरस कं० लि०, भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह, भारतीय रेल वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम एवं राष्ट्रीय आवास बैंक।

7. श्री एम० एस० वर्मा (i) अध्यक्ष—एस बी आई कैपीटल मार्केट लि०, एस बी आई फंड मैनेजमेंट (प्रा०) लि०, एस बी आई गिल्ट्स लि०, एस बी आई सिक्यूरिटीज लि०, एस बी आई यूरोपियन बैंक लि०, एस बी आई फैक्टर्स एवं कमर्शियल सर्विसिज प्रा० लि०, स्टेट बैंक आफ इंदौर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया) एवं स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा) (ii) उपाध्यक्ष—भारतीय बैंकर संस्थान (नियंत्रण समिति), (iii) निदेशक—राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक एवं साधारण बीमा निगम, (iv) सदस्य—राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (नियंत्रण समिति के सदस्य एवं कैम्पस समिति एवं वित्त समिति के अध्यक्ष), बैंकिंग कर्मचारी चयन समिति (नियंत्रण समिति के सदस्य, वित्त समिति के अध्यक्ष) एवं भारतीय बैंक संघ (प्रबन्धन समिति के सदस्य)।

8. श्री एन० वाघुल—(i) अध्यक्ष—भारतीय तकनीकी विकास सूचना कंपनी लि०, बंगलौर, भारतीय सारव निर्धारण सूचना सेवा लि०, भारतीय विदेश प्रशिक्षण संस्थान, कंसबहुल एवं 20 सेंचुरी वेंचर कैपिटल कारपोरेशन, (ii) निदेशक—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कलकत्ता, आवास विकास वित्त निगम एवं भारतीय मितीकाटा एवं वित्त गृह लि०।

9. श्री रशीद जिलानी—(i) निदेशक—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि०, निक्षेप बीमा एवं प्रत्य गारन्टी निगम, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय कृषि वित्त निगम लि०, पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, ओरिएंटल

इंश्योरेंस कं० लि०, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्था, पुणे, भारतीय बैंक संस्थान एवं भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली, (ii) अध्यक्ष—भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष—स्विफ्ट यूसर्स ग्रुप, इंडिया (iv) सदस्य—स्विफ्ट-एशिया पेसेफिक एडवायज़री फंड काउंसिल ।

निधि का प्रबन्धन—निधि प्रबन्धक श्री वी० जी० डागा, मुख्य महाप्रबन्धक होंगे ।

योग्यता : (i) एम कॉम, (ii) महाराष्ट्र सरकार का सरकारी वाणिज्यिक डिप्लोमा (iii) सर्टिफाइड कार्पोरेट सेक्रेटरी, कारपोरेशन ऑफ सेक्रेटरीज, लंदन, (iv) एसोसिएट इंटरनेशनल एकाउन्टेन्ट, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एकाउन्टेंट, लंदन, (v) कारपोरेशन में डिप्लोमा, भारतीय बैंकर संस्थान, मुम्बई और (vi) सी ए आई आई बी ।

अनुभव एवं पृष्ठभूमि—पिछले 10 वर्षों का—मुख्य महाप्रबन्धक (निधि प्रबन्धन विभाग) उसके अन्तर्गत इक्विटी एवं बाजार परिचालन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग और इक्विटी अनुसंधान कार्य) । मुख्य दायित्व—इक्विटी/घरेलू एवं अपतटीय दोनों वृद्धि उन्मुख निधियों का प्रबन्धन । इक्विटी अनुसंधान एवं अपतटीय निधि संरचना अन्य दायित्व हैं ।

पदनाम/विभाग/अवधि	दायित्व
मुख्य महा प्रबंधक/बाजार परिचालन विभाग/ अप्रैल 95–अक्तूबर '97	घरेलू वृद्धि उन्मुख योजनाओं का प्रबंधन ।
मुख्य महाप्रबंधक/नीति निर्धारण विभाग/ अक्तूबर '94–मार्च '95	स्टेट स्ट्रीट बैंक एवं ट्रस्ट कं०, बोस्टन तथा इजिप्ट में एक एएमसी के साथ संयुक्त उपक्रम ।
संयुक्त महाप्रबंधक/ मुख्य महाप्रबंधक/ अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग/ फरवरी '91–सितंबर '94	निधि प्रबंधन एवं इंडिया फंड एवं इंडिया ग्रोथ फंड से संबंधित अन्य गतिविधियां सर्विसिंग अंतर्राष्ट्रीय निवेशक; नए अपतटीय उत्पादों/संयुक्त उपक्रमों का परक्रामण और संरचना; श्रीलंका में एक आस्ति प्रबंधन समिति की स्थापना तथा इसके निधि प्रबंधन और बाजार परिचालन प्रणाली का निर्देशन ।
उपमहाप्रबंधक/वित्त एवं निवेशक/ अक्तूबर '87–जनवरी '91	प्राथमिक बाजार निवेश ।
सहायक नियंत्रक विदेशी विनिमय/सहायक प्रबंधक, आरबीआई/21–06–62 से 3–09–87	भारत में विदेशी निवेश के विशिष्ट संदर्भ में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सभी पक्षों का प्रयोग ; भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विदेशी इक्विटी के विलयन के प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की । नए शेयरों हेतु प्रीमियम निर्धारण के लिए शेयरों के मूल्यांकन और विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी विनिवेश हेतु निर्धारण पर औपचारिक समिति की चर्चाओं में भाग लिया (1997–1982)

XVI. योजना के लिए अन्य सेवाएं देने वाले

1. अभिरक्षक

भारतीय स्टॉक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टॉक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई–400021 में स्थित है ।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें । अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यता प्राधिकृत होगा ।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं, रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे ।

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि० (एस०एच०सी० आई०एल०) ने रजिस्ट्रेशन नंबर हेतु आवेदन किया है।

सुरक्षा प्रभार इस प्रकार है :

बाजार परिचालन रु० 100/– प्रति सौदे की दर से (बिक्री, खरीद एवं प्राथमिक बाजार) ।

सुरक्षा शुल्क की दर इस प्रकार है :

धारित आस्तियों का मूल्य	पॉइंट आधार
रु० 2000 करोड़ तक	12
रु० 2000 करोड़ से रु० 3000 करोड़ के बीच	11
रु० 3000 करोड़ से रु० 4000 करोड़ के बीच	10
रु० 4000 करोड़ से रु० 5000 करोड़ के बीच	9
रु० 5000 करोड़ से अधिक	8

यू०टी०आई० के लिए प्रभावी दर, इसके धारण करने की तिथि से कम हो गई है जो रु० 5000 करोड़ से अधिक के लिए प्रति वर्ष 8 आधार पाइंट की दर से है। सुरक्षा एवं सौदों के कारण देय कुल सेवा प्रभार रु० 35 करोड़ की उच्चतम सीमा है।

2. लेखा परीक्षक

मेसर्स एस० के० कपूर एण्ड कं० 16/98, एल०आई० सी० बिल्डिंग, दी माल, कानपुर—208001 और मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700069। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आई०डी०बी०आई० द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

3. रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड-सेबी रजिस्ट्रेशन सं० आईएनआर 000000874-रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों, अंतरण फार्मों एवं पुनर्खरीद आग्रहों की प्रोसेसिंग करने, यूनिट प्रमाणपत्रों एवं लाभांश वारंटों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाएंगी :

ए-16 और 17, एम०आई०डी०सी०, पार्ट बी क्रॉस लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई 400093।

4. संग्रहणकर्ता एवं भुगतानकर्ता बैंक

आवेदन यू० टी०आई० शाखा कार्यालयों, सी०आर० संग्रहण केन्द्रों एवं विशेष अधिकार प्राप्त कार्यालय स्वीकार करेंगे।

ओमान अंतर्राष्ट्रीय बैंक चुनी हुई शाखाएं, अनिवासियों से आवेदन पत्र संग्रह करने हेतु नियुक्त की गई हैं।

बैंकों के मुख्य व्यापार के पते :

ओमान अंतर्राष्ट्रीय बैंक एस०ए०ओ०जी०
1-ए, मित्तल कोर्ट, नरीमन पाइंट,
मुंबई-400021

XVII. निवेशक शिकायत निवारण

1. सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :
श्रीमती तन्वी उपाध्ये,
श्री मृदुल मुखोपाध्याय
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1,
28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, जी डी
सोमानी मार्ग, कफ परेड, मुंबई—400005
टेली : 2180172/2153846

पूर्वी अंचल :
श्री एस० एल० चक्रवर्ती
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता—700001
टेली : 2434575/81

दक्षिणी अंचल :

सुश्री शिरिन रामप्रसाद/सुश्री हरी प्रिया एस०
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यू०टी०आई० हाऊस 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600001
टेली : 5260146

उत्तरी अंचल :

श्री बी चक्रवर्ती
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरॉल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली 110002
टेली : 3329860/3311225

2. निवेशकों की शिकायतें जिनका निवारण किया गया का रिकार्ड

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायत, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, इस प्रकार हैं :

अवधि	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
01-07-95 से 30-04-96	685997	651813	34184	4.98%
01-04-96 से 31-03-97	470169	447495	22675	4.82%
01-04-97 से 31-03-98	551929	539318	12611	2.28%

01-05-97 से 30-04-98 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
सी०सी०सी०एफ०	869	813	56	6.44%
सी०जी०जी०एफ०	6376	6129	247	3.87%
सी०जी०एस०-83	317	265	52	16.40%
सी०जी०यू०एस०-91	2358	2332	26	1.10%
सी०आर०टी०एस०	270	259	11	4.07%
डी०आई०पी०-91	2607	2570	37	1.42%
डी०आई०यू०पी०-93	529	518	11	2.08%
डी०आई०यू०पी०-95	1317	1306	11	0.84%
डी०आई०यू०एस०-90	1490	1471	19	1.28%
डी०आई०यू०एस०-91	1445	1416	29	2.01
डी०आई०यू०एस०-92	1957	1946	11	0.56%
ई०ओ०एफ०	490	483	7	1.43%
जी०सी०जी०आई	16508	16460	48	0.29%
जी०एम०आई०एस०-91	4884	4803	81	1.66%
जी०एम०आई०एस०-92	7083	6921	162	2.29%
जीएमआईएस-92 (II)	1548	1297	251	16.21%
जीएमआईएस-बी-92	1988	1828	160	8.05%
जीएमआईएस-बी-92 (II)	1892	1795	97	5.13%
ग्रैडमास्टर-93	1335	1315	20	1.50%
गृह लक्ष्मी यूनिट प्लान	1946	1782	164	8.43%
आवास यूनिट योजना	239	210	29	12.13%
आईआईएसएफयूएस-95, 96, 97	8	6	2	25.00%
आईईएफ-97	108	96	12	11.11%
मास्टरगेन-92	91148	90604	544	0.60%
मास्टरग्रोथ-93	8861	8826	35	0.39%
मास्टरप्लस-91	12177	11882	295	2.42%
मास्टरशेयर-86	21682	20875	807	3.72%
एमईपी-91	3981	3952	29	0.73%

1	2	3	4	5
एमईपी–92	20667	20417	250	1.21 %
एमईपी–93	50665	50531	134	0.26 %
एमईपी–94	55811	55753	58	0.10 %
एमईपी–95	4330	4278	52	1.20 %
एमईपी–96	1499	1468	31	2.07 %
एमईपी–97	1407	1393	14	1.00 %
एमईपी–98	4	3	1	25.00 %
एमआईपी–93	1415	1394	21	1.48 %
एमआईपी–94 (I)	2242	2202	40	1.78 %
एमआईपी–94 (II)	1495	1484	11	0.74 %
एमआईपी–94 (III)	4566	4528	38	0.83 %
एमआईपी–95	3721	3617	104	2.79 %
एमआईपी–95 (II)	3767	3717	50	1.33 %
एमआईपी–95 (III)	3419	3403	16	0.47 %
एमआईपी–96	2802	2779	23	0.82 %
एमआईपी–96 (II)	2828	2794	34	1.20 %
एमआईपी–96 (III)	3293	3235	58	1.76 %
एमआईपी–96 (IV)	15707	15618	89	0.57 %
एमआईपी–97	10657	10334	323	3.03 %
एमआईपी–97 (II)	9602	9274	328	3.42%
एमआईपी–97 (III)	3715	3612	103	2.77 %
एमआईआरपी–97 (IV)	817	751	66	8.08 %
एमआईपी–97 (V)	386	241	145	37.56 %
एमआईपी–98	25	25	0	0.00 %
एमआईएस–बी–93	3258	3213	45	1.38 %
एमआईएसजी–90 (I)	6856	6577	279	4.07 %
एमआईएसजी–90 (II)	4880	4616	264	5.41 %
एमआईएसजी–91	1448	1415	33	2.28 %
ओमनी—प्लान	91	82	9	9.89 %
प्राइमरी इक्विटी फंड	1893	1791	102	5.39 %
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3512	3301	211	6.01 %
सेवा निवृत्ति लाभ प्लान	2627	2557	70	2.66 %
वरिष्ठनागरिक यूनिट प्लान	1443	1406	37	2.56 %
यूजीएस–2000	8963	8556	407	4.54 %
यूजीएस–5000	3768	3644	124	3.29%
यूलिप	12616	11319	1297	10.28 %
यूएस–64	72742	69630	3112	4.28 %
यूएस–92	6252	6184	68	1.09 %
यूएस–95	2	2	0	0.00%
कुल	530604	519304	11300	2.13 %

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(i) संग्रहणकर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियां का प्राप्त न होना ।

(ii) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(iii) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना अद्यतन नहीं किया जाना ।

(iv) मार्ग में ही खो जाना ।

(v) डाक सेवा में विलम्ब ।

(vi) अंतरण मृत्युदावों/पुनर्खरीद मामलों, में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(vii) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(viii) कमीशन प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना ।

(ix) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

XVIII जुर्माना, लंबित मुकदमा निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से कोई (विशिष्टतः निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसके कोई विनियमों या किसी स्टाक एक्सचेंज के अंतर्गत सेबी द्वारा जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं है ।

2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है ।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बने विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है ।

XIX संक्षिप्त वित्तीय

i) पूर्ववर्ती आंकड़े प्रति यूनिट

योजना (आबंटन की तिथि)	आरयूपी (II) (01-07-94)				
	1994-95	1995-95	1996-97	31-12-97	1994-95
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	9.86	11.10	12.35	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	1.04	0.84	0.70	0.16
3. लाभांश (प्रतिशत) प्र०व०	--	--	--	--	--
4. प्रारक्षित में अन्तरण (यदि कोई हो)	--	--	--	--	--
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	9.86	11.10	12.35	12.28	10.16
6. वार्षिकीकृत आय (प्रतिशत)	-1.35	5.52	7.82	6.50	1.74
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियों (रु० करोड़ में)	104.07	220.09	307.50	356.65	100.08
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.036	0.022	0.011	0.006	0.034

31-12-95 तक 12%, 01-01-96--31-03-98 तक 13%

योजना (आबंटन की तिथि)*	आरबीयूपी (26-12-94)				
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	9.71	11.63	13.90	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.03	1.17	1.42	0.77	--0.39
3. लाभांश (%) प्र० व०	--	--	--	--	--
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	--	--	--	--	--
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	9.71	11.63	13.90	14.81	9.61
6. वार्षिकीकृत आय (%)	--5.62	10.78	15.52	15.95	--15.64
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	24.42	72.73	122.43	137.31	1114.09
8. शुद्ध आस्तियां में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.034	6.009	0.007	0.005	0.003

जानकारी

जीयूपी (06-08-94)			एमआईपी-94(III) (01-01-95)			
1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
0.99	0.47	0.27	0.10	1.17	1.17	0.01
14.00	10.00	—	# 12.00	# 13.00	13.00	13.00
—	—	—	-0.53	0.13	0.09	—
10.70	10.05	10.33	9.47	9.61	9.69	9.76
11.03	8.44	8.02	1.46	5.75	8.97	9.86
135.45	132.38	136.22	697.94	693.10	682.38	681.56
0.037	0.005	0.002	0.007	0.007	0.120	0.003

एमईपी-95 (31-03-95)			यूएस-95 (02-01-95)			
1995-96	1996-97	31.12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
9.61	11.57	11.34	10.00	99.96	102.75	98.70
0.68	0.14	-0.65	2.62	15.94	9.36	5.45
—	—	—	12.00	13.50	12.50	—
—	—	—	—	—	—	—
11.57	11.34	9.77	99.66	102.75	98.70	102.54
12.51	5.97	-0.83	11.54	14.90	12.31	11.52
1339.13	1312.78	1130.66	173.42	209.19	119.70	100.54
0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001

योजना (आबंटन की तिथि)	पीईएफ-95 (01-08-95)				एमआईपी-95 (01-07-95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	9.95	12.28	12.45	10.00	10.05	10.35	10.74
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	0.67	0.35	-0.20	0.05	1.33	1.12	0.53
3. लाभांश (%) प्र० व०	—	—	—	—	—	13.00	14.00	14.00
4. प्रारक्षितों में अन्तरण (यदि कोई हो)	—	—	—	—	0.05	0.24	0.11	—
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	9.95	12.28	12.45	10.54	10.05	10.35	10.74	10.43
6. वार्षिकीकृत आय (प्रतिशत)	—	24.87	12.79	2.25	—	16.54	17.18	15.29
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियों (रु० करोड़ में)	174.23	223.40	227.61	168.87	539.45	577.74	574.73	551.93
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.028	0.012	0.004	0.006	0.001	0.007	0.008	0.003

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-95 (II) (01-09-95)			आईआईएसएफ	
	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.22	1.30	0.66	1.42	1.58
3. लाभांश : (%) प्र०व०	* 13.50	* 14.00	14.00	15.00	15.00
4. प्रारक्षितों में अन्तरण (यदि कोई हो)	0.35	0.31	—	—	—
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	10.89	11.42	11.29	11.00	10.59
6. वार्षिकीकृत आय (%)	24.27	21.53	19.34	28.40	18.38
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	365.24	366.14	357.71	195.45	182.60
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.008	0.011	0.005	0.005	0.006

* 31-08-96 तक 13.50 प्रतिशत, 1-9-96-31-03-98 तक 14.00 प्रतिशत

यूएस95(01-10-95)		डीआईपी-95 (01-10-95)		एमईपी-96(31-3-96)		
31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97
10.59	10.00	12.06	13.70	10.00	12.00	12.59
0.76	1.24	1.43	0.84	0.13	0.14	0.06
15.00	—	—	26.00	—	—	—
—	1.24	1.43	—	—	—	—
11.30	12.06	13.70	14.08	12.00	12.59	11.10
20.76	27.48	21.16	23.87	80.20	20.70	6.29
196.42	120.82	134.87	137.58	235.94	247.35	217.98
0.002	0.009	0.008	0.004	0.006	0.007	0.004

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-95 (III) (01-01-96)			एमआईपी-96	
	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.79	1.44	0.89	0.24	1.35
3. लाभांश : (प्रतिशत) प्र० व०	14.00	14.00	14.00	14.50	14.50
4. प्रारक्षितों में अन्तरण (यदि कोई हो)	0.16	0.13	—	-0.14	0.28
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	10.98	11.80	11.38	10.29	11.05
6. वार्षिकीकृत आय (प्रतिशत)	33.81	26.09	20.90	32.37	23.49
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	443.59	458.39	436.40	238.24	250.67
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.010	0.005	0.004	0.011

योजना (आबंटन की तिथि)*	एमएमएमएफ (23-04-97)		एमआईपी-96(III) (01-10-96)		डीआईपी-91
	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.14	0.29	0.90	0.74	1.18
3. लाभांश : (प्रतिशत) प्र० व०	—	—	15.00	15.00	15.00
4. प्रारक्षितों में अन्तरण (यदि कोई हो)	—	—	-0.08	—	0.75
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	10.17	10.67	11.04	10.78	11.52
6. वार्षिकीकृत आय (प्रतिशत)	9.17	9.75	29.06	21.23	36.57
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	37.99	113.49	416.50	406.23	241.41
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.001	0.001	0.008	0.005	0.007

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (01-05-97)		एमआईपी-97(II) (01-07-97)		आईआईएसएफयूएस-97
	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.25	0.60	0.11	0.47	0.12
3. लाभांश : (प्रतिशत) प्र० व०	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00
4. प्रारक्षितों में अन्तरण (यदि कोई हो)	-0.06	—	0.03	—	—
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	10.32	10.20	10.09	10.04	10.14
6. वार्षिकीकृत आय (प्रतिशत)	33.44	16.89	—	14.71	—
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	1195.73	1183.59	1462.16	1504.63	685.15
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.005	0.001	0.005	0.000

(01-05-96)	एमआईपी-96 (II) (01-07-96)			ईओएफ (01-07-96)		
31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97
11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.66
0.64	0.02	1.24	0.78	(-) 0.02	0.46	(-) 1.40
14.50	15.00	15.00	15.00	—	—	—
—	(-) 0.11	0.13	—	—	—	—
11.12	9.96	11.23	11.21	9.98	10.66	9.21
21.22	—	27.34	23.03	—	6.62	(-) 5.28
249.15	385.61	417.80	416.65	23.34	26.10	21.10
0.005	0.003	0.010	0.004	0.003	0.016	0.009

(15-10-96)	आईआईएसएफयूएस-96 (01-01-96)		एमआईपी-96(IV) (01-01-97)		एमईपी-97(31-03-97)	
31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97
11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	12.09
0.74	1.01	0.77	0.67	0.74	0.11	0.42
15.00	16.00	16.00	15.00	15.00	—	—
—	0.05	—	0.02	—	—	—
11.78	11.09	10.79	10.71	10.52	12.09	10.52
29.66	38.25	23.95	29.61	20.27	83.99	6.96
245.60	206.50	199.53	891.29	868.38	88.69	77.16
0.004	0.003	0.001	0.007	0.005	0.006	0.058

(01-07-97)	आईईएफ (01-08-97)		एमआईपी-97 (III) (01-09-97)	एमआईपी-97(IV) (01-11-97)
31-12-97	1996-97	31-12-97	31-12-97	31-12-97
10.14	10.00	10.00	10.00	10.00
0.47	0.00	(-) 1.19	0.27	0.13
15.00	—	—	13.00	12.50
—	—	—	—	—
10.39	10.00	8.81	9.81	9.85
22.76	—	(-) 28.67	7.26	3.45
701.80	31.28	29.10	839.95	918.31
0.002	0.001	0.010	0.005	0.003

योजना (आवंटन की तिथि)	एमआईपी-97(V) (01-01-98)	एमईपी-98 (31-03-98)	आईआईएसएफयूएस-97 (II) (01-02-98)
	31-12-97	31-12-97	31-12-97
1. वर्ष के आरम्भ में एनएवी	10.00	10.00	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.03	0.04	0.04
3. लाभांश : (प्रतिशत) प्र० व०	11.75	—	12.75
4. प्रारक्षितों में अन्तरण (यदि कोई हो)	—	—	—
5. वर्ष के अन्त में एनएवी	9.98	—	10.04
6. वार्षिकीकृत आय (प्रतिशत)	—	—	—
7. अवधि के अन्त में शुद्ध आस्तियां (रु० करोड़ में)	388.00	10.04	321.93
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.000	00.00	0.000

*सतत खुली योजना के लिए प्रारंभ की तिथि दी गई है ।
(ii) ट्रस्ट की योजनाओं द्वारा उधार लिए जाने का कोई उदाहरण नहीं है ।

योजना	30-4-98 को एनएवी	वार्षिकीकृत आय (%)
1	2	3
आर०यू०पी० (II)	12.95	7.90
जी०यू०पी०	11.01	8.90
एम०आई०पी०-94(III)	8.99	9.67
आर०बी०यू०पी०	15.02	15.01
एम०ई०पी०-95*	10.39	1.23
यू०एस०-95	108.58	14.00
पी०ई०एफ०-95*	10.69	2.16
एम०आई०पी०-95	9.42	14.01
एम०आई०पी०-95(II)	10.15	17.65
आई०आई०एस०एफ०यू०एस०-95	11.69	19.63
डी०आई०पी०-95	12.50	15.11
एम०ई०पी०-96*	12.04	9.16
एम०आई०पी०-95(III)	10.42	15.76
एम०आई०पी०-96	10.34	16.17
एम०आई०पी०-96(II)	10.60	18.20
ई०ओ०एफ०*	9.51	(-)2.66
एम०एम०एम० एफ०@	11.0742	10.30
एम०आई०पी०-96(III)	10.35	17.17
डी०आई०पी०-91	9.92	13.66
आई०आई०एस०एफ०यू०एस०-96	11.21	21.19
एम०आई०पी०-96(I)	9.94	14.48
एम०ई०पी०-97*	10.93	4.29
एम०आई०पी०-97	9.95	13.54
एम०आई०पी०-97(II)	9.46	7.59
आई०आई०एस०एफ०यू०एस०-97	11.06	10.63
आई०ई०एफ०*	9.21	(-)9.07

*13-5-98 को एन०ए०वी० ।
@8-5-98 को एन०ए०वी०

XX यथोचित अध्यवसाय

एम०बी०यू०पी०-98 हेतु सेबी को नियत तत्परता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

I. पेशकश दस्तावेज का ड्राफ्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) अधिनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों, एवं निर्देशों के अनुसार है;

II. इस योजना के प्रारंभ किए जाने से संबंधित सभी विधिक आवश्यकताएं एवं साथ ही इस संबंध में सरकार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, निर्देश आदि का विधिवत् अनुपालन किया गया है;

III. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त है;

IV. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी जिम्मेदारियां सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसा पंजीकरण वैध है।

दिनांक : 29-4-98
स्थान : मुम्बई

हे/-
बी० एस० पंडित
अनुपालन अधिकारी
मुहर के साथ

कृते न्यासी मंडल, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
हे/-
(अ० ना० पालवणकर)
कार्यपालक निदेशक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

मुम्बई
29-4-98

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
कारपोरेट कार्यालय
13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स)
मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : कामर्स सेंटर-1, 28वीं मंजिल, विश्व-व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005, दूरध्वनि : 2181600। पूर्वी अंचल : 2, फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001। दूरध्वनि : 2209391। दक्षिणी अंचल : यू० टी० आई० हाउस, 29, राजाजी सलई, चेन्नई-600001, दूरध्वनि : 517101। उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 332 96 609.

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी० जे० हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि : 6583043। बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481। भोपाल : पहली मंजिल, गंगा जमुना कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट नं० 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल-1, स्कीम-13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308। इन्दौर : मिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम० जी० रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796। मुम्बई : (1) यूनिट सं० 2, ब्लाक 'बी', गुलमोहर क्रास रोड नं० 9, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई-400049, दूरध्वनि : 6201995। मुम्बई : (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्रा बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुम्बई-400703, दूरध्वनि : 7672607। मुम्बई : (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2850821 मुम्बई : (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एम० बी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई-400092, दूरध्वनि : 8980521। मुम्बई : (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086, दूरध्वनि : 5162256। कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी० एम० सं० 511, के० एच०-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315। नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893। नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम० जी० रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 572166। पणजी : ई० डी० सी० हाऊस, भूतल, डा० ए० बी० मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472। पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183, फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954। राजकोट : लल्लूभाई सेंटर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112। सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550। ठाणे : यू० टी० आई० हाऊस, स्टेशन रोड, ठाणे (प०)-400601, दूरध्वनि : 5400905।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओ०सी०एच०सी० बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंजिल, 24, जनपथ, खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर-751001, दूरध्वनि : 410995। कलकत्ता : 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391। दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेंटर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 564136। गुवाहाटी : हिन्दुस्तान बिल्डिंग, 1ली मंजिल, एम० एल० नेहरू रोड, पान बाजार, गुवाहाटी-781001, दूरध्वनि : 543131। जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्टूपुर,

जमशेदपुर–831001, दूरध्वनि : 425508। पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंजिल, एग्जिबिशन रोड, पटना–800001, दूरध्वनि : 235001। सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरू नानक सरणी, सिलीगुड़ी –734401, दूरध्वनि–424671।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टावर्स, 26–27, 12वीं मंजिल, पश्चिम विंग, एम० जी० रोड, बंगलोर—560001, दूरध्वनि : 5595091। कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम० जी० रोड, एर्नाकुलम, कोचीन – 682011, दूरध्वनि : 362354। कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25 आर्टस कालेज रोड, कोयम्बतूर–641018, दूरध्वनि : 214973। हुबली : काल्बुर्गी मेंशन, 4थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली–580020, दूरध्वनि : 363963। हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5–1–664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद–500195, दूरध्वनि : 4611095। चेन्नई : यू०टी०आई० हाऊस, 29, राजाजी सलई, चेन्नई–600001, दूरध्वनि : 517101। मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरूप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई–625001, दूरध्वनि : 38186। मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल–मत्ता रोड, मंगलोर–575001, दूरध्वनि : 426258। तिरूअनंतपुरम : स्वास्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम० जी० रोड, तिरूअनंतपुरम– 695001, दूरध्वनि : 331415। त्रिची : 104, मलई रोड, थोरेयूर, तिरूचिरापल्ली–620003, दूरध्वनि : 760060। त्रिचूर : 28,700, वेस्ट पलियामाम बिल्डिंग, करूणाकरण नंबियार रोड, राउण्ड नार्थ, त्रिचूर –680020, दूरध्वनि : 331259। विजयवाड़ा : 27–37–156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा–520002, दूरध्वनि : 571134। विशाखापटनम : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापटनम –530016, दूरध्वनि : 548121।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा–282002, दूरध्वनि : 54408। इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद– 211003, दूरध्वनि : 400521। अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्वीन्स रोड, अमृतसर–143001, दूरध्वनि : 210367। चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश एल० आई० सी० बिल्डिंग, सेक्टर 17–बी चंडीगढ़–160017, दूरध्वनि : 703683। देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून–248001, दूरध्वनि : 746720। फरीदाबाद : बी–614—617, नेहरू ग्राउंड, एन० आई० टी०, फरीदाबाद–121001, दूरध्वनि : 219156। गाजियाबाद : 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गाजियाबाद–201001, दूरध्वनि : 790366। जयपुर : आनन्द भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर–302001, दूरध्वनि : 365212। कानपुर : 16/79 ई, सिविल लाईन्स, कानपुर–208001, दूरध्वनि : 317278। लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ–226001, दूरध्वनि : 238599। लुधियाना : सूर्य–किरन फेसII, 92, दि माल, लुधियाना– 141001, दूरध्वनि : 441264। नई दिल्ली : डेली तेज, तीसरी एवं चौथी मंजिल, 8/बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002, दूरध्वनि : 3318638। शिमला : फ्लैट सं० 401, 402, 403, 405, मुकेश एपार्टमेंटस, फिंगस्क एस्टेट, होटल शील के पास, शिमला–171002। दूरध्वनि : 257803। वाराणसी, पहली मंजिल, डी-58/2ए-1, भवानी मार्केट, रथयात्रा, वाराणसी 221001, दूरध्वनि : 358606।

BANK OF BARODA

HEAD OFFICE

Baroda, the 21st April 1998

No. HO:OSR&IR:A/10/13/871.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend further the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 namely :— 1. Short Title and Commencement :

(1) These Regulations may be called Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Regulations 4 of the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations 1976 (hereinafter called as Principal Regulations) under the heading "Minor Penalties" after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

(a) "(e) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting the officers' pension";

(b) Under the heading "Major Penalties" the clauses (e), (f), (g) and (h) shall be re-numbered as clause (g), (h), (i) and (j);

(c) Before the re-numbered clause (g) the following shall be inserted namely :—

"(f) save as provided for in (e) above reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay".

(d) For re-numbered clause (g) the following may be substituted namely :—

"(g) reduction to a lower grade or post."

3. In sub-regulation (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4" may be subtituted.

4. In sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets and figures "clauses (a) to (d) of Regulation 4", the words, brackets, and figures "clauses (a) to (e) of regulation 4" may be substituted.

5. In the first proviso to sub-regulation (ii) of regulation 17 of Principal Regulations, for the words, brackets, and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets, and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4" may be substituted.

6. In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets, and figures "clauses (e), (f), (g) or (h) of Regulation 4" the words, brackets, and figures "clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4" may be substituted.

A. B. CHOPRA
Deputy General Manager
(Personnel & IR)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

"A STATUTORY BODY ESTABLISHED UNDER AN ACT OF PARLIAMENT"

New Delhi-110002, the 24th July 1998

No. 13-CA(Exam)/N/98.—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Foundation, Intermediate and Final Examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :—

Foundation Examination : (As per syllabus contained in Para 1A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988).

7th, 9th, 10th and 11th November, 1998

Intermediate Examination : (As per syllabus contained in Para 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988).

Group I : 2nd, 3rd and 5th November, 1998

Group II : 6th, 7th, and 9th November, 1998.

Final Examination : (As per syllabus contained in Para 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988).

Group I : 2nd, 3rd, 5th and 6th November, 1998.

Group II : 7th, 9th, 10th and 11th November, 1998.

Examination Centres :

(i) Centres in India :

(1) Agra
(2) Ahmedabad
(3) Ajmer
(4) Allahabad
(5) Alleppey
(6) Ambala
(7) Asansol
(8) Aurangabad
(9) Bangalore
(10) Baroda
(11) Belgaum
(12) Bhopal
(13) Bhubaneswar
(14) Calcutta
(15) Calicut
(16) Chandigarh
(17) Chennai (Madras)
(18) Coimbatore
(19) Cuttack
(20) Dehradun
(21) Delhi/New Delhi
(22) Ernakulam
(23) Gauhati
(24) Ghaziabad
(25) Goa
(26) Gwalior
(27) Hisar
(28) Hyderabad
(29 Indore
(30) Jabalpur
(31) Jaipur

(32) Jammu
(33) Jamshedpur
(34) Jodhpur
(35) Kanpur
(36) Kota
(37) Kottayam
(38) Lucknow
(39) Ludhiana
(40) Madurai
(41) Mangalore
(42) Meerut
(43) Mumbai (Bombay)
(44) Mysore
(45) Nagpur
(46) Nasik
(47) Patna
(48) Pune
(49) Raipur
(50) Rajkot
(51) Ranchi
(52) Salem
(53) Shimla
(54) Siliguri
(55) Surat
(56) Tiruchirapalli
(57) Trichur
(58) Trivandrum
(59) Udaipur
(60) Varanasi
(61) Vijayawada
(62) Visakhapatnam
(63) Yamuna Nagar

(ii) OVERSEAS CENTRES :

(1) Dubai (UAE) (2) Kathmandu (Nepal)

*Only Intermediate and Final Examinations will be held at Dubai Centre.

Payment of fees for the examinations should be made only by Demand Draft. The Demand Drafts may be of any nationalised bank and should be drawn in favour of the Secretary to the Institute payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Additional Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002 on payment of Rs. 20/- per application form.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Draft of any nationalised bank may be sent so as to reach the Additional Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 26th August, 1998. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 26th August, 1998 and upto 2nd September, 1998 with late fee of Rs. 50/-. Applications received after 2nd September, 1998 shall not be entertained. Applications will also be received by hand delivery at the office of the Institute at New Delhi and at the Regional and Branch Offices of the Institute at Mumbai (Bombay), Calcutta, Chennai (Madras) Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Pune and Jaipur upto 26th August, 1998.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under :—

FUNDATION EXAMINATION :

Fee	Rs. 375/-

INTERMEDIATE EXAMINATION

For Both the Groups	Rs. 525/-
For One of the Group	Rs. 300/-
For*Unit 1	Rs. 300/-
For*Unit 2	Rs. 3000/-
For*Unit 3	Rs. 225/-
For *Unit 4	Rs. 300/-

*The expression 'unit' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one but not in both the groups of the Intermediate Examination prior to the commencement of examination under the syllabus specified in paragraph 2A of Schedule 'B' of Chartered Accountants Regulations, 1988, are required to appear and pass.

FINAL EXAMINATION :

For Both Gropus	Rs. 600/-
For One of the Group Only	Rs. 350/-
**Unit—consisting of upto 2 papers	Rs. 275/-
**Unit—consisting of more than 2 papers but upto 4 papers	Rs. 350/-
**Unit—consisting of 5 or more papers	Rs. 600/-

**The expression unit is a set of papers in which candidates, who have passed in any one or more but not in all the groups of the Final Examination under syllabus as specified in Schedules 'B' or 'BB' of Chartered Accountants Regulations, 1964, prior to November, 1986 are required to appear in and pass together in the remaining corresponding papers under the new syllabus as per para 3A of Schedule 'B' to Chartered Accountants Regulations 1988.

Candidates of Intermediate and Final Examinations opting for Dubai centre are required to remit US $60 and US $ 80 respectively or its equivalent relevant Indian currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Rs. 750/- or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates apear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations will be allowed to use the Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form.

JAGDAMBA PRASAD,
Additional Secy. (Exams.)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
REGIONAL OFFICE ORISSA

"PANCH DEEP BHAWAN" JANPATH UNIT : IX
Bhubaneshwar-7, the

Sub : Reconstitution of Local Committee for JDL Chemicals (Sonaparbat), Rourkela Area Under ESI Scheme.

No. 44-V-34/12/12/82-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee, JDL Chemicals (Sonaparbat) Rourkela Area in the district of Sundargarh, Orissa, set up under Regulation 10-A of the ESI (General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of issue of this Notification.

1. Under Regulation 10-A(1)(a) Chairman
Sub-Collector, Sundargarh.

Members

2. Under Regulation 10-A(1)(b)
District Labour Officer, Rourkela.

3. Under Regulation 10-A(1)(c)
Insurance Medical Officer-Incharge,
E.S.I. Dispensary, IDL Chemicals Ltd.,
Rourkela.

4. Under Regulation 10-A(1)(d)

(i) Sri B. Padhi, Resident Medical Officer,
C/o M/s. IDL Industries Ltd.,
Rourkela-16, Sundargarh.

(ii) Sri C. R. Nanda, Jr. Executive (I.R.),
M/s. IDL Industries Ltd.,
Rourkele-16.

5. Under Regulation 10-A(1)(e)

(i) Sri Arun Kumar Parida, Secretary
Indian Detonators Mazdoor Sabha,
IDL Road, Rourkela, Jangarpalli,
Sundargarh.

(ii) Sri R. C. Sutar, Secretary,
IDL Chemicals Workers Union,
At. Balajodi, P.O. Sonaparbat,
P.S. Jangarpalli, Rourkela,
Sundargarh.

Member Secretary (Ex. Officio)

6. Under Regulation 10-A(1)(f)
Manager, Local Office, ESI Corporation,
Rourkela.

U. H. RAO
Regional Director
E.S.I. Corporation,
Orissa, Bhubaneswar.

UNIT TRUST OF INDIA

New Delhi, the 14th July 1998

No. UT/DBDM/R-181/SPD-98/97-98.—The Offer Document of the UTI-Small Investors' Fund formulated under section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the UTI-Small Investors' Scheme made under section 21 of the said Act approved in the Executive Committee Meeting held on 27-01-98 is published herebelow.

A. G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development and Marketing

UTI-SMALL INVESTORS' FUND

OFFER DOCUMENT

Offer Open from May 25, 1998 to July 08, 1998

The UTI-Small Investor's Fund is a plan formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the UTI-Small Investors' Scheme made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

The plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1965 and the Subsequent amendments notified by SEBI, and the units offered for public subscription have not been approved by the SEBI, nor has the SEBI certified the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

This plan is for people—specially those with small investible surpluses—looking for building up capital without taking much risks of investment. Accordingly the plan aims at generating maximum returns possible through investments in a debt portfolio with high degree of safety.

Highlights

— An interval-debt fund.

— Sale of units at par during the initial offer period and at NAV thereafter. The Fund will reopen for sale one month after the closure of initial offer period.

— Repurchases will also open one month after the closure of initial offer period. Repurchases within a period of three years from the date of investment will be at a discount of 2% to NAV. Thereafter repurchases will be at NAV.

— Consistent with the objective of building up capital, the plan will not distribute any income. Growth in capital will be reflected in the NAV.

— Open to resident adult individuals/mentally handicapped persons/minors/HUFs/Trust/Societies/Association of Persons/Bodies of Individuals.

— Minimum investment of Rs. 1000/- and in multiples of Rs. 500/- thereafter.

— Tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on capital gains from capital appreciation.

Risk Factors

— Investments in units of the Plan are subject to market risks, and there can be no assurance that the fund's objective will be achieved. The NAV of the Plan may go up or down depending on the influence of market forces on the plan's portfolio.

— Performance of the previous schemes/plans is not necessarily an indication of future results.

— UTI-Small Investors' Fund is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan, its future prospects or returns. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management's perception of Risk Factors

The Trust has been in operation for over 33 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58,000 crores from over 50 million investors.

Target audience & operations of the scheme

The scheme is meant for poorer sections of the society—normally bypassed by most financial intermediaries—who are looking for buiding up capital out of their small savings. The scheme will be operated in association with intermediary organisations like the Non-Government Organisations. The intermediary organisation—whose antecedents will be verified by UTI—will have certain responsibilities in the operation of the scheme which are as follows.

For sale transaction : The intermediary organisation will collect applications from small investors and submit them to UTI after due verification. The scheme normally requires photographs of the investors to be enclosed with application forms. The intermediary organisation could also capture application details in a floppy using a data structure prescribed by us and submit along with application forms and remittance in a lot.

For repurchase transaction : Repurchase applications will normally be routed through the intermediary organisation. All repurchase proceeds will be paid in cheques only. In respect of investors who may not have bank accounts the intermediary organisation could invest as a joint applicant. All repurchase cheques will indicate the bank account particulars of the unitholder.

Constitution of UTI :

Unit Trust of India was set up as a statutory body under the Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees,

1. Shri G. P. Gupta
Chairman, Unit Trust of India.
2. Dr. P. J. Nayak
Executive Trustee, Unit Trust of India.
3. Shri S. Gurumurthy
Executive Director, Reserve Bank of India.
4. Shri S. H. Khan
Chairman, Industrial Development Bank of India.
5. Shri N. S. Sekhsaria
Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Shri P. R. Khanna
Chartered Accountant.
7. Shri G. Krishnamurthy
Chairman, L.I.C.
8. Shri M. S. Verma
Chairman, S.B.I.
9. Shri N. Vaghul
Chairman, ICICI Ltd.
10. Shri Rashid Jilani
Chairman & Managing Director, Punjab National Bank.

DETAILS OF THE UTI-SMALL INVESTORS' SCHEME

1. Short Title and Commencement :

(1) This Scheme shall be called the UTI-Small Investors' Scheme.

(2) The Scheme shall initially be open for sale from May 25, 1998 to July 08, 1998 for 45 days. The fund shall reopen for sale and repurchase after one month from the initial offer period for a period of five working days starting from the 10th of every calender month.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions :

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accept the same.

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963, (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor,

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible Person" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "Initial offer period" shall be from May 25, 1998 to July 08, 1998 during which units will be sold at par.

(g) "Intermediary organisations" are such organisations as are recognised by the Trust to function as intermediaries under the scheme.

(h) "Member" used as an expression under the Scheme and Plan made thereunder shall means and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(i) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature when prevents him from carrying out normal activities of life.

(j) "Numer of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(k) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(l) "Registers" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(m) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulatons, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(n) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(o) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(p) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(q) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(r) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(s) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(t) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa. The other provisions of the scheme are available from page No. 7 to page No. 10.

DETAILS OF THE UTI SMALL INVESTOR'S FUND [UTISIF] FORMULATED UNDER THE UTI-SMALL INVESTOR'S SCHEME ARE GIVEN HEREAFTER.

I. Definitions :

The words not defined in the Plan and defined in the Scheme and the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit:

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units :

(1) Application for units may be made by residents.

(a) individuals either singly or jointly with another individual, trust, society etc.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person. Such application should contain an alternate applicant capable of representing the mentally handicapped person in the absence of such individual.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) bodies of individuals/association of persons.

(h) Hindu Undivided Family.

(i) Any other category as may be decided by the Chairman of the Trust.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment :

Application shall be made for a minimum of Rs. 1,000/- and in multiples of Rs. 500/- thereafter. There will be no maximum limit. Units will be allotted in fractions upto three places after the decimal. In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

V. Minimum target amount to be raised :

Amount of Rs. 5 lakhs is targeted to be raised under the scheme in the initial offer period. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust in full.

The Trust shall by A/C payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount of Rs. 5 rakhs is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants @ 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. Limitation on expenses :

Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Initial issue expnses of the Scheme is estimated to be as under :

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

12—189 GI/98

In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Total	2.25

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses. in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total annual recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits :

(i) On the first Rs. 100 crores of the average weekly net assets-2.25%

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets-2.00%

(iii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets-1.75%

(iv) On the balance of the assets-1.50%

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely :

(i) One and quarter of one percent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crores, and

(ii) One percent of the excess amount over Rs. 100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores.

UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

VII. Mode of Payment :

(1) (i) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Applications with cheque/draft should normally be submitted at the office of an intermediary organisation recognised by UTI. Cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office of the intermediary organisation at which the application is tendered is situated.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the Trust.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust within 7 days from the date of issue of draft. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances :

(i) the application is received with less than the minimum investment of Rs. 1,000/- and in multiples of Rs. 500/- thereafter.

(ii) the application has not been signed by the first applicant and

(iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

(b) Incomplete Application Liable For Rejection :

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant to comply with requirements under the Scheme and the Plan made thereunder before being issued units :

Persons applying for units under the Scheme and the Plan made thereunder shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VIII. Sale of Units :

The sale price of units during the initial offer period shall be at par. After the initial offer period, units will be sold at NAV of the fund as on the valuation date, immediately preceding the week of offer. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant an account statement. An account statement issued by the Trust to an eligible institution (i.e. Trust, Society) shall be made out in the name of the such eligible institution. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Account statement so sent.

The Trust shall send the account statement not later than 6 weeks from the date of closure of the initial offer period or within 6 weeks from the acceptance date as the case may be.

IX. Repurchase of units :

(1) Repurchase under the plan will commence after one month from the closure of the initial offer period. Repurchase will be open for a period of five working days starting from the 10th of every calender month (please also read clause X in this regard). The repurchase price will be at a discount of 2% to the NAV in the first three years and thereafter at NAV. The applicable NAV for repurchase of units shall be that calculated as of the immediately preceding week. Once NAV is declared on a daily basis the repurchase price will be based on the daily NAV.

(2) Repurchase will be effected on receipt of the Account Statement alongwith the repurchase slip duly signed by all the holders and duly witnessed by the intermediary organisation or another person giving his name, occupation and address. Repurchase applications may normally be routed through the intermediary organisation. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 1000/-.

(3) In the event of repurchase in full the Trust shall not on accepting the Account Statement alongwith the repurchase slip be bound to pay any interest on the repurchase proceeds.

All the documents including the Account Statement, received shall be retained by the Trust for cancellation. In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh statement.

(4) In the event of death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Account Statement and the request letter for repurchase, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase, the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust from time to time.

(5) Payment for units repurchased by the Trust shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the Account Statement alongwith the request letter for repurchase.

No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant.

X. Restrictions on sale or repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to sell or repurchase units :

(i) on such days as are not working days;

(ii) during any day beyond the initial offer period not falling within the specified period i.e. 5 working days every calender month starting from the 10th of each month; and

(iii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation : For the purpose of this Scheme and the Plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either :

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XI. Account Statement :

The Trust shall issue an Account Statement to the members every time a sale or repurchase transaction is concluded. The statement will indicate the number of outstanding units (upto three decimal places) in his membership account with details of investments/repurchases. In addition, each investor will receive an annual statement of account as soon as practicable after 31st March each year. Such annual statement will detail the investors, opening balance of units held in the folio at the beginning of the year i.e. 1st April all transactions that occurred during the financial year with respect to the folio such as additional purchases, redemption, the closing balance of units held and the NAV of the units as of 31st March.

XII. Register of members :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members.

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the membership account number and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall after the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who had applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge and in connection with his own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XIII. Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc. :

(1) Eligible institutions, societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Bye-laws, an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

XIV. Receipt by member to discharge Trust :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XV. Nomination by members :

(1) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. Applicants can nominate one person and change the nomination at any time during the currency of the plan.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, HUF, and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

XVI. Death of a member :

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee/legal heir is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee/legal heir the nominee/legal heir may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be ppermitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Account Statement in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

(7) In the event of death of a signle member during the initial offer period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

XVII. Income Dsitribution :

The objective of the plan is to build the capital of the investor. Thus there will not be any income distribution under the plan. Returns will be reflected in the Net Asset Value.

Bank particulars of investors :

Investors are required to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Repurchase cheques will be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent

to them. Members may deposit the cheque in the said bank for credit of their accoun.. In case the member does not have a bank account, the intermediary organisation will invest as the first applicant and the repurchase cheque will be issued in the name of the intermediary organisation.

Such issue of repurchase cheque in the name of intermediary organisation will provide the Trust with complete discharged in respect of the investment and the Trust will stand discharged in respect of such Member(s). In case the bank particulars are not furnished the application is liable for rejection.

DETAILS OF THE UTI-SMALL INVESTORS SCHEME CONTINUED

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme:

(1) Quoted investments are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted debentures, bonds and tranferable notes are valued at yield to maturity, based on the rating of the instrument as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(4) Investments in call money, bills purchase under rediscounting scheme and short term deposits with banks shall be valued at cost plus accrual; other money market instruments shall be valued at the yield at which they are currently traded. For this purpose, non-traded instruments that is instruments not traded for a period of seven days will be valued at cost plus interest accrued till the beginning of the day plus the difference between the redemption value and the cost spread uniformly over the remaining maturity period of the instruments;

(5) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing market rates.

(6) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (5) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

IV. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV shall be issued to the press for publication after one month from the initial offer period and on a weekly basis thereafter till the corpus assumes a critical size (as determined by the Trust) after which the NAV will be determined and declared on a daily basis.

V(a). Investment Objective :

Investment objective of the Scheme is primarily to build capital of investors with small investible surpluses, taking minimum risks.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial properative and operational expenses generally be invested as follows :

Funds will only be invested in debt securities viz. Govt. Securities, Treasury Bills, Corporate debentures and Corporate instruments "AAA" rating or its equivalent. The risk profile of investment will bt low.

Funds will not be invested in equities and equity related instruments.

No fixed allocation will normally be made for money market instruments.

Till such time the funds collected under the plan are not fully invested, the funds shall be kept invested in money market istruments and short term deposits of scheduled commerical banks.

Subsequently, investment in money market instruments will be kept to the minimum so as to be able to meet the liquidity needs of the plan.

(b) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time : provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advancde by this Scheme.

(iii) Transfer of investment from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shal lbe done only if—

(a) such transfer are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis. Explanation — "spot basis" shall have the same meaning as specified by stock exchange for spot transactions.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The Scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutaul fund without charging any fees, provided that aggregate interscheme investment mad by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

(v) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust.

(vii) The scheme shall not bollow except t omeet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the members.

Providde that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

(viii) The Scheme shall not make any investment in:

(a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or

(b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or

(c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets of all the schemes of the Trust.

(c) However, notwithstanding anything contained in respect of clauses, III, IV and V (b) above, the evaluation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of

disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

VI. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the Plan made thereunder

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Account Statement has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognised such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

VII. Transfer/Pledge/Assignment of Units :

Units issued under the Scheme are not Transferable/Pledgeable/Assignable.

VIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.25% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training. Surveys Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust.

IX. Staff Welfare Trust Contribution :

0.10% of monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

X. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be but not later than six months from the 30th June of each year publish through an advertisement, accounts in the manner specified by the SEBI showing the working of the Scheme and the Plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall before the expiry of two months from the close of the half year i.e. on 31st December publish its unaudited financial results. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and Revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and a quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the privous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on receipt of a request in writing from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XI. Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

When any change in the fundamental attributes of the Scheme or the trust or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the members is proposd to be carried out the consent of not less than three-fourths of the members shall be obtained :

Provided that no such change shall be carried out unless three-fourths of the members have given their consent and those who do not give their consent are allowed to redeem their holdings in the scheme.

Explanation : For the purposes of this clause "fundamental attributes" means.

(i) Type of a scheme : Interval debt scheme.

(ii) Investment Objective : as mentioned in clause V (a) on pages 8.

(iii) Terms of Issue

(a) Repurchase of units as mentioned in clause IX on page 5 and Termination of the scheme as mentioned in clause XII on pages 9 to 10.

(b) Aggregate fees and expenses as mentioned in clause VI on pages 3 to 4.

XII. Termination of the scheme :

(a) The Trust may wind up the Scheme and the Plan made thereunder under the following circumstances :

(i) on the happening of any event which in the option of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up; or

(ii) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up; or

(iii) if the SEBI so directs in the interest of the Members.

(b) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (a) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least a week before the termination is effected.

(c) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall —

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(d) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

(e) (i) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (d) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (e) (i) above, shall. in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of

the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(f) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(g) Notwithstanding anything contained hereinabove, the applictaion of the provision of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(h) After the receipt of the report referred to in clause XII (f) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(i) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the latest Account Statement along with the request letter for repurchase duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Account Statement, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XIII. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, insofar such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final. The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or tor smooth and easy operation of the Scheme and the Plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the provisions of the offer document shall be with prior approval of SEBI and in accordance with the terms of the regulations.

XV. Scheme and Plan made thereunder to be binding on members :

The terms of the Scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder.

XVI. Benefits to the members :

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme and the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Scheme and the Plan made thereunder till its closure.

Approval of members of the plan shall be sought in following circumstances :

(i) whenever required to do so by SEBI in the interest of the members; or

(ii) whenever required to do so on the requisition made by three-fourths of the members of the plan;

(iii) when the majority of the trustees decide to wind up or redeem the units; or

(iv) when any change in the fundamental atributes detailed in clause XI of the scheme or fees and expenses payable or any other change which would modify the plan or affect the interest of the members is proposed to be carried out, unless the consent of not less than three fourths of the members is obtained.

TAX GUIDE

Tax Concessions

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents under all schemes of the Trust including "UTISIF" will enjoy deduction from income, if any is distributed, upto an overall limit of Rs. 15,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in UTI-SIF will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase only after three years from the date of acceptance of the application.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB

Investment of entire or part of capital gains arising out of transfer of long term capital assets in UTI-SIF will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EB of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase only after seven years from the date of acceptance of the application.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act, 1961. Eligible Trusts investing in units will, therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

Rights of Members :

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the Plan.

2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.

3. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

4. The members have the right to have repurchase/redemption proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the concerned branch office of the Trust.

5. The members have the right to have account statements issued to them not later than 6 weeks from the date of closure of the initial offer period or 6 weeks from the date of acceptance of application when the fund reopens for sale after the closure of the initial offer period.

Custodians

Stock holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai-400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the aggreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur-208 001 and M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta-700 069. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investor Complaints

Complaints received, redrssed and pending for the period 01-05-1997 to 30-04-1998 are given below :

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Received
	Received	Redressed	Pending	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CCCF	869	813	56	6.44%
CGGF	6376	6129	247	3.87%
CGS-83	317	265	52	16.40%
CGUS-91	2358	2332	26	1.10%
CRTS	270	259	11	4.07%
DIP-91	2607	2570	37	1.42%
DIUP-93	529	518	11	2.08%
DIUP-95	1317	1306	11	0.84%
DIUS-90	1490	1471	19	1.28%
DIUS-91	1445	1416	29	2.01%
DIUS-92	1957	1946	11	0.56%
E. O. F.	490	483	7	1.43%
GCGI	16508	16460	48	0.29%
GMIS-91	4884	4803	81	1.66%
GMIS-92	7083	6921	162	2.29%
GMIS-92 (II)	1548	1297	251	16.21%
GMIS-B-92	1988	1828	160	8.05%
GMIS-B-92 (II)	1892	1795	97	5.13%
GRANDMASTER-93	1335	1315	20	1.50%
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1946	1782	164	8.43%
HOUSING UNIT SCHEME	239	210	29	12.13%
IISFUS-95, 96, 97	8	6	2	25.00%
IEF-97	108	96	12	11.11%
MASTERGAIN-92	91148	90604	544	0.60%
MASTERGROWTH-93	8861	8826	35	0.39%
MASTERPLUS-91	12177	11882	295	2.42%
MASTER SHARE-86	21682	20875	807	3.72%
MEP-91	3981	3952	29	0.73%
MEP-92	20667	20417	250	1.21%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MEP-93	50665	50531	134	0.26%
MEP-94	55811	55753	58	0.10%
MEP-95	4330	4278	52	1.20%
MEP-96	1499	1468	31	2.07%
MEP-97	1407	1393	14	1.00%
MEP-98	4	3	1	25.00%
MIP-93	1415	1394	21	1.48
MIP-94 (I)	2242	2202	40	1.78%
MIP-94 (II)	1495	1484	11	0.74%
MIP-94 (III)	4566	4528	38	0.83%
MIP-95	3721	3617	104	2.79%
MIP-95 (II)	3767	3717	50	1.33%
MIP-95 (III)	3419	3403	16	0.47%
MIP-96	2802	2779	23	0.82%
MIP-96 (II)	2828	2794	34	1.20%
MIP-96 (III)	3293	3235	58	1.76%
MIP-96 (IV)	15707	15618	89	0.57%
MIP--97	10657	10334	323	3.03%
MIP-97 (II)	9602	9274	328	3.42%
MIP-97 (III)	3715	3612	103	2.77%
MIP-97 (IV)	817	751	66	8.08%
MIP-97 (V)	386	241	145	37.56%
MIP-98	25	25	0	0.00%
MIS-B-93	3258	3213	45	1.38%
MIS-G-90 (I)	6856	6577	279	4.07%
MISG-90 (II)	4880	4616	264	5.41%
MISG-91	1448	1415	33	2.28%
OMNI-PLAN	91	82	9	9.89%
PRIMARY EQUITY FUND	1893	1791	102	5.39%
RAJLAKSHMI U.P.	3512	3301	211	6.01%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	2627	2557	70	2.66%
SENIOR CITIZEN U. P.	1443	1406	37	2.56%
UGS-2000	8963	8556	407	4.54%
UGS-5000	3768	3644	124	3.29%
ULIP	12616	11319	1297	10.28%
US-64	72742	69630	3112	4.28%
US-92	6252	6184	68	1.09%
US-95	2	2	0	0.00%
TOTAL	530604	519304	11300	2.13%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to the following address :

Central Investors Relation Cell,
Unit Trust of India
SNDT Women's University Basement
Door No. 1, Sir Vithaldas Thakersey Marg
Mumbai-400020.

Registrars

It has been decided that after sales services such as issue of Account Statement, settlement of claims, partial/full repurchase or change in name and address of the member will be handled initially by the UTI branch office at Ghatkopar at the following address :

UNIT TRUST OF INDIA
1st floor, Sagar Bonanza
Khot Lane, Ghatkopar (West)
Mumbai-400 086
Tel. No. 516 22 56

Later as operations stabilise the scheme may be extended to other centres

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020.

* The UTI Act
* The General Regulations
* The agreement with the custodians.
* Copy of Offer Document of UTISIF.

XVIII. DUE DILIGENCE

Due Diligence Certificate submitted to SEBI for UTI-SIF

It is confirmed that :

I. the draft offer document forwarded to Securities and Exchange Board of India is in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time;

II. the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding investment in the proposed scheme;

III. all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid.

Date : 5/2/98

Place : Mumbai

Signature : Sd/-
Name : B. S. PANDIT
Compliance Officer

with their Seal(s)

XVII. CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

i) HISTORICAL PER UNIT STATISTICS

Scheme (Date of Allotment)*	RUP (II) (01-07-94)				GUP (06-08-94)				MIP-94(II) (01-01-95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.86	11.10	12.35	10.00	10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
2. Net Income Per Unit	—0.14	1.04	0.84	0.70	0.16	0.99	0.47	0.27	0.10	1.17	1.17	0.01
3. Dividends : (%) p.a.	—	—	—	—	—	14.00	10.00	—	‡12.00	‡13.00	13.00	13.00
4. Transfer to Reserves	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.53	0.13	0.09	—
5. NAV At The End Of The Year	9.86	11.10	12.35	12.28	10.16	10.70	10.05	10.32	9.47	9.61	9.69	9.76
6. Annualised Return (%)	—1.35	5.52	7.82	6.50	1.74	11.03	8.44	8.02	1.46	5.75	8.97	9.86
7. Net Assets End of The Period (Rs Crs.)	104.07	220.09	307.50	356.65	100.08	135.45	132.98	136.22	697.94	693.10	682.38	681.56
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.036	0.022	0.011	0.006	0.034	0.037	0.005	0.002	0.007	0.007	0.120	0.003

‡12% upto 31-12-95; 13% 01-01-96—31-03-98.

Scheme (Date of Allotment)*	RBUP (26-12-94)				MEP-95 (31-03-95)				US)95 (02-01-92)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.71	11.63	13.90	10.00	9.61	11.57	11.34	10.00	99.96	102.75	98.70
2. Net Income Per Unit	—0.03	1.17	1.42	0.77	0.39	0.68	0.14	0.65	2.62	15.94	9.36	5.45
3. Dividends : (%) p.a.	—	—	—	—	—	—	—	—	12.00	13.50	12.50	—
4. Transfer to Reserves (if any)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. NAV At the End Of The Year	9.71	11.63	13.90	14.81	9.61	11.57	11.34	9.77	99.66	102.75	98.70	102.54
6 Annualised Return (%)	—5.62	10.78	15.52	15.9	—15.64	12.51	5.97	—0.83	11.54	14.90	12.31	11.52
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	24.42	72.73	122.43	137.31	1114.09	1339.13	1312.78	1130.66	173.42	209.19	119.70	100.54
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.034	0.009	0.007	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001

Scheme (Date of Allotment)*	PEF-95 (01-08-95)				MIP-95 (01-07-95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.95	12.28	12.45	10.00	10.05	10.35	10.74
2. Net Income Per Unit	—0.14	0.67	0.35	—0.20	0.05	1.33	1.12	0.53
3. Dividends : (%) p.a.	—	—	—	—	—	13.00	14.00	14.00
4. Transfer to Reserves (if any)	—	—	—	—	0.05	0.24	0.11	—
5. NAV At The End Of The Year	9.95	12.28	12.45	10.54	10.05	10.35	10.74	10.43
6. Annualised Return (%)	—	24.87	12.79	2.25	—	16.54	17.18	15.29
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	174.23	223.40	227.61	168.87	539.45	577.74	574.73	551.93
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.028	0.012	0.004	0.006	0.001	0.007	0.008	0.003

Scheme (Date of Allotment)	MIP-95 (II) (01-09-95)			IISFUS-95 (01-10-95)			DIP-95(01-10-95)			MEP-96 (31-03-96)		
	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year												
2. Net Income Per Unit												
3. Dividends : (%) p.a.												
4. Transfer to Reserves (if any)												
5. NAV At The End of The Year												
6. Annualised Return) (%)												
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)												
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets												

#13.50% upto 31-08-96; 14.00% 01-09-93—31-03-98.

1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29	11.05	10.00	9.96	11.23	10.0	9.98	10.66
2. Net Income Per Unit	0.79	1.44	0.89	0.24	1.35	0.64	0.02	1.24	0.78	—0.02	0.46	—1.40
3. Dividends : (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	14.50	14.50	14.50	15.00	15.00	15.00	—	—	—
4. Transfer to Reserves (if any)	0.16	0.43	—	—0.14	0.28	—	—0.11	0.13	—	—	—	—
5. NAV AT The End Of The Year	10.98	11.80	11.38	10.29	11.05	11.12	9.96	11.23	11.21	9.98	10.66	9.21
6. Annualised Return (%)	33.81	26.09	20.90	32.37	23.49	21.22	—	27.34	23.03	—	6.62	—5.28
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	443.59	458.39	436.40	238.24	250.67	249.15	385.61	417.80	416.65	23.34	26.10	21.10
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.010	0.005	0.004	0.011	0.005	0.003	0.010	0.004	0.003	0.016	0.009

1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00	11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	12.09
2. Net Income Per Unit	0.14	0.29	0.90	0.74	1.18	0.74	1.01	0.77	0.67	0.74	0.11	0.42
3. Dividends : (%) p.a.	—	—	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	15.00	—	—
4. Transfer to Reserves (if any)	—	—	0.08*	—	0.75	—	0.05	—	0.02	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	10.17	10.67	11.04	10.78	11.52	11.78	11.09	10.79	10.71	10.52	12.09	10.52
6. Annualised Return (%)	9.17	9.75	29.06	21.23	36.57	29.66	38.25	23.95	29.6	20.27	83.99	6.96
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	37.99	113.49	416.50	406.23	241.41	245.60	206.50	199.53	891.29	868.38	88.69	77.16
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.001	0.001	0.008	0.005	0.007	0.004	0.003	0.001	0.007	0.005	0.006	0.058

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97 (01-05-97)		MIP-97(I)(01-07-97)		IISFUS-97 (01-07-97)		IEF (01-08-97)		MIP-97(III)(01-09-97)	MIP-97(IV)(01-11-97)
	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	31-12-97	31-12-97
1. NAV At the Beginng Of The Year	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00	10.14	10.00	10.00	10.00	10.00
2. Net Income Per Unit	0.25	0.60	0.11	0.47	0.12	0.47	0.00	—1.19	0.27	0.13
3. Dividends : (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00		—	13.00	12.50
4. Transfer to Reserves (if any)	—0.06	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	10.32	10.20	10.09	10.04	10.14	10.39	10.00	8.81	9.81	9.85
6. Annualised Return (%)	33.44	16.89	—	14.71	—	22.76	—	—28.67	7.26	3.45
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	1195.73	1183.59	1462.16	1504.68	685.15	701.80	31.28	29.10	839.95	918.31
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.005	0.001	0.005	0.000	0.002	0.001	0.010	0.005	0.003

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97 (V) (01-01-98)	MEP-98 (31-03-98)	IISFUS-97(II) (01-02-98)
	31-12-97	31-12-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.00	10.00
2. Net Income Per Unit	0.03	0.04	0.04
3. Dividends : (%) p.a.	11.75	—	12.75
4. Transfer to Reserves (if any)	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	9.98	—	10.04
6. Annualised Return (%)	—	—	—
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	388.00	10.04	321.93
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.000	0.000	0.000

*For open ended schemes date of launch is given.

ii) There are no instances of borrowins by Schemes of the Trust.

UNIT TRUST OF INDIA

Corporate Office

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020

Tel. : 206 8468

ZONAL OFFICES

* Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel. : 218 1600. * Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Flr., Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. *Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. * Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

* Ahemedabad : B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahemedabad-380 009. Tel. : 658 3043. * Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel. : 332 481. * Bhopal : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558 308. * Indore : City Centre, 2nd Flr., 570, M.G. Marg, Indore-452 001. Tel. : 22796. * Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Gulmohor Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 6201995, * Mumbai : (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 702. Tel. : 7672607, * Mumbai : (3) Lotus Court Bldg., 156, Jamashedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 285 0821, * Mumbai : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S. V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel. : 898 0521, * Mumbai : (5) Sagar Bonanza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 516 2256. * Kolhapur : Ayodhya Towers; C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel. : 657 315. * Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Flr. , 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536 893. * Nasik : Sarda Sankul, 2nd Flr., M. G. Marg, Nasik-422 001. Tel. 572 166. * Panaji : E. D. C. House, Ground Flr., Dr. A. B. Marg, Panaji, Goa-403 001. Tel. : 222 472. * Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325 954. * Rajkot : Lalubhai Centre, 4th Flr., Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel. : 35112. * Surat : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001. Tel. : 434 550. * Thane : UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel. : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

* Bhubaneshwar : OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24, Janpath, Kharvela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. * Calcutta : 2, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. * Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Dev, Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel. : 546136. * Guwahati : Hindustan Bldg., 1st Flr., M. L. Nehru Marg, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543131. * Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. * Patna : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. * Siliguri : Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel. : 424671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

* Bangalore : Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, M. G. Marg, Bangalore-560 001. Tel. : 5595091. * Cochin : Jeevan Prakash, 5th Flr., M. G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. * Coimbatore : Chetan Towers 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel. : 214 973. * Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel. : 363 963. * Hyderabad : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 195. Tel. : 4611 095. * Chennai : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. * Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thiruparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel. : 38186. * Mangalore : Siddhartha Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001, Tel. : 426 258. * Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Flr., M. G. Marg, Thiruvananthapuram-695-001. Tel. : 331 415. * Trichy : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 760060. Trichur : 28/700, West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel. : 331259. * Vijaywada : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada-520 002. Tel. : 571134. * Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

* Agra : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahtama Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel. : 54408. * Allahabad : United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel. : 400521. * Amritsar : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr., Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel. : 210367. * Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel. : 703683. * Dehradun : 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel. : 746720. * Faridabad : B-614-617, Nehru Ground, NIT Faridabad-121 001. Tel. : 219156. * Ghaziabad : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel. : 790366. * Jaipur : Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel. : 365 212. * Kanpur-16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 317 278. * Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel. : 238591. * Ludhiana : Surya Kiran Phase II, 92, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel. : 441264. * New Delhi : Daily Tej, 3rd & 4th Flr., 8/B, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel. : 3318628. * Shimla : Flat No. 401, 402, 403, 405, Mukesh Apts, Fingask Estate, Near Hotel Sheel, Shimla-171 002. Tel. : 257803. * Varanasi : 1st Flr., D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel. : 358606.

The 14th July 1998

No. UI/DBDM/R-121/SPD102/97-98.—The Offer Document of the UTI-Bond Fund formulated under section 19(1)-(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the UTI-Bond Fund Scheme made under section 21 of the said Act approved in the Executive Committee Meeting held on 27th January, 1998 and modified by circulation on 10th February 1998 is published herebelow.

A. G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

UTI-BOND FUND

OFFER DOCUMENT

Offer open from May 04, 1998 to June 17, 1998

The UTI Bond Fund is a plan formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the UTI Bond Fund Scheme made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

The plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the subsequent amendments notified by SEBI and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

The primary objective of the plan is to provide good capital growth alongwith complete liquidity through investments in a debt portfolio.

Highlights

- An open ended, pure debt fund.
- Open to resident and non resident adult individuals/mentally handicapped persons/minors/HUFs/Trusts/Societies/Regd. Co-operative Societies, Bodies Corporate including Companies and Banks/Overseas Corporate Bodies (OCBs)/Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds/Partnership Firms.

  The plan offers only Capital Gains Option wherein the investments made qualify for long-term capital gains u/s 48 & 112 with benefit of indexation, thereby attracting a low rate of tax.
- There shall be no income distribution under the plan. The income and capital appreciation so accrued will be ploughed back into the plan and will be reflected as growth in the NAV. However, the Trust may offer an option for income distribution at a later date.
- The Plan offers easy liquidity with repurchase facility on a continuous basis from 18.07.98.
- No-load fund. The initial issue expenses of the fund will be borne by the Development Reserve Fund (DRF) of the Trust. There will be no sales charge or exit load. Sales and Repurchase will be at NAV. However, for repurchases within a year of investment there will be a deferred sales charge of 1.5%.
- NAV of the scheme will be prospective and determined on a daily basis.
- Repurchase/Redemption proceeds for NRIs and OCBs are fully repatriable, where the investment is made by remittances from abroad or by debit to the NRE account or by cheque/draft issued from proceeds of FCNR deposits.
- Tax benefits U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on long term capital gains from capital appreciation under the scheme.

  Capital gains tax exemption U/S. 54EA/54EB of the Income Tax Act, 1961 depending upon the source of fund, subject to lock-in period of three years/seven years respectively from the date of acceptance.

Risk Factors

- Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on the influence of market forces on the plan's portfolio. There can be no assurance that the fund's objective will be achieved.

  Performance of the previous schemes/plans is not necessarily an indication of future results.
- UTI Bond Fund is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan, its future prospects or returns. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management's perception of Risk Factors

- The Trust has been in operation for over 33 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58,000 crores from over 50 million investors.

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under the Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1. Shri G. P. Gupta—Chairman, Unit Trust of India.
2. Dr. P. J. Nayak—Executive Trustee, Unit Trust of India.
3. Shri S. Gurumurthy—Executive Director, Reserve Bank of India.
4. Shri S. H. Khan—Chairman, Industrial Development Bank of India.
5. Shri N. S. Sekhsaria—Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Shri P. R. Khanna—Chartered Accountant.
7. Shri G. Krishnamurthy—Chairman, L.I.C.
8. Shri M. S. Verma—Chairman & Managing Director, S.B.I.
9. Shri N. Vaghul—Chairman, ICICI Ltd.
10. Shri Rashid Jilani—Chairman & Managing Director, Punjab National Bank.

DETAILS OF THE UTI BOND FUND SCHEME

I. Short Title and Commencement :

(1) This Scheme shall be called the UTI BOND FUND SCHEME.

(2) The Scheme shall be an open ended scheme.

(3) The units under the Fund shall be kept open for sale during the 'initial offer period' for 45 days, i.e. from 4th May 1998 to 17th June, 1998. During the 'initial offer period' the units shall be sold at the face value of Rs. 10/-.

After 30 days from the date of closure of the 'initial offer period', the sale and repurchase of units under the fund will be kept open throughout the year except during book closure not exceeding 45 days in a year.

Provided, however, the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II Definitions :

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Accepptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same; the "acceptance date" will also be the date of allotment under the scheme

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the Scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible Institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.

(g) "Member" used as an expression under the Scheme and Plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(h) "Mentally handicapper person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(i) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grandparents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(j) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(k) "Overseas Corporate Bodies (OCBs)", include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 70% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(l) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(m) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act.

(n) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(o) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(p) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(q) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(r) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(s) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(t) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa. The other provisions of the scheme are available from page No. 11 to page No. 16.

DETAILS OF THE UTI BOND FUND FORMULATED UNDER THE UTI BOND FUND SCHEME ARE GIVEN HEREAFTER

I. Definitions :

The words not defined in the Plan and defined in the Scheme and the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit :

The face value of each unit issued under the schemes shall be ten rupees.

III Application for units :

(1) Appplication for units may be made by residents and also non residents

Residents

(a) individuals either singly or jointly with another or upto two other individuals on joint/either or survivor basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) other bodies corporate including companies formed under the Companies Act, 1956.

(h) Banks including Scheduled Banks, Regional Rural Banks, All Co-operative Banks etc.

(i) Hindu Undivided Family.

(j) Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds.

(k) a partnership firm.

Non-Residents On fully repatriable basis by

(a) Non resident adult individuals either singly or jointly with another or upto two other individuals on joint/either or survivor basis.

(b) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non-resident minor.

(c) Non-Resident HUF.

(d) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(2) An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member.

(3) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of Rs. 10,000/-. There will be no maximum limit. However, for subsequent investments under a folio the minimum investment is Rs. 500/- without any maximum limit. Units will be allotted in fractions upto three places after the decimal. In case of investment of Rs. 50 000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

V. Minimum target amount to be raised.

Amount of Rs. 10 crores is targeted to be raised during the 'initial offer period' under the scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust in full

The Trust shall by A/C payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount of Rs. 10 crores is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants @ 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. Limitation on expenses

Initial issue expenses shall be borne by the Development Reserve Fund of the Trust and will not be charged to the scheme.

Thus for every Rupee invested by an investor, the full amount will be invested in the scheme

Recurring expenses

The following expenses will be charged to the scheme on a resurring basis. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
Administrative Expenses	0.30
Development Reserve Fund	1.00
Staff Welfare Trust	0.10
Custodial Fees	0.30
Processing Charges	0.25
Marketing & Sales Promotion	0.30
Total	2.25

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. The total annual recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits :

(i) On the first Rs. 100 crores of the average daily net assets—2.25%.

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average daily net assets—2.00%.

(iii) On the next Rs. 300 crores of the average daily net assets—1.75%.

(iv) On the balance of the assets—1.50%.

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed the limits specified under clauses 2 and 3 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely :

(i) One and quarter of one percent of the daily average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crores, and

(ii) One percent of the excess amount over Rs. 100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores.

(iii) An additional management fee not exceeding 1% of the daily net assets outstanding in each financial year for scheme launched on 'No-Load' basis.

UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

VII. Mode of Payment

(1) (i) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

Provided, however, that the applicant who wishes to apply from a place other than where the Trust has its branch office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10,000 less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan

However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has it's branch office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) Mode of Investment with repatriation benefits :

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and capital appreciation earned thereon, as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency

(b) Draft in runees issued in favour of UTI by foreivn banks/Exchanye House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors.

In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) Mode of investment without repatriation benefits :

Where funds held in NRO accounst are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation earned thereon, will not qualify for repatriation out of India.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application .

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances :

(i) the initial investment is less than the minimum investment of Rs. 10,000/-.

(ii) subsequent investment under a folio is less than Rs. 500/-.

(iii) the application has not been signed by the first application and

(iv) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final

(b) Incomplete Application Liable for Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refused of such application

money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant to comply with requirements under the Scheme and the Plan made thereunder before being issued units :

Persons applying for units under the Scheme and the Plan made thereunder on behalf of a minor/mentally handicapped person shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Birth Certificate in case of minor/Oculist or Psychiatrist Certificate in case of Mentally Handicapped.

Applications for units on behalf of bodies like Partnerships/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed of the Partnership/Bye-Law of the Society/Statute governing the Body Corporate/Memorandum and Articles of Association of the Company together with Resolution of the governing Body authorising investment in the scheme. At the time of repurchase of the units, Trust Deed of the Trust, resolution of the governing body authorising repurchase and authorisation of the concerned official(s) of the Body to comply with the formalities and collect the repurchase cheque will have to be submitted.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VIII. Sale of Units :

The sale price of units during the 'initial offer period' shall be at par (i.e. Rs. 10/- per unit). The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

For subsequent offer periods the sale price will be the applicable NAV without any sales load, to be determined on the acceptance date.

On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice. UTI shall issue Unit Certificate on request. A Membership Advice/Unit Certificate issued by the Trust to the eligible institution/firm/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice/Unit Certificate so sent.

The Trust shall send the Membership Advice not later than six weeks from the date of closure of the initial offer perod or 6 weeks from the date of acceptance of application when the fund reopens for sale after the closure of the initial offer period.

Each member will have a separate folio account under which all investments made shall be included.

IX. Repurchase of units :

(1) No repurchase will be allowed within the lock-in period i.e. within 30 days from the date of closure of the initial offer period. Thereafter, repurchase will be open on daily basis.

(2) (i) The repurchase price will be the applicable NAV, without any discount to be determind on a daily basis.

However for repurchases within first one year from the date of investment there will be a deferred sales charge of 1.5% on the NAV as allowed under clause (e) of Tenth Schedule of SEBI (MFs) Regulations, 1996. This deferred sales charge will be credited to the Development Reserve Fund (DRF) of the Trust.

Repurchase shall be effected on receipt of the Statement of Account and Membership Advice/Unit Certificate duly discharged. Subject, however, to the fact that the Trust is fully satisfied that all formalities in that regard have been completed as is more particularly detailed in sub clause (3) hereto. Partial repurchase will be allowed, provided that no repurchase so made should result in the member's holding falling below Rs. 10,000/-

(ii) The unit holder shall be under no obligation to offer his units for repurchase as provided in sub clause 2 (i) above and he will be free to hold them as long as he desires during the currency of the plan.

(3) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

All the documents received shall be retained by the Trust for cancellation.

(4) In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice/Statement of Account/Unit Certificate, the request letter for repurchase, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust.

(5) Payment for units repurchased by the Trust shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the membership advice/statement of account/unit certificate alongwith the repurchase slip/unit certificate duly discharged at the centre where the repurchase request are processed.

(6) No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(7) In the case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as follows :

(a) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abrood/by cheque/draft issued from proceeds of member's FCNR deposit or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency (any exchange rate fluctuation will be borne by the member or can be sent to the member's relative in India for crediting the member's Non-Resident (External) Account provided he continues to be resident abroad. It can also be sent for crediting to his Non-Resident (Ordinary) Account if desired by the member.

(b) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the proceeds will be sent to the member's relative in India for crediting to the member's Non-Resident (Ordinary) Account.

(8) Bank Particulars : As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of cheques due to loss/misplacement applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form.

Repurchase cheques will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the repurchase cheque in the said bank for credit of their account.

In case Bank particulars are not given in the application, the repurchase cheques will be issued and despatched in the name of the member (first holder in the case of Jointholding or holding under Either or Survivor basis).

In such cases, UTI and the bankers will not be responsible if loss occurs through the cheques falling into improper hands through forgery or fraud.

In order to avoid fraudulent encashment of repurchase cheques investors are advised, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form.

(9) Systematic Withdrawal Plan

The Trust may offer a Systematic Withdrawal Plan under this Fund. Under the systematic withdrawal plan an investor could choose to receive a certain sum of money at periodic intervals.

The amount thus withdrawn by redemption shall be converted into units at the applicable NAV, and such units will be subtracted from the unit balance of that member. The fund may close an investor's folio if the balance falls below Rs. 10000/- (based on the applicable NAV) within 30 days after a written intimation in this regard is sent to the Member.

A Systematic Withdrawal Plan may be terminated on written notice by the member of the fund, and it will terminate automatically if all units are liquidated from the account, or upon the Fund's receipt of notification of death or incapacity of the Member.

X Sale and Repurchase Prices :

Since this is a No-load fund sale and repurchase prices will be the applicable NAV (prospective) without any load or discount to be determined on a daily basis. However for repurchases within the first one year from the date of investment there will be a deferred sales charge of 1.5% on the NAV. In respect of all sale and repurchase applications received by 2 p.m. on a particular day the applicable NAV will be that of the same day. All sale and repurchase applications received after 2 p.m. will be governed by the NAV of the following day.

XI Restrictions on sale and repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to sell or repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation : For the purpose of this Scheme and the Plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either,

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its office; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XII Membership Advice/Unit Certificate/Statement of Account.

The Trust shall issue Membership Advice/UTI shall issue Unit Certificate on request.

A unit certificate is transferable while a membership advice is not. Both are however equally valid evidence of admission of the investor into the plan.

A non-resident Indian may choose any one of the following modes of despatch of Membership Advice/Unit Certificate::

(a) At the applicant's Indian/Foreign address

OR

(b) At the applicant's relative address in India.

Statement of Account : Every member will receive a statement of account each time additional purchases or redemptions of units are made. In addition, each member also will receive an annual statement of account as soon as practicable after 31st March each year. Such annual statement will detail the investors' opening balance of units held in the folio as or 1st April of the previous year, all transactions that occurred during the preceding twelve months with respect to the folio such as additional purchases, redemptions, the closing balance of units held and the NAV of the units as of 31st March.

XIII. Manner of preparation of Membership Advice and Unit Certificate :

The Membership Advice and Unit Certificate shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust.

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorise to sign unit certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XIV. Exchange of Membership Advice/Unit Certificate and procedure when Membership Advice/Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc.

Membership Advice

For the purpose aforesaid the member under the Scheme and the Plan made thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

Unit Certificate

In case any unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its descretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof.

No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previsiouly have :

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate.

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilation or worn out or defaced Unit Certificate, and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

Notwithstanding the above, the member under the scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XV. Register of members :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members—

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia.

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the Membership Advice/Unit Certificate and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who had applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly. Request for change of name or address will be entertained only from the sole member or first member (in case of jointholding or holding under Either or Survivor basis).

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge and in connection with his own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVI. Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc. :

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

(5) A firm shall be registered as a member and the membership advice/unit certificate shall be made in the name of the firm.

XVII. Receipt by member to discharge Trust :

The receipt of the sole member or first member (in case of jointholding or holding under either or survivor basis) for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. Nomination by members :

(1) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident Indians can also be nominated. Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time. Applicant can change the nomination at any time during the currency of the plan.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF, partnership firms and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

XIX. Death of a member :

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor(s) shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (29 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee/legal heir is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee/legal heir, the nominee/legal heir may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership Advice/Unit Certificate in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the exising applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

(7) In the event of death of a single member during the lock-in-period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

(8) In the case of death of non-resident member(s) the repurchase proceeds of the units can be remitted to the non-resident nominee or legal heir(s) provided :

(a) units were bought out of funds remitted from outside India, from funds held in non-resident (E) account in India or from proceeds of FCNR deposits and

(b) the nominee/legal heir(s) continues to be residing outside India.

Where units have been purchased from funds held in NRO accounts the repurchase proceeds in case of non-resident nominee or legal heir(s) will not qualify repatriation out of India.

Cases of claims where nominee was resident at the time of nomination but subsequently became non-resident have to be referred to RBI for mode of remittance of the proceeds.

XX. Income Distribution

No income shall normallly be distributed under the plan. Growth shall be reflected in the Net Asset Value. However, the Trust reserves the right to distribute income in future.

DETAILS OF THE UTI BOND FUND SCHEME CONTINUED

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(1) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, based on the rating of the instrument as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(4) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(5) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(6) Investments in call money, bills purchased under rediscounting scheme and short term deposits with banks shall be valued at cost plus accrual; other money market instruments shall be valued at the yield at which they are currently traded. For this purpose, non-traded instruments that is instruments not traded for a period of seven days will be valued at cost plus interest accrued till the beginning of the day plus the difference between the redemption value and the cost spread uniformly over the remaining maturity period of instruments.

(7) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing market rates.

(8) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (7) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

IV. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the Scheme shall be determined on a daily basis. The NAV shall be issued to the press for publication after 30 days from the closure of the 'initial offer period' and on a daily basis thereafter.

V. (a). Investment Objective :

Investment objectives of the Scheme are to primarily provide Capital Gains with relatively low risk and also to provide easy liquidity to the investors by investing in a debt portfolio.

The Funds collected under the scheme shall be invested in debt and money market instruments. The risk profile of investment will be low to medium.

Debt-Maximum allocation—100%.

No fixed allocation will normally be made for money market instruments.

Investment in money market instruments will be kept to the minimum so as to be able to meet the liquidity needs of the plan.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

(b) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time; Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Transfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis. Explonation—"spot basis" shall have the same meaning as specified by stock exchange for spot transactions.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate inter-scheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

(v) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust.

(vii) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the members.

Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

(viii) The scheme shall not make any investment in;

(a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or

(b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or

(c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets of all the schemes of the Trust.

The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the plan as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

(c) However, notwithstanding anything contained in respect of clauses III, IV and V (b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/ Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

VI. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the Plan made thereunder

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Membership Advice/Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

VII. Transfer/Pledge/Assignment of Units :

Units issued under the Scheme are Transferable/ Pledgeable/Assignable subject to the following terms :

(a) The unit certificate (and not membership advice) issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause III of the provisions of the plan.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be buond to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificate shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor (all the transferors in case of joint-holding) and the transferee (all the transferees in case of joint purchase) and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Trust.

(f) The Trust may require such evidence as may be considered necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(g) The Trust may subject to compliance with such requirements as deemed necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Trust.

(i) The Trust recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue a certificate.

(j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Trust shall subject to the production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer. In the case of joint transferees, the unit certificate will be sent to and all future payments in respect of the unit certificate will be made only in the name of the first member.

VIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution

1% of the daily average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme. Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load scheme.

IX. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of daily average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the Welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

X. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be but not later than six months from the 30th June of each year publish through an advertisement, accounts in the manner specified by the SEBI showing the working of the Scheme and the Plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall before the expiry of two months from the close of the half year i.e. on 31st December publish its unaudited financial results. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and Revenue accounts as also unaudited half year accounts and a quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on receipt of a request in writing from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XI. Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

When any change in the fundamental attributes of the scheme or the trust or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the members is proposed to be carried out the consent of not less than three-fourths of the members shall be obtained :

Provided that no such change shall be carried out unless three fourths of the members have given their consent and those who do not give their consent are allowed redeem their holdings in the scheme.

Explanation : For the purposes of this clause "fundamental attributes" means

(i) Typpe of the scheme : Open ended debt fund.

(ii) Investment Objective : as mentioned in clause V(a) on page 12.

(iii) Terms of issue :

(a) Repurchase of units as mentioned in clause IX on pages 6 to 7, Transfer/Pledge/Assignment of units in clause VII on page 13 and Termination of the scheme as mentioned in clause XII on page 14 to 15.

(b) Aggregate fees and expenses as mentioned in clause VI on page 4.

XII. Termination of the Scheme and Plan made thereunder :

(a) The Trust may wind up the Scheme and the Plan made thereunder under the following circumstances :

(i) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up, or

(ii) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up; or

(iii) if the SEBI so directs in the interest of the Members.

(b) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (a) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least a week before the termination is effected.

(c) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme,

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(d) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

(e) (i) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (d) shall dispppose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (e) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(f) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the mmebers and a certificate from the auditors of the scheme.

(g) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(h) After the receipt of the report referred to in clause XII(g) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to erist.

(i) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged and the last issued Statement of Account has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice/Unit Certificate/Account Statement, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(j) In case of non-resident investors, repurchase/ maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below :

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency.

(ii) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in India to be credited to the member's NRO account.

XIII. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final. The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship ro for smood and easy operation of the Scheme and the Plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder in case of any mmeber or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the provisions of the offer document shall be with prior appproval of SEBI and in accordance with the terms of the regulations.

XV. Scheme and Plan made thereunder to be binding on members :

The terms of the Scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder.

XVI. Benefits to the members :

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme and the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Scheme and the Plan made thereunder till its closure.

Approval of members of the plan shall be sought in the following circumstances :

(i) whenever required to do so by SEBI in the interest of the mmebers; or

(ii) whenever required to do so on the requisition made by three-fourths of the mmebers of the plan;

(iii) when the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the units; or

(iv) when any change in the fundamental attributes detailed in clause XI of the scheme or any other change which would modify the plan or affect the interest of the members is proposed to be carried out unless the consent of not less than three fourths of the members is obtained.

TAX GUIDE

Tax Concessions

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws long term capital gains arising out of the plant will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in the UTI Bond Fund will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after lock-in of three years from the date of acceptance of the application.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB

Investment of entire or part of capital gains arising out of transfer of long term capital assets in the UTI Bond Fund will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EB of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after lock-in of seven years from the date of acceptance of the application.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

No deduction of tax at Source.

As there is no income distribution under the fund, there will be no deduction of tax at source In the event of income distribution in future income tax will be deducted at source as per the prevalent tax laws.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/gift tax/ capital gains tax, investments by NRIs/OCBs/FIIs are in conformity with the prevalent Income Tax Act, FERA and RBI's directions and permissions.

Rights of Members :

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the income declared by the Plan.

2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.

3. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

4 The Members have the right to have the repurchase/ redemption proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of then application at the concerned branch office of the Trust.

5. The members have the right to have membership advices issued to them not later than 6 weeks from the date of closure of the initial offer period or 6 weeks from the date of acceptance of application when the fund reopens for sale after the closure of the initial offer period.

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt

of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Scheme/Funds Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069.The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investor Complaints

Complaints Received, redressed and pending for the period 01-04-97 to 31-03-98 are given below.

Scheme Name	No. of complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	874	812	62	7.09%
CGGF	6391	6138	253	3.96%
CGS-83	351	275	76	21.65%
CGUS-91	2471	2449	22	0.89%
CRTS	239	225	14	5.86%
DIP-91	3111	3094	17	0.55%
DIUP-93	521	510	11	2.11%
DIUP-95	1396	1388	8	0.57%
DIUS-90	1656	1637	19	1.15%
DIUS-91	1599	1565	34	2.13%
DIUS-92	2080	2028	52	2.50%
E.O.F.	527	518	9	1.71%
GCGI	20747	20699	48	0.23%
GMIS-91	6104	5987	117	1.92%
GMIS-92	7966	7776	190	2.39%
GMIS-92 (ii)	1506	1157	349	23.17%
GMIS-B-92	1891	1706	185	9.78%
GMIS-B-92 (ii)	2079	1989	90	4.33%
Grandmaster-93	1348	1337	11	0.82%
Grihalaxmi Unit Plan	1756	1661	95	5.41%
Housing Unit Scheme	308	278	30	9.74%
IISFUS 95, 96, 97	7	6	1	14.29%
IEF-97	107	87	20	18.69%
Master Gain-92	106189	105573	616	0.58%
Master Growth-93	8829	8783	46	0.52%
Masterplus-91	13079	12704	375	2.87%
Mastershare-86	22129	20848	1281	5.79%
MEP-91	4281	4228	53	1.24%
MEP-92	22161	21743	418	1.89%
MEP-93	54619	54024	595	1.09%
MEP-94	62020	61701	319	0.51%
MEP-95	4695	4656	39	0.83%
MEP-96	1620	1602	18	1.11%
MEP-97	1384	1357	27	1.95%
MEP-98	3	2	1	33.33%
MIP-93	1454	1428	26	1.79%
MIP-94	2301	2219	82	3.56%
MIP-94 (ii)	1725	1715	10	0.58%
MIP-94 (iii)	5412	5373	39	0.72%
MIP-95	4419	4373	46	1.04%

Scheme Name	No. of complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
MIP-95 (ii)	3635	3593	42	1.16%
MIP-95 (iii)	3851	3821	30	0.78%
MIP-96	3367	3334	33	0.98%
MIP-96 (ii)	3132	3097	35	1.12%
MIP-96 (iii)	3692	3643	49	1.33%
MIP-96 (iv)	17387	17156	231	1.33%
MIP-97	10295	10091	204	1.98%
MIP-97 (ii)	9124	8771	353	3.87%
MIP-97 (iii)	3558	3466	92	2.59%
MIP-97 (iv)	720	630	90	12.50%
MIP-97 (v)	184	48	136	73.91%
MIP-98	4	0	4	100.00%
MIS-B-93	3557	3483	74	2.08%
MISG-90 (i)	6754	6389	365	5.40%
MISG-90 (ii)	4525	4167	358	7.91%
MISG-91	1479	1451	28	1.89%
Omni-Plan	92	82	10	10.87%
Primary Equity Fund	1819	1755	64	3.52%
Rajlakshmi U. P.	3359	3236	123	3.66%
Retirement Benefit Plan	2616	2538	78	2.98%
Senior Citizen Unit Plan	1397	1368	29	2.08%
UGS-2000	9147	8648	499	5.46%
UGS-5000	3992	3818	174	4.36%
ULIP	12652	11390	1262	9.97%
US-64	74852	71523	3329	4.45%
US-92	6150	6111	39	0.63%
US-95	2	2	0	0.00%
TOTAL	551929	539318	12611	2.28%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non-compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre I, 28th Floor,
World Trade Centre, G D Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel : 2180172/2153846

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700 001
Tel : 2434981/75

SOUTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai-600 001
Tel : 5260146

NORTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, 2nd Floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002
Tel : 332 9860, 3311225

Registrars

It has been decided that after sales services such as issue of Unit Certificate/Membership Advice/Statement of Accounts, Transfer, Settlement of Claims, Partial/Full repurchase or change in name and address of the member will be handled by UTI at its branch offices given on the last page.

The Branch offices of the Trust have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, transfer forms and repurchase requests, despatch of Unit Certificates/Membership Advices/Account Statements and income warrants, if any, within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020.

* The UTI Act
* The General Regulation
* The agreement with the custodian.
* Copy of Offer Document of UTI BOND FUND.

UTI has submitted the following due diligence certificate to SEBI

It is confirmed that

(i) the draft offer document is in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the subsequent amendments notified by SEBI and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time.

(ii) the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding investment in the proposed scheme;

(iii) all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid.

Date : 19-03-1998
Place : Mumbai

Signature : Sd/-
Name : B. S. Pandit
Compliance Officer
With seal

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

Historical Statistics	1993-94							1994-95							
	MIS POOL	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B92 POOL	MISS 93 POOL	B MIP 94	MIP 94 (ii)	MIS 90 POOL	GMIS POOL	GMIS T 92 POOL	MIS B 93 POOL	MIP 94	MIP 94 (ii)	MIP 94 (iii)	MIP 95
(A) Net Asset Value, per unit :	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05
(B) Gross income per unit broken up into															
(i) Income other than Profit on sale of investment, per unit	1.99	1.44	1.53	1.63	0.90	0.55	0.05	1.40	1.72	1.64	1.34	0.96	0.67	0.17	0.06
(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit	3.26	—	0.35	—	0.10	—	—	—	0.03	0.17	0.08	—	—	0.03	—
(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.17	0.02	0.04	0.07	0.05	—	—	0.04	0.05	—	—	0.01	0.01	—0.03	—
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit															
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit	0.10	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.01
(D) Net income, per unit	5.33	1.44	1.88	1.64	0.97	0.49	0.02	1.40	1.74	1.74	1.36	0.90	0.60	0.10	0.05
(E) Annualised Return															
(Cumm. Opn.)														2.03	
(Non-Cumm. Opn.)														1.42	
(F) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	—0.12	0.80	1.71	1.00	0.86	0.04	0.09	0.28	1.00	0.05	0.27	—0.42	—0.40	—0.44	—0.02
(G) Market price															
Highest															
Lowest															
Repurchase price															
Highest															
Lowest															
Sale price															
Highest															
Lowest															
PE Ratio															
(H) Per unit, ratio of expenses to average net assets by Percentage	0.65	0.23	0.36	0.45	0.65	0.57	0.35	0.46	0.49	0.56	0.55	0.66	0.76	0.69	0.14
(I) per unit, ratio of gross income to average net assets by Percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investment)	36.49	19.95	28.01	23.03	17.41	5.45	1.42	15.49	21.51	16.06	15.47	9.73	2.84	—2.87	0.42
(J) Per unit NAV	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

Historical Statistics	1995-96											
	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B92 POOL	MIS B 93 POOL	MIP 94	MIP 94 (ii)	MIP 94(iii)	MIP 95	MIP 95 (ii)	MIP 95 (iii)	MIP 96	MIP 96(ii)
(A) Net Asset Value, Per unit	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96
(B) Gross income per unit broken up into												
(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	1.40	1.74	1.65	1.45	1.60	1.15	1.20	1.38	1.19	0.83	0.27	0.05
(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit	—	0.05	0.10	0.02	0.11	0.01	0.02	—	—	0.01	0.01	—
(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.06	0.51	0.12	0.03	0.08	0.06	0.03	0.02	0.11	0.02	—	—
(iv) Transfer to revenue account from Past year's reserve per unit	—	—	0.04	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit	0.04	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
(D) Net income, per unit	1.43	2.22	1.84	1.43	1.70	1.15	1.17	1.33	1.22	0.79	0.24	0.02
(E) Annualised Return												
(Cumm. Opn.)												
(Non-Cumm. Opn.)												
(F) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	0.26	0.72	0.41	0.40	—0.39	—0.42	—0.49	0.06	0.55	0.82	0.43	0.07
(G) Market Price												
Highest												
Lowest												
Repurchase price												
Highest												
Lowest												
Sale Price												
Highest												
Lowest												
PE Ratio												
(H) per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage	0.34	0.54	0.60	0.60	0.80	0.73	0.75	0.71	0.81	0.58	0.44	0.28
(I) per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from Pastyear's reserve but including unrealised appreciation on investment)	15.82	22.39	19.30	17.09	17.55	12.61	13.06	14.33	16.97	15.21	6.89	1.16
(J) per unit NAV	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

HISTORICAL STATISTICS	1996-97																
	*MISG 90 pool	*GMIS pool	*GMISB 92 pool	*MISB 93 pool	‡MIP 94	‡MIP 94 (ii)	‡MIP 94 (iii)	‡MIP 95	‡MIP 95 (ii)	‡MIP 95 (iii)	‡MIP 96	‡MIP 96 (ii)	‡MIP 96 (iii)	‡MIP 96 (iv)	‡MIP 97	‡MIP 97 (ii)	‡ MIP 97 (iii)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(A) Net Asset Value, Per unit;	10.85	12.34	13.37	11.53	10.39	9.73	9.69	10.74	11.42	11.80	11.05	11.23	11.04	10.71	10.32	10.09	10.00
(B) Gross income Per unit broken up into,																	
(i) Income other than Profit on sale of investment,	1.89	3.85	1.63	1.15	1.29	1.15	1.27	1.05	1.22	1.55	1.43	1.28	0.96	0.71	0.31	0.12	0.00
(ii) Income from Profit on inter scheme sales/transfer of investment, Per unit;	0.16	0.91	0.53	0.06	—0.23	—0.07	—0.03	0.17	0.16	0.18	0.10	0.10	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
(iii) Income from Profit on sale of investment to third Party, Per unit;	0.10	0.72	0.01	0.01	0.02	0.06	0.00	—0.02	0.05	0.06	—0.00	—0.02	—0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
(iv) Transfer to revenue account from Past year's reserve Per unit;	—0.00	1.08	0.12	0.00	0.00	0.00	—0.00	0.00	0.01	0.00	—0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, Per unit;	0.07	0.27	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.13	0.12	0.12	0.12	0.09	0.07	0.06	0.01	0.00
(D) Net income, Per unit;	2.08	5.20	2.11	1.15	1.01	1.07	1.17	1.12	1.30	1.66	1.40	1.24	0.90	0.57	0.25	0.11	0.00
(E) Unrealised appreciation/ depreciation in value of investments, per unit;	0.07	0.34	0.11	0.27	0.03	—0.33	—0.28	0.33	0.77	1.24	0.90	1.21	1.12	0.69	0.37	0.12	0.06
(F) Market Price																	
Highest																	
Lowest																	
Repurchase Price (cum- opn)																	
Highest			@ 14.20				12.13	12.15	12.60	12.45	11.50	—	—		—	—	
Lowest			@13.30				11.15	10.65	11.00	11.55	11.50	—	—	—	—	—	—
Repurchase price (Monthly, opn)																	
Highest			@10.00				9.15	9.65	0.05	10.40	9.75	—	—	—	—	—	—
Lowest			@10.00				8.80	9.30	9.45	10.00	9.75	—	—	—	—	—	—
Sale price																	
Highest																	
Lowest																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(G) Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage;	0.65	2.04	0.59	0.65	0.75	0.74	0.79	0.76	1.13	1.05	1.11	1.11	0.82	0.66	0.58	0.12	0.04
(H) Per unit, ratio of gross income to average net asets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investment)	20.46	44.20	17.67	12.98	10.75	8.31	9.97	14.47	19.69	26.63	22.73	24.23	19.16	13.29	6.61	2.34	0.61
(I) Per unit NAV	10.85	12.34	13.37	11.53	10.39	9.73	9.69	10.74	11.42	11.80	11.05	11.28	11.04	10.71	10.32	10.09	10.00

*Data is for Poolwise & not individual Schemewise Data Pertains to Individual Schemes @ only under MISB 93.

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas, Thackersey Marg, Mumbai-400 020.

Tel : 206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel : 218 1600. Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Flr., Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel : 517 101. Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahmedabad : B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahmedabad-380 009. Tel. : 642 3043. Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel. : 332 481. Bhopal : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558 308. Indore : City Centre, 2nd Flr., 570, M. G. Marg, Indore-452 001. Tel. : 22796. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B' Gulmohor Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995. (2) Perseplois Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel. : 7-672607. (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamshedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 285 0821. (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S. V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel. : 898 0521. (5) Sagar Bonanza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 516 2256. Kolhapur : Avodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel. : 657 315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536 893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Flr., M. G. Marg, Nasik-422 001. Tel. : 572166. Panaji : E. D. C. House, Ground Flr., Dr. A. B. Marg, Panaji, Goa-403 001. Tel. : 222 472. Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325 954. Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Flr., Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel. : 35112. Surat : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001. Tel. : 434550. Thane : UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel. : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24, Janpath, Kharvela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. Calcutta : 2, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel. : 546136. Guwahati : Hindustan Bldg., 1st Flr., M. L. Nehru Marg, Pan Bazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. Patna : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel. : 424671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, M. G. Marg, Bangalore-560 001. Tel. : 5595691. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Flr., M. G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. Coimbatore : Cheran Towers 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel. : 214 973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel : 363 963 Hyderabad : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street Hyderabad-500 195. Tel. : 461 1095 Chennai : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel : 517 101. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel : 38186. Mangalore : Siddhartha Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel : 426 258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Flr., M. G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel : 331415. Trichy : 104 Salai Marg Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel : 760060 Trichur : 25/700 West Pallithamam Bldg., Kannankaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel. : 331259. Vijayawada : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel. : 74434. Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel. : 54408. Allahabad : Untted Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel. : 400521. Amritsar : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr. Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel. : 210367 Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel. : 703683. Dehradun : 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel. : 746720. Faridabad : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel. : 219156. Ghaziabad : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel. : 790366. Jaipur : Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel. : 365 212. Kanpur : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 317 278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel. : 238591. Ludhiana : Surya Kiran Phase II, 92, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel. : 441264. New Delhi : Gulab Bhavan, 2nd Flr., 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel : 3318638. Shimla : Flat No. 401, 402, 403, 405, Mukesh Apts., Fingask Estate, Near Hotel Sheel, Shimla-171 002. Tel. : 257803. Varanasi : 1st Flr., D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel. : 358606.

The 14th July 1998

No. UT/DBDM/SPD-107/R-121/97-98.—The Offer Document of the Master Value Unit Plan 1998 formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India Act 1963, (52 of 1963) approved in the Executive Committee Meeting held on 29th April, 1998 is published herebelow.

A. G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development and Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

MASTER VALUE UNIT PLAN 1998

Offer document

OFFER OPEN FROM JUNE 01, 1998 TO JUNE 30, 1998

The Unit Scheme Master Value Unit Plan 1998 has been formulated under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), by the Board of Trustees of UTI. This offer document sets forth concisely the information about the scheme that a prospective investor ought to know before investing. The offer document should be retained for future reference.

The scheme particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filled with SEBI, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Objective of the scheme

This is an equity Scheme. The scheme aims at "capital appreciation" through investments in B group scrips of BSE and similar scrips

HIGHLIGHTS

*A five year close ended equity scheme with option to roll over for a further period of 3/5 years.

*The face value of a unit is Rs. 10/- and units will be sold at par.

*Minimum investment is Rs. 5,000/- and thereafter in multiples of Rs. 1,000/-. There is no maximum limit.

*This is a growth scheme. Consistent with this objective normally there may not be any distribution of income.

*NAV of the scheme will be determined at weekly intervals.

*The scheme shall be listed on the BSE and NSE within six months from the closure of subscription.

*Income/redemption proceeds for NRIs and OCBs are fully repatriable, where the investment is made by remittances from abroad or by debit the NRE account or by cheque/draft issued from proceeds of FCNR deposits.

*Tax benefits under section 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on capital gains from capital appreciation. Capital gains tax exemption under section 54EA of the Income Act, 1961 subject to lock-in for three years from the date of acceptance.

II. DEFINITIONS

In this scheme unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause IV of the scheme.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefit of the partnership.

(g) "Listed" means the listing of units for the purpose on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange.

(h) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(i) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grandparents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(j) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units and remaining outstanding.

(k) "Overseas Corporate Bodies" (OCBs), include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such, persnos.

(l) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(m) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(n) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 under Section 43 (1) of the Act.

(o) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(p) "Society" means a society established under the Societies Registration Act, 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(q) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through the stock exchanges after the first allotment of units.

(r) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(s) "Unit Capital" means the aggregate the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(t) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(u) All other expenses not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(v) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

III. RISK FACTORS

*Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and there is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be achieved.

*Investment in close ended schemes may face the possibility of infrequent trading/units being quoted at a discount to NAV. Therefore, as with any investment in securities, the NAV of the units issued under the scheme can go up or down depending on the factors and forces affecting capital markets.

*Performance of previous schemes is not necessarily an indication of future results.

*Master Value Unit Plan 1998 is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme or its future prospects and returns.

*Due to general illiquidity in the B group type of securities, realisation of investment objective may take more time than expected. Since the prices of such scrips are dependent on forces and factors affecting capital markets, the market price of such scrips may at times quote below their par value.

IV. UNITS & OFFER

1. This Scheme shall be called the Master Value Unit Plan 1998 [MVUP '98].

2. The Scheme shall be for a period of five years i.e. from July 01, 1998 to June 30, 2003.

3. Units will be on sale from June 01, 1998 to June 30, 1998 for 30 days. Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

4. The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

5. Application for units :

Application for units may be made by residents and also non residents.

Residents

(i) individuals either singly or jointly with another or upto two other individuals.

(ii) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(iii) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(iv) an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped person.

(v) Society as defined under the scheme.

(vi) Registered co-operative society.

(vii) Other bodies corporate including companies formed under the Companies Act, 1956 and Banks.

(viii) Hindu Undivided Family.

(ix) Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds.

(x) Partnership firm*.

(xi) PSUs.

(xii) Association of Persons/Bodies of Individuals.

(xiii) Financial Institutions.

(xiv) Any other categoriy of investors.

Non-Residents on fully repatriable basis by

(i) Non resident adult individuals either singly or jointly with another or upto two other individuals.

(ii) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non- resident minor.

(iii) Non-Resident HUF.

(iv) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

Foreign Institutional Investors registered with SEBI

* An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the unitholder.

6. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of Rs. 5,000/- and thereafter in multiples of Rs. 1,000/-. There is no maximum limit. In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

7. Minimum target amount to be raised

amount of Rs. 50 crores is targeted to be raised under the scheme. Oversubscription if any, will be retained in full.

The Trust shall by A/C payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount of Rs. 50 crores is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants @ 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

8. Listing

Units shall be listed on Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange within six months from the date of closure of subscription. Application for listing be made to both the stock exchanges immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

16—189 GI/98

9. Unit Certificate

The Trust shall send Unit Certificate not later than 6 weeks from the date of closure of units under the scheme. A unit certificate is transferable and is a valid evidence of admission of the investor into the scheme.

The Unit Certificate shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust.

The non resident Indian may choose any one of the following modes of despatch of Unit Certificate :

(i) At the applicant's Indian/Foreign address

OR

(ii) At the applicant's relative address in India.

10. Transfer/Pledge/Assignment of Units :

Units issued under the Scheme are Transferable/Pledgeable/Assignable subject to the following term s:

(i) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned under item 5 of "Units and Offer".

(ii) Transfers may be effected only by and between transferors (all the transferors in case of joint holding) and transferees (all the transferees in case of joint purchase) who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(iii) Transfer instruments with the relative unit certificate and accompanied by such fees as may be prescribed from time to time by the Trust shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for purpose.

(iv) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(v) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of unitholders by the Registrars.

(vi) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(vii) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(viii) Upon Registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate, may be retained by the Registrars.

(ix) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the orignal or fresh unit certificate to the transferee upon payament and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue a certificate.

(x) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to the production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(xi) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate alongwith income warrants, if any, to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

In the case of joint transferees, the Unit Certificate will be sent to and all future payments in respect of the Unit Certificate will be made only in the name of the first holder.

11. Termination of the Scheme

(i) The Scheme shall stand finally terminated on June 30, 2003 the outstanding units of the unitholders shall be redeemed and the unitholders shall be paid the value of their units at the redemption price i.e. at NAV as on the date of redemption. Besides receiving redemption price, no further benefit of any kind either by way of increase in the redempton value or by way of income for any subsequent period shall acrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the scheme for a further period of 3/5 years. In such an event the unitholder shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time as also switch over to any open ended scheme of the Trust on the terms that may be decided then.

The extension of the period of the scheme for a further period of 3/5 years shall be in conformity with sub regulation 4 of regulation 33. The provisions of the sub regulation are :

A closed ended scheme shall be fully redeemed at the end of the maturity period.

Provided that a close ended scheme may be allowed to be rolled over if the purpose, period and other terms of the roll over and other material details of the scheme including the likely composition of assets immediately before the roll over, the net assets and net asset value of the scheme, are disclosed to the unitholders and a copy of the same has been filled with SEBI.

Provided further, that such roll over will be permitted only in case of those unit holders who express their consent in writing and the unitholders who do not opt for the roll over or have not given written consent shall be allowed to redeem their holdings in full at net asset value based price.

(ii) The Trust may wind up the Scheme under the following circumstances :

(a) on the expiry of five years of the scheme i.e. on June 30, 2003 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust

(b) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme to be wound up, or

(c) if 75% of the Unitholders pass a resolution that the scheme be wound up; or

(d) if the SEBI so directs in the interest of the Unitholders.

(iii) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (ii) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(iv) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(b) cease to create and cancel units in the scheme.

(c) cease to issue and redeem units in the scheme.

(v) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholders to consider and pass necessary resolution by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

(vi) (a) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (v) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the unitholders of scheme.

(b) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (vi) (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(vii) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SSBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up. expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the scheme.

(viii) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and anual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(ix) After the receipt of the report referred to in item (vii) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(x) The Trust shall pay the redemption value as early as possible after the Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(xi) In case of non-resident investors, maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below :

(a) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the unitholder's FCNR deposits or from funds held in unitholder's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the unitholder in foreign currency.

(b) When units have been purchased from funds held in unitholder's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in India to be credited to the untholder's NRO account.

V. EXPENSES

(a) Units will be sold at par during the period of offer.

(b) (i) Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the Scheme is estimated to be as under :

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

(ii) Initial issue expenses for the schemes lanuched during the last fiscal year are as follows :

Scheme	Expenses (% of funds collected)
MMMF	—
MIP-96 (II)	2.51
MIP-96 (III)	2.93
MIP-96 (IV)	2.61
MIP-97	2.57
DIP-91	3.00
EOF	3.76
MEP-97	5.56
IISFUS-96	0.31

The expenses borne by the Trust (by charge to DRF) in respect of schemes launched during the last fiscal year are :

Scheme %	Expenses (% of funds collected)
MMMF	0.002
EOF	6.33
MEP-97	3.13

(c) In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Processing charges	0.75
Total	2.50

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of th funds collected for initial issue expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total annual recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits.

(i) On the first Rs. 100 crores of the average weekly net assets—2.50%

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets—2.25%

(iii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets—2.00%

(iv) On the balance of the assets—1.75%

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely :

(i) One and quarter of one percent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crores, and

(ii) One percent of the excess amount over Rs. 100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores.

UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

(d) Development Reserve Fund (DRF) contribution

0.25% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year. DRF contribution willl be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Suveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load schemes.

(e) Staff Welfare Trust Contribution

0.1% of weekly average Net asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the Welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

V. SALE OF UNITS

1. The sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Unit Certificate. A Unit Certificate issued by the Trust to the eligible institution, firm or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/firm/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Unit Certificate so sent.

The Trust shall send the Unit Certificate not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the Scheme.

2. Mode of Payment

(i) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which application is tendered is situated.

Provided, however, that the applicant who applies from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association. The collection centres/franchise offices are authorised to accept applications alongwith cheque payable locally or demand draft payable at places upto which the scheme is decentralised in which case the applicant may deduct charges as per the guidelines of Indian Banks Association, e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10,000 less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Scheme.

However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the the branch of the Trust authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 7 days from the date of issue of draft. If the application amount is less than the minimum investment under the scheme, the entire amount shall be refunded to the application at his cost in such manner as the Trust may deemfit-

cation is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 7 days from the date of issue of draft. If the application amount is less than the minimum investment under the Scheme, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) Mode of Investment with repatriation benefits

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon (if any) and capital appreciation, as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/ Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors.

In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) Mode of investment without repatriation benefits

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation, will not quality for repatriation out of India.

However as per RBI circular A.D. (M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.

While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/ Tax consultants if they desire remittance of income on units.

Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc. :

(i) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as unitholders.

(ii) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(ii) Where an applicant is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in donig so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(iv) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

(v) A firm shall be registered as a unitholder and the certificate shall be made in the name of the firm.

4. Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances :

(i) the application is received with less than the minimum investment of Rs. 5,000/-.

(ii) the application has not been signed by the first applicant and

(iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

5. Applicant to comply with requirements under the Scheme before being issued units.

Persons applying for units under the Scheme on behalf of a minor/mentally handicapped person shall satisfy the Trust about their eligibility to make an applicant and comply with all requirements of the Trust such as Birth Certificate in case of minor/Oculist or Psychiatrist Certificate in case of Mentally Handicapped.

Applications for units on behalf of bodies like Partnerships/ Trusts/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed of the Partnership/Trust Deed of the Trust/Bye-Law of the Society/Statute governing the Body Corporate/Memorandum and Articles of Association of the Company together with Resolution of governing Body authorising investment in the scheme. At the time of redemption of the units, resolution of the governing body authorising the concerned official(s) of the Body to comply with the formalities will have to be submitted.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of units holders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution, if any, wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. INCOME & DISTRIBUTION

This is a growth scheme. Consistent with this objective, normally there may not be any distribution of Income. However the Trust reserves the right to declare income distribution/bonus.

Bank particulars of investors :

Electronic Clearing Service :

Reserve Bank of India has introduced the concept of Electronic Clearing Services (ECS) through the clearing house to obviate the need for issuing and handling paper instruments and thereby facilitate improved customer service. This is being introduced by the Trust mainly to help the small inves-

tors of Mumbai whose income is less than Rs. 1,00,000/- vide one single instrument.

As per guidelines issued by RBI in this regard, the investor is required to give this mandate for ECS as per the format given in the application form with all the details completed therein. This will help the Trust to credit the income amount to investor's account with the concerned bank at the earliest and eliminate the work of printing and despatch of income warrants and serve him better. The bank branch will credit the unitholder's account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of account. The applicant who desires to avail of this facility may fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch code no etc. in the application form.

It is however not compulsory to avail of this facility.

In case the response to this facility is not sufficient enough to handle or for any other reasons, instead of paying income under "ECS", the Trust may pay the amount by issue of cheque.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss /misplacement, applicants who do not avail of the above facility as also those residing outside Mumbai are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Unitholders may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account.

In case the bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the unit holder (first holder). In such case, UTI and the Bankers will not be responsible if loss occurs through the cheques falling into improper hands through forgery or fraud.

In order to avoid fraudulen encashment of Income Distribution Warrants/Maturity cheques, SEBI has made it mandatory for the investors, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form.

Income Distribution to Non Resident Indian investor

In the case of income declaration income under the scheme shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows :

(i) The warrant can be issued in the name of the unitholder and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the unitholder.

OR

(ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for crediting his account.

VIII. INVESTMENT OBJECTIVES, POLICIES & STOCK LENDING

1. Investment Objective :

Investment objectives of the Scheme is "capital appreciation" through investments predominantly in B group scrips of BSE and similar scrips.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial preoperative and operational expenses generally be invested as follows :

(i) Atleast 80% of the funds will be invested in the shares constituting B group of BSE and similar scrips. The Trust will invest in companies with good medium to long term prospects having any of the following characteristics :

(a) a low P/E ratio OR

(b) attractive dividend paying company with low price OR

(c) low price to book value ratio OR

(d) relatively illiquid but with promising potential OR

(e) shares quoted below par/issue prices but having promising future

(f) any other scrip as per the Trust's option having promising future

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities and equity related instruments that do not fall under the category mentioned above including warrants, convertibles, derivatives and money market instruments.

Minimum and maximum asset allocation :

B group of BSE and similar scrips—Minimum 80% Maximum 100%.

Other Equity and Equity related instruments and Money Market Instruments—Maximum 20%.

The Trust retains the option to alter the asset allocation for a short term period on defensive consideration.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

2. Portfolio Turnover

As the funds will be invested in B group type securities the portfolio turnover will be insignificant.

3. Fundamental Attributes

"Fundamental attributes" means the following :

(a) Type of scheme : Master Value Unit Plan 1998 is a closed-end equity scheme.

(b) Investment objective : As provided under clause VIII (1) above.

(c) Terms of issue : provisions in this offer document in respect of listing, redemption of units and expenses.

Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the unitholders. Further in the event of a change in the fundamental attributes those who not give their consent will be allowed to redeem their unitholdings in the scheme.

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

4. Investment Polices

(i) No term loans will be advanced by this scheme.

(ii) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(iii) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust.

(v) The scheme may consider to lend securities in accordance with the stock lending scheme of SEBI.

(v) The scheme shall not make any investment in :

(a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or

(b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or

(c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets of all schemes of the Trust.

(vi) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Broad of Trusttees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

5. List of schemes wherein companies have invested more than 5% of the net asset value of a scheme for the period ended 31-12-97.

Sr. No.	Scheme Name	Name of Company holding more than 5% of Scheme assets	Amount invested by the company (Rs. Crs.)	% to total Net assets of the Scheme
1.	PEF '95	Bank of Baroda	26.43	15.65
2.	Grand Master	Bank of Baroda	26.56	24.89
3.	IISFUS '96	The Surat Peoples Co-op. Bank Ltd. Surat	21.00	10.52
4.	IISFUS '97	HDFC	125.00	17.81
		Hindustan Lever Ltd.	50.00	7.12
5.	UTI-MMF	SHCIL	28.39	25.02
		UTI-Bank Ltd.	10.30	9.08
		BOI Mutual Fund	9.78	8.62
		Arvind Mills	9.62	8.48
		Britannia Industries	8.5	7.49
6.	UTI-IEF	IDBI	10.00	34.37
		ICICI	3.00	10.31
		ICRA	2.10	7.21
7.	MIP 97(IV)	Oriental Bank of Commerce	51	5.87
		HP State Co-op. Bank Ltd.	47	5.41

Investments made by that scheme or any other scheme of UTI in that company or its subsidiaries on an aggregate basis for the period ended 31-12-97.

(Rs. Crores)

Company Name	Equity (Cost)	Debt (Cost)	Term Loan	Deposits	Total
Arvind Mills	100.05	8.27	0.10	0.00	108.42
Bank of Baroda	20.12	0.00	0.00	0.00	20.12
BOI Mutual Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Britannia Industries	32.09	0.00	0.00	0.00	32.09
HDFC	299.72	0.00	0.00	145.00	444.72
HDFC Bank Ltd.	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
Hindustan Lever Ltd.	648.47	5.85	0.00	—	654.32
HP State Co-op. Bank Ltd.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ICICI	307.50	1193.18	885.00	45.00	2430.68
ICICI Banking Corporation Ltd.	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05
ICICI Securities & Finance Company Ltd.	0.00	33.00	—	—	33.00
ICRA	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
IDBI	374.50	1097.56	0.00	0.00	1472.06
SIDBI (IDBI Subsidiary)	0.00	17.86	0.00	0.00	17.86
SHCIL	4.96	—	6.25	0.00	11.21
Oriental Bank of Commerce	10.67	0.00	0.00	0.00	10.67
The Surat Peoples Co-op. Bank Ltd. Surat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTI-Bank Ltd.	111.40	0.00	0.00	0.00	111.40

6. However, notwithstanding anything contained in respect of clauses VIII (4), XI(1) and XI (2), the valuation of assets, computation of NAV and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

IX. INTER-SCHEME TRANSFERS

Transfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if :—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis, Explanation : "spot basis" shall have the same meaning as specified by stock exchange for spot transactions.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

X. ASSOCIATE TRANSACTIONS & BORROWINGS

1. The scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate interscheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

2. The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the unitholders.

Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

3. As per section 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers :

(i) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon.

(ii) The Trust may borrow money from the Reserve Bank :—

(a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India;

(b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government

(c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme ;

Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed —

(a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and

(b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate.

(iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.

XI. NAV DETERMINATION & VALUATION OF ASSETS

1. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and substracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV shall be issued to the press for publication within six months from the closure of subscription and on a weekly basis thereafter

2. Valuation of assets pertaining to this Scheme

(i) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(ii) Unquoted/non-traded equity shares are valued at the average of capitalisation of earning and the book-value (break-up value) minus 10%.

(iii) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(iv) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds are valued at yield to maturity, as deteremined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(v) Investments in call money, bills purchased under rediscounting scheme and short term deposits with banks shall be valued at cost plus accrual; other money market instruments shall be valued at the yield at which they are currently traded. For this purpose, non-traded instruments that is instruments not traded for a period of seven days will be valued at cost plus interest accrued till the beginning of the day plus the difference between the redemption value and the cost spread uniformly over the remaining maturity period of instruments.

(vi) The aggregate value of investments as computed in accordance with (i) to (v) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

XII. ACCOUNTING POLICIES

1. Income recognition

(i) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

(ii) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(iii) Profit or loss on sale of investments is recognised on the dates on the basis of weighted average cost.

(iv) Commitment charges are accounted for on accrual basis.

(v) Underwriting commission is recognised as revenue on cash basis when there is no development. In case of development, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.

(vi) Front-end fee received on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments. Front-end fee received on loans is recognised as income in the first year of disbursement.

(vii) Premium/profit on redemption of debentures/bounds and other miscellaneous income are accounted for on receipt basis.

(viii) Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Dividend outstanding for more than one accounting year is provided for in full.

2. Expenses

(i) Expenses are accounted for on accrual basis.

(ii) Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes on a basis determined by the Board of Trustees under the power vested as per the provisions of Section 25(4) of the Unit Trust of India Act, 1963.

(iii) Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent as decided by the Board of Trustees from other schemes for their usage of the said assets.

3. Deferred revenue expenditure

In accordance with the powers vested under the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, certain expenses are deferred as decided by the Board of Trustees as under :—

(i) The initial/rights issue expenses and commission to agents, incurred by the close ended schemes are written off equally over the tenure of the respective schemes.

(ii) Common expenses allocated to close ended equity oriented schemes in the year of launch are written off equally over the tenure of the schemes.

(iii) When units are repurchased/brought-back, the deferred revenue expenses to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

4. Investments

(i) Investments are stated at cost or written down cost.

(ii) In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

(iii) Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

(iv) Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

(v) The cost of investments include brokerage and service tax but does not include stamp fees which is charged to revenue.

5. Depreciation in the value of investments

(i) Where, in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial impairment in the value of unquoted equity or preference shares, the cost of such shares is written off against Unit Premium/General reserve/Revenue Account as the case may be.

(ii) In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is a substantial improvement in the quality of an investment written off in earlier years, the same is written back to its original book value.

(iii) Provisions are made by charging Revenue Account in respect of all other investments viz. debentures and bonds, secured/unsecured transferable notes, term loans and deposits classified as non-performing, if interest payment thereon is past due for 180 days or more. These provisions are made for each non-performing asset individually and not for other performing assets of the same company.

(iv) Provisions for non-perfoming assets are made on the basis of period for which the assets remain non-performing as under :—

Period for which asset remains non performing	Percentage of Provision Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years but upto three years	20%	100%
Exceeding three years but upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(v) Where principal repayment remains past due in respect of (i) Term loans for two instalments, & (ii) other debt investments/deposits for one instalment, provision is made for such outstanding instalments. The overall provision for such asset is limited to the percentage mentioned in the above table or the amount in default (upto 100% for unsecured and 50% for secured assets) whichever is higher.

(vi) In case of funding of interest, by way of capitalisation of outstanding interest dues, the funded interest is provided in full irrespective of the period of default.

(vii) Provisions for non-performing assets in respect of (iv), (v) and (vi) above, are made by charging to Unit Premium/General Reserve/Revenue Accounts as the case may be.

6. Fixed assets :

(i) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.

(ii) Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates :

(a) Building and premises	5%
(b) Furniture and Fixture	10%
(c) Office equipments, Building improvements, Computers and Motor Vehicles	33.33%
(d) Leasehold land is amortised equally over the period of lease.	
(e) Building improvements in premises taken on lease for a period not more than 8 years are amortised equally over the unexpired period of lease and in other cases depreciated at	33.33%

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.

7. Buy-back of units

The units of schemes, listed on Stock Exchanges which are bought back for redemption through open market operations are accounted for on trade dates. The difference between the acquisition cost and the face value is charged to the Revenue Appropriation Account. The face value of units redeemed is reduced from Unit Capital on receipt of advices from Registrars.

8. Income distribution

Provisions for income distribution is made as determined by the Board of Trustees.

Provision for Income Distribution is also made on application money pending capitalisation under all schemes, except in respect of schemes where units are sold at a premi-

um or discount to its face value. The income distribution on these schemes is charged to the Revenue Appropriation A/c in the year of capitalisation.

9 Publication of financial results

The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one national English daily and one Marathi Daily.

XIII. TAX TREATMENT OF INVESTMENTS

1. Tax Concessions :

Taxation of income and capital appreciation under the scheme will be subject to prevalent tax laws. Income from units under all schemes of the Trust including "MVUP'98" (as and when declared) will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 15,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of investment in the scheme will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the scheme is fully exempt from wealth tax.

2. Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in MVUP '98 will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of transfer/pledge only after three years from the date of the application.

3. For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act, 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

4. Deduction of Tax at source

Residents

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable to individual unitholders, HUFs, Partnership Firms and other investors not being companies, in case income is distributed and, if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source @ 20% from income payable to companies if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Non-Residents

In the case of income declaration, the tax deducted at source will be as under :

Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source of the rate of 20% on income received by NRIs in respect of units of any Schemes of UTI acquired by them payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

As per circular No. 734 F No. 500/4/96-FTD. dated 24th January, 1996 issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Revenue in order to avoid double taxation for Non-Resident unitholders residing in UAE the tax will be deducted at source at a concessional rate of 15% where source of fund is NRO account.

6. No deduction of tax

Residents

Unitholder (not being a company or a firm), desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration in writing, in duplicate, in the prescribed form No. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/her estimated total income of the assesment year be nil, in accordance with the income tax rules. The prescribed form No. 15H for non deduction of tax at source should be submitted alongwith the application and for subsequent years atleast three months before the despatch of income distribution warrent, issued of bonus units, faling which tax will be deducted at source as per the prevelent tax law

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Sections 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form.

Non-Residents

In case of Non-Residents, if units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from income tax.

In the above case UTI shall not deduct income tax at soruce irrespective of the amount of income.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/capital gains tax, investments by NRIs/OCBs/FIIS are in conformity with the prevalent Income Tax Act, FERA and RBI's directions and permissions.

XIV. INVESTOR'S RIGHTS & SERVICES

1. Unitholders under the Scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the income declared or bonus, if any.

2. The Unitholders have a right to ask the Trustees about any information which have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Unitholders.

3. The Unitholders have the right to have the unit certificate issued to them not later than 6 weeks from the date of sale of units.

4. The Unitholders have the right to have the redemption proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office handling redemption.

5. In the case of income declaration the unitholders have the right to have income warrants depatched within 42 days from the date of declaration of the income.

6. An abridged annual report in respect of the Master Value Unit Plan 1998 shall be mailed to all unitholders not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and the full annual report shall be available for inspection at the Central Investors' Relations Cell and a copy shall be made available to the unitholders on request on payment of nominal fee, if any.

7. The Unitholders have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relation Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020.

   * The UTI Act
   * The General Regulations
   * The agreements with the custodians, registrars and collecting bankers.
   * Copy of Offer Document of MVUP'98.

8. Approval of unitholders shall be sought through a Postal Ballot in specified circumstances.

XV. CONSTITUTION & MANAGEMENT OF UNIT TRUST OF INDIA

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging

saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees*

1. Shri G. P. Gupta
Chairman, Unit Trust of India
2. Dr. P. J. Nayak
Executive Trustee, Unit Trust of India
3. Shri S. Gurumurthy
Executive Director, RBI
4. Shri S. H. Khan
Chairman, Industrial Development Bank of India
5. Shri N. S. Sekhsaria
Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Shri P. R. Khanna
Charatered Accountant
7. Shri G. Krishnamurthy
Chairman, L.I.C.
8. Shri M. S. Verma
Chairman, S B.I.
9. Shri N. Vaghul
Chairman, ICICI Ltd.
10. Shri Rashid Jilani
Chairman & Managing Director
Punjab National Bank

* The other current directorships of the Trustees are as follows :

1. Shri G. P. Gupta—(i) Chairman Governing Council-UTI-Institute of Capital Markets (ii) Chairman & Director-Unit Trust of India Investment Advisory Services Limited, United Trust of India Investor Services Ltd, The India Fund, India Growth Fund Inc., India Access Ltd., Over-The-Counter (OTC) Exchange of India & The India Public Sector Fund Ltd. (iii) Director-UTI Bank Ltd., The Industrial Credit & Investment Corporation of India & Discount and Finance House of India Ltd. (iv) Chairman-UTI Securities Exchange Ltd. & Collumbus India Fund (iv) Council Member-Indian Institute of Bankers (v) Member-Life Insurance Corporation of India.

2. Dr. P. J. Navak—(i) Member Governing Council-UTI-Institute of Capital Markets (ii) Director-Unit Trust of India Investor Services Ltd., Unit Trust of India Investment Advisory Services Ltd., Association of Mutual Fund of India & National Securities Depository Ltd.

3. Shri S. H. Khan—Director-Industrial Finance Corporation of India, IDBI Bank Ltd. & Board of Infrastructure Development Finance Company Ltd.

4. Shri N. S. Sekhsaria—Director-Shri Arbuda Mills Ltd., Gujarat Venture Finance Ltd., Radha Madhav Investments Ltd & Gruh Finance Ltd.

5. Shri P. R. Khanna—Director-SBI Capital Markets Ltd., Modi Rubber Ltd, Telemecanique & Controls (India) Ltd., DCM Shriram Industries Ltd, Godfrey Phillips India Ltd., Indag Rubber Ltd., Tovo Mirrors Pvt. Ltd., Marketing Research Group Pvt. Ltd. & Sita Holidays Resorts Ltd.

6. Shri G. Krishnamurthy—(i) Chairman-LIC (International) EC, LIC Housing Finance Ltd. & Jeevan Bima Sahayog Asset Management Company. (ii) Director-General Insurance Corporation of India, Kenindia Assurance Co. Ltd., Discount & Finance House of India, Indian Railway Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India & National Housing Bank.

7. Shri M. S. Verma—(i) Chairman-SBI Capital Markets Ltd., SBI Fund Management (P) Ltd., SBI Gilts Ltd., SBI Securities Ltd., SBI European Bank Ltd., SBI Factors and Commercial Services Pvt. Ltd., State Bank of Indore, State Bank of Saurashtra, State Bank of Patiala, State Bank of Bikaner & Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Travancore, State Bank of India (California) & State Bank of India (Canada) (ii) Vice-President-Indian Institute of Bankers (Governing Council) (iii) Director-National Bank for Agriculture and Rural Development, Industrial Investment Bank of India & General Insurance Corporation (iii) Member-National Institute of Bank Management (Member of the Governing Board & Chairman of Campus Committee & Finance Committee), Institute of Banking Personnel Selection (Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee) & Indian Bank's Association (Member of the Managing Committee).

8. Shri N. Vaghul—(i) Chairman-Technology Development Information Company of India Ltd., Bangalore, Credit Rating Information Services of India Ltd., Indian Institute For Foreign Training, Kansbahal & 20th Century Venture Capital Corporation (ii) Director-Industrial Development Bank of India, Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta, Housing Development Finance Corpn. & Discount and Finance House of India Ltd.

9. Shri Rashid Jilani—(i) Director-Industrial Finance Corporation of India Ltd., Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation of India, Exim Bank of India, Agricultural Finance Corporation of India Ltd., Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., Oriental Insurance Co. Ltd., Small Industries Development Bank of India, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, National Institute of Bank Management, Pune, Indian Institute of Banker & Indian Investment Centre, New Delhi (ii) Chairman-Indian Banks' Association (iii) Chairperson-Swift User Group-India (iv) Member-Swift-Asia Pacific Advisory Council.

Management of the Fund—Shri B. G. Daga, Chief General Manager will be the fund manager.

Qualifications : (i) M. Com., (ii) Govt. Commercial Diploma of Government of Maharashtra, (iii) Certified Corporate Secretary, Corporation of Secretaries, London, (iv) Associate International Accountant, Association of International Accountants, London, (v) Diploma in Cooperation, Indian Institute of Bankers, Mumbai and (vi) CAIIB.

Experience and Background-last 10 years : Chief General Manager (Department of Funds Management-Equity and market operations thereof, Department of International Finance and Equity Research Cell). Primary responsibility-Management of Equity/Growth oriented funds both domestic and offshore. Other responsibilities are Equity Research and Offshore fund structuring.

Designation/Department/Period	Responsibilities
Chief General Manager/ Dept. of Market Operations/ April '95 - Oct. '97.	Management of domestic growth oriented schemes
Chief General Manager/ Dept. of Policy Planning/ Oct. '94 - March '95.	Setting up of joint venture with State Street Bank & Trust Co., Boston and an AMC in Egypt.
Joint General Manager/ Chief General Manager/ Dept. of International Finance/February '91 - Sept. '94.	Fund Management and other related activities of India Fund and India Growth Fund. Servicing International Investors. Negotiation and Structuring of new offshore products/joint ventures.
Deputy General Mgr./	Setting up an Asset Management Company in Sri Lanka and guiding its Fund Management and Operations systems etc.
Finance & Investments/ October '87 - January '91.	Primary Market investment
Assistant Controller of Foreign Exchange/Assistant Manager. RBI/21-06-62 to 30-09-87.	Administration of Foreign Exchange Regulation Act in all aspects with particular reference to foreign investment in India. Prepared a Comprehensive report on impact of dilution of foreign equity in multinational companies in India. Participated in deliberations of the Informal Committee on valuation of shares for fixing premium for new issues and fixation of price for equity disinvestments by foreign investors (1997—1982).

XVI. OTHER SERVICE PROVIDERS FOR THE SCHEME

1. Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai-400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

The SHCIL has applied for registration number.

The custody charges are as under :

Market operations at the rate of Rs 100/- per transaction (sales, purchase and primary markets)

The slabs for custody fees are as under :

Value of assets held	Basis point
upto Rs. 2000 crs.	12
between Rs. 2000 crs. to Rs. 3000 crs.	11
between Rs. 3000 crs. to Rs 4000 crs.	10
between Rs. 4000 crs. to Rs. 5000 crs.	9
Above Rs. 5000 crs.	8

The effective rate for UTI since its holding falls above Rs. 5000 crores is @ 8 basis points per annum. The total service chargs payable on account of the transaction and custody with a ceiling of Rs 35 crores.

2. Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur-208 001 and M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta-700 069. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Registrar and transfer agent

M/s. Datamatics Financial Services Limited-SEBI Registration no. INR 000000874-have been appointed as the Registrar and Transfer agent.

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, transfer forms, despatch of unit certificates and income distribution warrants within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from the following office of the Registrars :

A-16 and 17, MIDC, Part B Cross Lane,

Marole, Andheri (East), Mumbai-400 093

4. Collecting and Paying Bankers

Applications will be accepted by all branches of UTI, CR Collection Centres and Franchise Offices.

Selected branches of Oman International Bank have been appointed for collection of applications from Non-Residents.

Oman International Bank S.A.O.G.,
1-A, Mittal Court, Nariman Point,
Mumbai-400 020

XVII. INVESTOR GRIEVANCES REDRESSAL

1. All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Ms. Tanvi Upadhye/
Mridul Mukhopadhyay
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre 1, 28th Floor,
World Trade Centre, G. D. Somani Marg.
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel. : 2180172/2153846

EASTERN ZONE :

Shri S. L. Chakrabarti
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700 001
Tel. : 2434575/81

SOUTHERN ZONE :

Ms. Shirin Ramprasad/Ms. Hari Priya S.
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai-600 001
Tel. : 5260146

NORTHERN ZONE :

Shri B. Chakrabortty
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, IInd Floor,
5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.
Tel. : 332 9860/3311225

2. Investor Complaints redressal record

Complaints received, redressed and pending for the last three years are :

Period	No. of Complaints			Pending to Total Received
		e ssed	Pending	
01-7-95 to 30-04-96	685997	651813	34184	4.[illegible]%
01-04-96 to 31-03-97	470169	447495	22675	4.82%
01-04-97 to 31-03-98	551929	539318	12611	2.23%

Schemewise details of complaints received, redressed and pending for the period 01-05-1997 to 30-04-1998 are given below :

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Received
	Received	Redressed	Pending	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CCCF	869	813	56	6.44%
CGGF	6376	6129	247	3.87%
CGS 83	317	265	52	16.40%
CGUS-91	2358	2332	26	1.10%
CRTS	270	259	11	4.07%
DIP-91	2607	2570	37	1.42%
DIUP-93	529	518	11	2.08%
DIUP-95	1317	1306	11	0.84%
DIUS-90	1490	1471	19	1.28%
DIUS-91	1445	1416	29	2.01%
DIUS-92	1957	1946	11	0.56%
E. O. F.	490	483	7	1.43%
GCGI	16508	16460	48	0.29%
GMIS-91	4884	4803	81	1.66%
GMIS-92	7083	6921	162	2.29%
GMIS—92 (II)	1548	1297	251	16.21%
GMIS-B-92	1988	1828	160	8.05%
GMISB-92 (II)	1892	1795	97	5.13%
GRANDMASTER-93	1335	1315	20	1.50
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1946	1782	164	8.43%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
HOUSING UNIT SCHEME	239	210	29	12.13%
HSFUS-95, 96, 97	8	6	2	25.00%
IEF-97	108	96	12	11.11%
MASTER GAIN-92	91148	90604	544	0.60%
MASTER GROWTH-93	8861	8826	35	0.39%
MASTER PLUS-91	12177	11882	295	2.42%
MASTER SHARE-86	21682	20875	807	3.72%
MEP-91	3981	3952	29	0.73%
MEP-92	20667	20417	250	1.21%
MEP-93	50665	50531	134	0.26%
MEP-94	55811	55753	58	0.10%
MEP-95	4330	4278	52	1.20%
MEP-96	1499	1468	31	2.07%
MEP-97	1407	1393	14	1.00%
MEP-98	4	3	1	25.00%
MIP-93	1415	1394	21	1.48%
MIP-94 (I)	2242	2202	40	1.78%
MIP-94 (II)	1495	1484	11	0.74%
MIP-94 (III)	4566	4528	38	0.83%
MIP-95	3721	3617	104	2.79%
MIP-95 (II)	3767	3717	50	1.33%
MIP-95 (III)	3419	3403	16	0.47%
MIP-96	2802	2779	23	0.82%
MIP-96 (II)	2828	2794	34	1.20%
MIP-96 (III)	3293	3235	58	1.76%
MIP-96 (IV)	15707	15618	89	0.57%
MIP-97	10657	10334	323	3.03%
MIP-97 (II)	9602	9274	328	3.42%
MIP-97 (III)	3715	3612	103	2.77%
MIP-97 (IV)	817	751	66	8.08%
MIP-97 (V)	386	241	145	37.56%
MIP-98	25	25	0	0.00%
MIS-B-93	3258	3213	45	1.38%
MISG-90 (I)	6856	6577	279	4.07%
MISG-90 (II)	4880	4616	264	5.41%
MISG-91	1448	1415	33	2.28%
OMNI-PLAN	91	82	9	9.89%
PRIMARY EQUITY FUND	1893	1791	102	5.39%
RAJALAKSHMI U.P.	3512	3301	211	6.01%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	2627	2557	70	2.66%
SENIOR CITIZEN U.P.	1443	1406	37	2.56%
UGS-2000	8963	8556	407	4.54%
UGS-5000	3768	3644	124	3.29%
ULIP	12616	11319	1297	10.28%
US-64	72742	69630	3112	4.28%
US-92	6252	6184	68	1.09%
US-95	2	2	0	0.00%
TOTAL	530604	519304	11300	2.13%

Reasons for complaints are :

(i) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(ii) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(iii) Change of address of investor not informed/not updated.

(iv) Loss in transit.

(v) Postal delay.

(vi) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(vii) Incomplete details while forwarding the complaints.

(viii) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(ix) Letters/Documents sent o the wrong office/Registrars.

XVIII. PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/INVESTIGATIONS

1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of UTI are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers).

2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel.

3. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.

XIX CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

(i) Historical per unit statistics

Scheme *(Date of Allotment)	RUP(II) (01-07-94)				GUP (06-08-94)				MIP-94(III) (01-01-95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning of The Year	10.00	9.86	11.10	12.35	10.00	10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
2. Net Income Per Unit	—0.14	1.04	0.84	0.70	0.16	0.99	0.47	0.27	0.10	1.17	1.17	0.01
3. Dividends (%) p.a.	—	—	—	—	—	14.00	10.00	—	12.00	13.00	13.00	13.00
4. Transfer to Reserves (if any)	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.53	0.13	0.09	—
5. NAV At The End Of The Year	9.86	11.10	12.35	12.28	10.16	10.70	10.05	10.33	9.47	9.61	9.69	9.76
6. Annualised Return (%)	—1.35	5.52	7.82	6.50	1.74	11.03	8.44	8.02	1.46	5.75	8.97	9.86
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	104.07	220.09	307.50	356.65	100.08	135.45	132.38	136.22	697.94	693.10	682.38	681.56
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.036	0.022	0.011	0.006	0.034	0.037	0.005	0.002	0.007	0.007	0.120	0.003

‡12% upto 31-12-95; 13% 01-01-96-31-03-98

Scheme *(Date of Allotment)	RBUP (26-12-94)				MEP-95 (31-03-95)				US-95 (02-01-95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV at The Beginning Of The Year	10.00	9.71	11.63	13.90	10.00	9.61	11.57	11.34	10.00	99.96	102.75	98.70
2. Net Income Per Unit	—0.03	1.17	1.42	0.77	—0.39	0.68	0.14	—0.65	2.62	15.94	9.36	5.45
3. Dividends (%) p.a.	—	—	—	—	—	—	—	—	12.00	13.50	12.40	—
4. Transfer to Reserves (if any)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	9.71	11.63	13.90	14.81	9.61	11.57	11.34	9.77	99.66	102.75	98.70	102.54
6. Annualised Return (%)	—5.62	10.78	15.52	15.95	—15.64	12.51	5.97	—0.83	11.54	14.90	12.31	11.52
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	24.42	72.73	122.43	137.31	1114.09	1339.13	1312.78	1130.66	173.42	209.19	119.70	100.54
8. Ratio of Recurring Exp. To Net Assets	0.034	0.009	0.007	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001

Scheme *(Date of Allotment)	PEF-95 (01-089-5)				MIP-95 (01-07-95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97	1994-95	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.95	12.28	12.45	10.00	10.05	10.35	10.74
2. Net Income Per Unit	—0.14	0.67	0.35	—0.20	0.05	1.33	1.12	0.53
3. Dividenflds (%) p.a.	—	—	—	—	—	13.00	14.00	14.00
4. Transfer to Reserves (if any)	—	—	—	—	0.05	0.24	0.11	—
5. NAV At The End Of The Year	9.95	12.28	12.45	10.54	10.05	10.35	10.74	10.43
6. Annualised Return (%)	—	24.87	12.79	2.25	—	16.54	17.18	15.29
7. Net Assets Of The Period (Rs. Crs.)	174.23	223.40	227.61	168.87	539.45	577.74	574.73	551.93
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.028	0.012	0.004	0.006	0.001	0.007	0.008	0.003

Scheme (Date of Allotment)	MIP-95(II) (01-09-95)			IISFUS-95 (01-10-95)			DIP-95 (01-10-95)			MEP-96 (31-03-96)		
	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00	10.59	10.00	12.06	13.70	10.00	12.00	12.59
2. Net Income Per Unit	1.22	1.30	0.66	1.42	1.58	0.76	1.24	1.43	0.84	0.13	0.14	0.06
3. Dividends: (%) s.a.	‡13.50	†14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	—	—	26.00	—	—	—
4. Transfer to Reserves (if any)	0.35	0.31	—	—	—	—	1.24	1.43	—	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	10.89	11.42	11.29	11.00	10.59	11.30	12.06	13.70	14.08	12.00	12.59	11.10
6. Annualised Return (%)	24.27	21.53	19.34	28.40	18.38	20.76	27.48	21.16	23.87	80.20	20.70	6.29
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	365.24	366.14	357.71	195.45	182.60	196.42	120.82	134.87	137.58	235.94	247.35	217.98
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.008	0.011	0.005	0.005	0.006	0.002	0.009	0.008	0.004	0.006	0.007	0.004

†13.50% upto 31-08-96; 14.00% 01-09-96-31-03-98.

Scheme (Date of Allotment)	MIP-95(III) (01-01-96)			MIP-96 (01-05-96)			MIP-96 (II) (01-07-96)			EOF (01-07-96)		
	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97	1995-96	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29	11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.66
2. Net Income Per Unit	0.79	1.44	0.89	0.24	1.35	0.64	0.02	1.24	0.78	—0.02	0.46	—1.40
3. Dividends: (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	14.50	14.50	14.50	15.00	15.00	15.00	—	—	—
4. Transfer to Reserves (if any)	0.16	0.43	—	—0.14	0.28	—	—0.11	0.13	—	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	10.98	11.80	11.38	10.29	11.05	11.12	9.96	11.23	11.21	9.98	10.66	9.21
6. Annualised Return (%)	33.81	26.09	20.90	32.37	23.49	21.22	—	27.34	23.03	—	6.62	—5.28
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	443.59	458.39	436.40	238.24	250.67	249.15	385.61	417.80	416.65	23.34	26.10	21.10
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.010	0.005	0.004	0.011	0.005	0.003	0.010	0.004	0.003	0.016	0.009

Scheme *(Date of Allotment)	MMMF (23-04-97)		MIP-96(III) (01-10-96)		DIP-91 (15-10-96)		IISFUS-96 (01-01-97)		MIP-96(IV)(01-01-97)		MEP-97 (31-03-97)	
	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00	11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	12.09
2. Net Income Per Unit	0.14	0.29	0.90	0.74	1.18	0.74	1.01	0.77	0.67	0.74	0.11	0.42
3. Dividends: (%) p.a.	—	—	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	15.00	—	—
4. Transfer to Reserves (if any)	—	—	—0.08	—	0.75	—	0.05	—	0.02	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	10.17	10.67	11.04	10.78	11.52	11.78	11.09	10.79	10.71	10.52	12.09	12.52
6. Annualised Return (%)	9.17	9.75	29.06	21.23	36.57	29.66	38.25	23.95	29.61	20.27	83.99	6.96
7. Net Assets End Of The period (Rs. Crs.)	37.99	113.49	416.50	406.23	241.41	245.60	206.50	199.53	891.29	868.38	88.69	77.16
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.001	0.001	0.008	0.005	0.007	0.004	0.003	0.001	0.007	0.005	0.006	0.058

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97 (01-05-97)		MIP-97(II) (01-07-97)		IISFUS-97(01-07-97)		IEF (01-08-97)		MIP-97(III)(01-09-97)	MIP-97(IV)(01-11-97)
	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	1996-97	31-12-97	31-12-97	31-12-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00	10.14	10.00	10.00	10.00	10.00
2. Net Income per Unit	0.25	0.60	0.11	0.47	0.12	0.47	0.00	—1.19	0.27	0.13
3. Dividends (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	—	—	13.00	12.50
4. Transfer to Reserves (if any)	—0.06	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	10.32	10.20	10.09	10.04	10.14	10.39	10.00	8.81	9.81	9.85
6. Annualised Return (%)	33.44	16.89	—	14.71	—	22.76	—	—28.67	7.26	3.45
7. Net Assets End Of The period (Rs. Crs.)	1195.73	1183.59	1462.16	1504.68	685.15	701.80	31.28	29.10	839.95	918.31
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.005	0.001	0.005	0.000	0.002	0.001	0.010	0.005	0.003

Scheme *(Date of Allotment)	MIP-97 (V) (01-01-98)	MEP-98 (31-03-98)	IISFUS-97(II)(01-02-98)
	31-12-97	31-12-97	31-2-97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.00	10.00
2. Net Income per Unit	0.03	0.04	0.04
3. Dividends (%) p.a.	11.75	—	12.75
4. Transfer To Reserves (if any)	—	—	—
5. NAV At The End Of The Year	9.98	—	10.04
6. Annualised Return (%)	—	—	—
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	388.00	10.04	321.93
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.000	0.000	0.000

*Date of launch is given for open ended schemes.

(ii) There are no instances of borrowing by schemes of the Trust.

Scheme	NAV as on 30-04-98	Annualised Return(%)
RUP (II)	12.95	7.90
GUP	11.01	8.90
MIP-94(III)	8.99	9.67
RBUP	15.02	15.01
MEP-95*	10.39	1.23
US-95	108.58	14.00
PEF-95*	10.69	2.16
MIP-95	9.42	14.01
MIP-95(II)	10.15	17.65
IISFUS-95	11.69	19.63
DIP-95	12.50	15.11
MEP-96*	12.04	9.16
MIP-95(III)	10.42	15.76
MIP-96	10.34	16.17
MIP-96(II)	10.60	18.20
EOF*	9.51	—2.66
MMMF@	11.0742	10.30
MIP-96(III)	10.35	17.17
DIP-91	9.92	13.66
IISFUS-96	11.21	21.19
MIP-96(IV)	9.94	14.48
MEP-97*	10.93	4.29
MIP-97	9.95	13.54
MIIP-97 (II)	9.46	7.59
ISFUS-97	11.06	10.63
IEF*	9.21	—9.07

*NAV as on 13-05-98
@NAV as on 8-05-98

XX. DUE DILIGENCE

Due Diligence Certificate submitted to SEBI for MVUP 98

It is confirmed that :

(i) the draft offer document forwarded to Securities and Exchange Board of India is in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time;

(ii) all legal requirements connected with the launching of the scheme as also the guidelines, instructions, etc. issued by the Government and any other competent authority in this behalf, have been duly complied with;

(iii) the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding investment in the proposed scheme;

(iv) all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid.

Date : 29/04/98
Place : Mumbai

Sd/-
Name : B. S. PANDIT
Compliance Officer
with seal :

For and on behalf of the Board of Trustees of the Unit Trust of India

Sd/-
(A. N. PALWANKAR)
Executive Director
Business Development & Mktg.

Mumbai
29-04-98

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020.
Tel. : 206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005, Tel. : 218 1600. Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Southern Zone : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101.

Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught circus, New Delhi-110 001, Tel. : 332 9660.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahmedabad : B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Floor, Ashram Marg, Ahmedabad-380 009. Tel. : 658 3043. Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel, : 332 481. Bhopal : 1st Floor, Ganga, Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-I, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558 308. Indore : City Centre, 2nd Floor, 570, M. G. Marg, Indore-452 001. Tel. : 22796. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Gulmohar Cross Marg No. 9 Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995, Mumbai : (2) Persepolis Building, 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703, Tel. : 767 2607, Mumbai : (3) Lotus Court Building, 196, Jamshedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 285 0821, Mumbai : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S. V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel. : 898 0521, Mumbai : (5) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 516 2256. Kolhapur : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kohlapur-416 001. Tel. : 657 315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536 893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Floor, M. G. Marg, Nasik-422 001. Tel. : 572 166. Panaji : E. D. C. House, Ground Floor, Dr. A. B. Marg, Panaji, Goa-403 001. Tel. : 222 472, Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325 954, Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel. : 35112. Surat : Saifee Building, Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001. Tel. : 434 550. Thane : UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel. : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : OCHC Building, 1st & 2nd Floor, 24, Janpath, Kharvela Nagar, Near Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. Calcutta : 2, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Durgapur : 3rd Administrative Building, 2nd Floor, Asansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel. : 546 136. Guwahati : Hindustan Building, 1st Floor, M. L. Nehru Marg, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543 131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Ground & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. Patna : Jeevan Deep Building, Ground & 5th Floor, Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel. : 424 671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : Raheja Towers, 26-27, 12th Floor, West Wing, M. G. Marg, Bangalore-560 001. Tel. : 559 5091. Cochin Jeevan Prakash, 5th Floor, M. G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Magr Coimbatore-641 018. Tel. : 214973.

Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Marg. Hubli-580 020, Tel. : 363 963. Hyderabad : 1st Floor, Surabhi-Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500-195. Tel. : 4611095. Chennai : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Building, 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel. : 38186. Mangalore : Siddhartha Building, 1st Floor, Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel. : 426 258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Floor, M.G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel. : 331 415. *Trichy* : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 760060. Trichur : 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel. : 331 259. Vijayawada : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel. : 571 134, Vishakhapatnam : Patna Arcade, 3rd floor, 47/15/6, station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-520 016. Tel. : 548 121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel. : 54408. Allahabad : United Towers, 3rd Floor, 53 Leader Marg Allahabad-211 003. Tel. : 50521. *Amritsar* : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Floor, Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel. : 210367. Chandigarh : Jeevan Praaksh, LIC, Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017, Tel. : 703 683 Dehradun : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Marg, Dehradun-248 001. Tel. : 746720. Faridabad B-614-617, Nehru Ground. NIT, Faridabad-121 001, Tel. : 219156 Ghaziabad : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel. : 790366, Jaipur : Anand Bhavan, 3rd Floor Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel. : 365 212. *Kanpur* : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 317 278. *Lucknow* : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel. : 238591. Ludhiana Surya Kiran Phase II, 92, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel. : 441 264. New Delhi : Daily Tej. 3rd & 4th Floor, 8/B, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel. : 3318638. Shimla : Flat No. 401, 402, 403, 405-Mukesh Apt., Fingask Estate, Near Hotel Sheel, Shimla 171 002. Tel. : 257 803. Varanasi : 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel. : 358 606.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1998